उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९

संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

समिति द्वारा स्वीकृति की तिथि २१ मार्च, १९६०

सदन में प्रस्तुत करने की तिथि २५ मार्च, १९६०

मुद्रक :
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
१९६०

तालिका

			पृष्ठ
१--संयुक्त प्रवर समिति की निर्मिति	..	..	अ
२--संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन	..	..	१-२
३--विमति टिप्पणियां	..	..	क-त
४--समिति द्वारा संशोधित विधेयक	..	..	१-३४
५--समिति की संक्षिप्त कार्यवाहियां	..	..	३५-८०
६--नत्थियां ..	..	..	८१-८३

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९

संयुक्त प्रवर समिति की निर्मिति

१—श्री राम मूर्ति, स० वि० स०	.. .. ..	सभापति
२— ,, हुकुम सिंह, स० वि० स०, राजस्व मंत्री	.. ..	सदस्य
३—डा० विशम्भर सिंह, स० वि० स०	.. .. ..	,,
४—श्रीमती विद्यावती वाजपेयी, स० वि० स०	.. .. ..	,,
५—श्री केशव पांडेय ,,	.. .. ..	,,
६— ,, सोहन लाल धुसिया ,,	.. .. ..	,,
७— ,, रामेश्वर प्रसाद ,,	.. .. ..	,,
८— ,, रऊफ जाफरी ,,	.. .. ..	,,
९— ,, महावीर प्रसाद शुक्ल, राजस्व उपमंत्री	.. ..	,,
१०— ,, अवधेश चन्द्र सिंह, स० वि० स०	.. .. ..	,,
११— ,, जगपति सिंह ,,	.. .. ..	,,
१२— ,, राजदेव उपाध्याय ,,	.. .. ..	,,
१३— ,, गेंदा सिंह ,,	.. .. ..	,,
१४— ,, मलिखान सिंह ,,	.. .. ..	,,
१५— ,, हर दयाल सिंह ,,	.. .. ..	,,
१६— ,, भोला लाल ,,	.. .. ..	,,
१७— ,, भूप किशोर ,,	.. .. ..	,,
१८— ,, पृथ्वीनाथ, स० वि० प०	.. .. ..	,,
१९— ,, लल्लू राम द्विवेदी ,,	.. .. ..	,,
२०— ,, रामकुमार शास्त्री ,,	.. .. ..	,,
२१— ,, वंशीधर शुक्ल ,,	.. .. ..	,,
२२—श्रीमती विद्यावती राठौर, स० वि० प०	.. .. ..	,,
२३—श्री महाराजसिंह भारती ,,	.. .. ..	,,
२४— ,, नौरंग सिंह ,,	.. .. ..	,,
२५— ,, जयबहादुर सिंह ,,	.. .. ..	,,

विधान सभा सचिवालय

१—श्री रूप चन्द्र, सचिव, विधान मण्डल

२— ,, देवकीनन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा

सरकारी सचिवालय

१—श्री दशरथ सिंह, राजस्व उप सचिव ।

२— ,, आर० एन० मेहरा, डी० एल० आर० ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त प्रवर समिति का सभापति, जिसे *उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९, निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को प्राधिकृत किया गया हूं । अतः मैं समिति का प्रतिवेदन, उसके द्वारा संशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूं ।

२—यह विधेयक विधान सभा में २० अगस्त, १९५९, को पुरःस्थापित किया गया । सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट करने का संकल्प (नत्थी "क") न्याय मंत्री ने २७ अगस्त, १९५९ को प्रस्तुत किया ।

३—विधान परिषद् ने संकल्प पर ४, ७ तथा ८ सितम्बर, १९५९, को चर्चा की और उपर्युक्त संकल्प पर ८ सितम्बर, १९५९, को सहमति प्रकट की । (नत्थी "ख")

४—विधान परिषद् से प्राप्त संदेश ९ सितम्बर, १९५९, को विधान सभा में पढ़कर सुनाया गया और विधान सभा ने १० सितम्बर, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये अपने १६ सदस्यों को चुना तथा ११ सितम्बर, १९५९ को श्री अध्यक्ष ने श्री राममूर्ति को समिति का सभापति मनोनीत किया।

५—समिति की कुल ९ बैठकें हुईं ।

६—समिति की प्रथम बैठक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये २८ सितम्बर, १९५९ को हुई । इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि उन संस्थाओं का साक्ष्य जो इस सम्बन्ध में प्रार्थना करें, ले लिया जाय ।

७—समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को उनके सम्मुख अंकित तिथियों में सुना :—

(१) तराई कृषक संघ, काशीपुर (जिला नैनीताल)	..	२६—१०—५९
(२) सब लेजीज आफ गवर्नमेंट लेजीज, बाजपुर	..	२६—१०—५९
(३) गवर्नमेंट लेजीज, बाजपुर	..	२६—१०—५९
(४) इण्डियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ	..	२६—१०—५९

प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का सारांश इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है । (नत्थी "ग")

८—समिति ने यह भी निश्चय किया कि तराई भावर (जिला नैनीताल) के फार्मों का निरीक्षण किया जाय और तदनुसार समिति ने २० मार्च, १९५९ को उन फार्मों का निरीक्षण किया।

९—समिति ने २६–१०–५९, २७–१०–५९, २८–१०–५९, ५–११–५९, ५–२–६०, ६–२–६० तथा ६–३–६० की बैठकों में विधेयक पर खण्डशः विचार किया । समिति की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण विधेयक की इबारत के बाद छपा है ।

१०—संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन ११ दिसम्बर, १९५९ तक प्रस्तुत किया जाना था । समिति के लिये सका समय २१ दिसम्बर, १९५९, को ३१ मार्च, १९६० तक बढ़ाया गया ।

११—समिति ने प्रतिवेदन पर विचार करके उसे मार्च, १९६० को स्वीकार किया ।

१२—विधेयक में समिति द्वारा किये गये मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

(१) जहां भी "अच्छी औसत प्रकार की भूमि" शब्द प्रयोग किये गये थे उनके स्थान पर शब्द "अच्छे प्रकार की भूमि" रख दिये गये और ५ रुपये प्रति एकड़ से अधिक मौरूसी दर वाली भूमि को अच्छे प्रकार की भूमि मानने के बजाय ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक मौरूसी दर वाली भूमि को अच्छे प्रकार की भूमि माना गया । यह भी व्यवस्था की गई कि ४ रुपये प्रति एकड़ से अधिक और ६ रुपये प्रति एकड़ तक मौरूसी दर वाली भूमि के डेढ़ एकड़

---

* उत्तर प्रदेश सरकार के साधारण गजट, दिनांक २९ अगस्त, १९५९ के अनुपूरक भाग ७ में प्रकाशित ।

और ४ रुपये प्रति एकड़ या उससे कम मौरूसी दर वाली भूमि के २ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि के १ एकड़ के बराबर समझे जायेंगे;

(२) "परिवार" शब्द की परिभाषा स प्रकार संशोधित कर दी गई कि उसमें जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित संबंधियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हों, समावेश किया गया :

(क) पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो,

(ख) आश्रित पिता तथा आश्रित माता,

(ग) धारक के ऐसे पुत्र तथा ुत्र के पुत्र जो उससे पृथक न हुये हों और उनकी पत्नी या विधवा,

(घ) अविवाहित पुत्री तथा पृथक न हुये पुत्र की अविवाहित पुत्री ।

(३) जो यह व्यवस्था थी कि अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये भमि के हस्तान्तरण या विभाजन विचार में नहीं लाये जायेंगे, उसके सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद क नहीं बल्कि २० अगस्त, १९५९ ई० के बाद के हस्तान्तरणों तथा विभाज ों पर विचार नहीं किया जायगा ।

(४) धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के अधिकार की भूमि की ही तरह दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के अधिकार की भूमि को भी जो १ मई, १९५९ के पहले से उसके पास या अधीन रही हो, अधिकतम सोमा के आरोपण से विमुक्त कर दिया गया ।

(५) पूरे वर्ष गाड़ियों के यातायात के लिये प्रयुक्त होने वाली फार्म की सड़कों को भी अधिकतम सीमा के आरोपण से विमुक्त कर दिया गया ।

(६) २० अगस्त, १९५९ के पर्व निबंधित हो चुकी सहकारी समितियों की भूमि के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि जो भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व ऐसी समितियों की जोत का भाग रही हो वह अतिरिक्त भूमि होत हुये भी उसका बन्दोबस्त ऐसी सहकारी समितियों से इस शर्त पर किया जा सकता है कि वे राज्य सरकार को उसके बदले में एसा प्रतिफल ेंगी जो नियत किया जाय ।

(७) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित सहकारी समितियों के साथ अतिरिक्त भूमि का जो बन्दोबस्त किया जायगा उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि उनको उतनी ही भूमि मिले कि यदि वह सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांटी जाय तो किसी को ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न मिले।

(८) शास्तियों के सम्बन्ध में जो यह व्यवस्था थी कि अर्थ दंड ५०० रु० तक हो सकता है, उसको बढ़ाकर १,००० रु० तक कर दिया गया ।

१२—समिति ने विधेयक में जो संशोधन किये हैं वे प्रायः सब ही सरकार द्वारा प्रस्तुत किये ग े थे अतः सरकार के संशोधनों को पृथक से नहीं छापा गया है ।

१३—समिति के सदस्य सर्वश्री महाराज सिंह भारती व हरदयाल सिंह तथा जयबहादुर सिंह, भोला लाल व भूप किशोर तथा नवरंग सिंह ने विमति टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं जो प्रतिवेदन के साथ छापी जाती हैं।

रामर्मूति
सभापति।
२१–३–६०

विमति टिप्पणी

योजना आयोग के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा ३० एकड़ होनी चाहिये। जहां सारे देश में ६६ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर हैं वहां उत्तर प्रदेश में खेती पर ७४.२ प्रतिशत व्यक्ति निर्भर करते हैं। पंजाब व राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तुलना में प्रति व्यक्ति पीछे कहीं अधिक जमीन है और उन्होंने अधिकतम जोत की सीमा ३० एकड़ रखी है। जैसा कि दिल्ली में अधिकतम जोत सीमा निर्धारण विधेयक की प्रवर समिति की रपट से स्पष्ट हैं। इस प्रदेश में किसी भी सूरत में एक परिवार को ३ हलों की लाभप्रद जोत से अधिक भूमि नहीं मिलनी चाहिये। जो औसत उपजाऊ भूमि के २० एकड़ के बराबर होती है। ४० एकड़ की सीमा अत्यधिक है और फिर मौरूसी दर की आड़ में जैसे ८० एकड़ तक ले जाना और भी गलत है। असिंचित और कम उर्वर भूमि ड्योढ़ी अर्थात् ३० एकड़ तक दे दी जाय। ६ रु० से अधिक मौरूसी दर की भूमि उत्तर प्रदेश में नगण्य संख्या में उपलब्ध है और वह भी बड़ी जोतों में मिलनी आसान नहीं। अतः ४० एकड़ की सीमा भ्रामक है और उसे सीधे ६० व ८० एकड़ समझना चाहिये। यही नहीं परिवार संख्या ५ से आगे बढ़ने पर प्रति व्यक्ति ८ एकड़ के स्थान पर ४ एकड़ मिलनी चाहिये और इसी प्रकार अधिकतम सीमा २४ एकड़ के बजाय १२ एकड़ ही होनी चाहिये। कम उपजाऊ भूमि इससे ड्योढ़ी की जा सकती है।

जहां तक परिवार की परिभाषा का संबंध है वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार बनकर ८० एकड़ तक भूमि ले सकता है और उसके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि उसने लिखित रूप में भूमि का बटवारा करा लिया हो। जबानी खानदानी समझौते के आधार पर भी परिवार का एक सदस्य स्वयं एक परिवार बन सकता है। २० अगस्त, १९५९ परिवार के बंटवारे की अंतिम तिथि निश्चित करना भी अनुचित है।

भारतीय संसद ने १०-२-५९ को अधिकतम भूमि सीमा आरोपण विधेयक लाने की घोषणा की थी, तत्पश्चात लोगों को अपनी भूमि बचाने के लिये सतर्क होना स्वाभाविक था। अतः वर्तमान विधेयक में २० अगस्त, १९५९ तिथि बटवारे की घोषित करने में कोई औचित्य नहीं। यहां एक बात और दृष्टव्य है। उत्तर प्रदेश में वृहत जोत-कर अधिनियम के उद्देश्य व कारणों में यह कहा गया था कि भूमि के बटवारे में यह विधेयक सहायक होगा और उसमें परिवार की परिभाषा इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु जो की गई है कम से कम अब सरकार का इस विधेयक में उस दी गई परिवार की परिभाषा से हटना कोई औचित्य नहीं रखता।

धारा ५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत गैरकानूनी हस्तांतरण की उपेक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा वरन यह भी स्पष्ट होना चाहिये कि सीमा से अधिक जो भमि ली जायगी वह उसी भूमि से ली जानी चाहिये जो हस्तांतरणकर्ता के पास कृषि भूमि के रूप में उपलब्ध हो। उक्त धारा की उपधारा (३) में सरकार को किय गय हस्तांतरण के स्थान पर "सरकार द्वारा एक्वायर की गई भूमि का ही" अपवाद रखना उचित होता।

धारा ३ की उपधारा (१) में बाग भूमि को मुक्त नहीं करना चाहिये क्योंकि देशी आम, महुआ, जामुन आदि के बाग लोग नहीं लगा रहे हैं। लाखों एकड़ो भारी आमदनी देने वाले कलमी आम, नींबू, नारंगी व सिटरस जाति के अन्य फल, लुकाट, लोची, अमरूद आदि के बाग लगाये गये हैं जिसके कारण बांटने के लिये भूमि नहीं के बराबर रह गई है।

उक्त धारा की उपधारा (४) में नियास गृह से अनुबद्ध क्षेत्र की सीमा निश्चित होना आवश्यक है और उपधारा (६) में चाय, काफी, रबड़ की रोपस्थियां भी मुक्त नहीं होनी चाहिये ऐसे किसानों को उक्त खेती में लाभ है और प्रोसेसिंग में यदि कठिनाई हो सहकारिता का

सहारा लेकर उसे दूर किया जा सकता है। उपधारा (७) में जड़ी बूटियों के उगाने का काम लाभप्रद रूप से सीलिंग के अन्तर्गत भी हो सकता है। दूसरे विधेयक में औषधियों का विवरण नहीं दिया गया। अतः राज्य सरकार को इच्छा पर इस विषय को छोड़ना उचित नहीं। उपधारा (८) की मुक्ति भी न्याययुक्त एवं श्रेयस्कर नहीं। उपधारा (१०) में दी गई मुक्ति निरर्थक एवं अहितकर है। सीलिंग के अन्तर्गत भी बहुत अच्छी गोशाला चलाई जा सकती है। उपधारा (१३) में भूदान यज्ञ समिति को मिली भूमि का वितरण भी सरकार अन्य भूमि की भांति कर दे तो अच्छा है।

उपधारा (१४) का रखना भी निरर्थक एवं सारहीन है क्योंकि सरकारी समझौतों के अन्तर्गत भूमि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति बना दी गई है। अतः वह सरकार के कानून से मुक्त नहीं और उसका लगान आदि अन्य किसानों की भांति ही लिया जाता है। उपधारा (१५) में बैंक को उसका रुपया तो सरकार चुका दे लेकिन भूमि सीलिंग से अधिक सहकारी बैंक के पास भी नहीं रहनी चाहिये। उपधारा (१६) में कुक्कुट पालनादि का कार्य विशेषित सीलिंग के अन्तर्गत ही चल सकते हैं। मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। साथ ही अन्य प्रयोजन की घोषणा राज्य सरकार को देना भी उचित न होगा। उपधारा (१७) विधेयक की आत्मा के विरुद्ध है। अतः निकाल दी जानी चाहिये अन्यथा सरकारी पक्ष के लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। उपधारा (१८) को निश्चयात्मक होना चाहिये ताकि एक निश्चित प्रतिशत से अधिक भूमि सड़कों के रूप में मुक्त न कराई जा सके।

फूलों की खेती पूर्णतया लाभप्रद होने के कारण सीलिंग के अन्तर्गत ही रहनी चाहिये इस तरह की छूट से भूमि का दुरुपयोग होगा।

धारा १६ भी निरर्थक है और हटा देना चाहिये था क्योंकि सीलिंग के अन्तर्गत बाग वगैरह लगाये जा सकते हैं क्योंकि यह भी कृषि की भांति लाभप्रद है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों और अलाभकर जोतों को लाभकर बनाने के लिये भूमि देना होना चाहिये उसको जानबूझकर विकृत किया गया है। परिणामस्वरूप इसकी धारायें विधेयक में प्रस्तुत की गई हैं जिनके द्वारा जो थोड़ी भूमि सरकार को मिलेगी उसमें सरकारी फार्म खुल जायेंगे और उन फार्मों को प्रबन्धक भी पुराने भूमि मालिकों को बनाया जा सकेगा। अलाभकर जोत वाले किसानों को कोई भूमि मिलेगी नहीं वह केवल १५ एकड़ से कम भूमि का उपयोग केवल उस दशा में कर सकेंगे जबकि उनकी संख्या १५:२० होगी और अपनी समस्त भूमि को मिलाकर सहकारी खेती करने के लिये तैयार होंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होता। भूमिहीन मजदूरों को भी कोई भूमि नहीं मिलेगी वह भी सहकारी खेती द्वारा ही उस भूमि का उपयोग कर सकेंगे और उनके उपयोग की सीमा एक एकड़ से लेकर ३ १/८ एकड़ तक रखी गई है जो न तो लाभप्रद होगी न सहकारिता की सम्भावनायें ही बढ़ायेगी।

धारा २५ निरर्थक है अतः इसे हटा देना चाहिये अन्यथा इसका दुरुपयोग होगा। जिस भूमि को एक्वायर करने की दरख्वास्त पहले से किसी ने नहीं दे रखी है, उसे अनावश्यक रूप से नियंत्रित करके देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है।

धारा २७ की उपधारा (१) अवैधानिक है क्योंकि यह विधि के समक्ष भेदभाव की नीति बरतती है। जमीन के स्थान पर रुपये का हिस्सा देने पर मुक्ति प्रदान करना सर्वथा अनुचित एवं अवैधानिक है।

धारा ३१ के अन्तर्गत नदी के गर्भ से निकली भूमि पर केवल सरकार का अधिकार होना चाहिये और उसके बांटने में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाय जिनकी भूमि नदी में कट चुकी है।

धारा ४५ को हटाना भी नितान्त आवश्यक है अन्यथा वे लोग जो अब तक टैक्स देते थे उसी भूमि के स्वामी और वृहत-जोत-कर विधेयक की सीमा में आते हुए भी टैक्स से मुक्त हो जायेंगे।

चूंकि भूमि जीवनोपार्जन का साधन और राष्ट्र से ऊपर उसका स्वामित्व किसी का नहीं हो सकता अतः मुआवजा का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए और चूंकि सीलिंग के अन्तर्गत पर्याप्त भूमि कृषि तथा दूसरे प्रयोग के लिये छोड़ी जा रही है अतः पुनर्वास का भी प्रश्न नहीं उठता परन्तु वैधानिक कठिनाइयों को देखते हुए चूंकि मुआवजा देना ही पड़ेगा अतः उसकी राशि कम से कम होनी चाहिये और किसी भी सूरत में एक्वायर की गई भूमि की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिये।

पक्के कुयें नलकूप सिंचाई की नालियों आदि के संबंध में मुआवजा तभी दिया जाना चाहिये जब वे प्रयोग में आ रही हों और कावजे का सिद्धांत उनकी पूर्ण आयु के अनुसार अवमूल्यन के सिद्धांत पर होना चाहिये न कि प्रतिशत के अनुसार।

उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार का मनशा भूमि को सीलिंग करने का नहीं था किन्तु प्रदेश की व देश की जनता के समक्ष भूमि की सीलिंग की पुकार को भी शांत करना था अतः केवल खाना पुरी करने के हेतु इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। यदि यह विधेयक संशोधित नहीं किया जाता है तो प्रथम तो बाटने के लिए इस विधेयक के अनुसार भूमि उपलब्ध ही नहीं होगी और थोड़ी सी भूमि यदि उपलब्ध भी हुई तो उस पर सरकारी फार्म बनेंगे। जनता के लिये उसका मिलना इस बिल के अनुसार असंभव सा प्रतीत होता है। संक्षेप में यह विधेयक पूर्णतः प्रतिक्रियावादी और अनिच्छा पूर्वक बनाया गया है जिसका परिणाम है कि इस पर जो खर्चा होगा वह प्राप्त होने वाली भूमि के अनुपात में उसके मूल्य से कई गुना ज्यादा होगा।

दिनांक २१-३-६०।

महाराज सिंह भारती
सदस्य विधान परिषद,

हरदयाल सिंह,
सदस्य विधान सभा।

विमति टिप्पणी

जोतों की हदबन्दी उन उग्रवादी भूमि-सुधारों में है जिनकी आवश्यकता देश का राष्ट्रीय आन्दोलन सदा से महसूस करता चला आ रहा है। इसकी सिफ़ारिश कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने १९५२ में तथा उसके बाद योजना आयोग ने अपनी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की रिपोर्ट में की थी। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव ने राज्यों की कांग्रेस सरकारों को यह आदेश दिया था कि १९५९ के अन्त तक इस सम्बन्ध में कानून बन जाने चाहिए।

२—स्वयं शासक दल के इन स्पष्ट आदेशों तथा योजना आयोग की इन बार-बार की गई सिफ़ारिशों के बाद भी इस सम्बन्ध में अब तक क़ानून का न बन पाना काफ़ी खेदजनक बात है। किन्तु इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक जो २० अगस्त, १९५९ से राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के विचाराधीन है, उन उद्देश्यों से कोसों दूर है जिनकी पूर्ति के लिए योजना आयोग और कांग्रेस भूमि सुधार समिति ने जोतों की हदबन्दी की सिफ़ारिश की थी। राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों में न केवल विरोध पक्ष के अपितु बहुत से कांग्रेसी विधायकों ने भी प्रारम्भिक वाद-विवाद के समय उपर्युक्त विधेयक की कड़े शब्दों में आलोचना की।

३—हमें आशा थी कि इस वाद-विवाद के बाद जब विधेयक प्रवर समिति के सम्मुख जायगा समिति के सदस्य के दोषों को दूर करके उसे अपने उद्देश्यों के अधिक अनुरूप बनाने की चेष्टा करेंगे इसी उद्देश्य से हम लोगों ने बहुत से संशोधन प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये। किन्तु हमें खेद है कि न सिर्फ हमारे लगभग सभी संशोधन अस्वीकृत कर दिये गये बल्कि विधेयक को और भी प्रतिक्रियावादी दिशा में संशोधित करके उसको एकदम निरर्थक बना दिया गया है और अपने घोषित उद्देश्यों को ठीक उल्टी दिशा में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी दशा में हमारे सामने केवल एक ही मार्ग रह गया है। समिति के बहुमत के दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण असहमत होने के कारण अपनी विमनि टिप्पणी लिख दें।

जोतों की हद बन्दी के उद्देश्य

४—जोतों की हदबन्दी के किसी भी विधेयक के लिए योजना आयोग की भूमि सुधार उप-समिति ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं जिनसे हम पूर्णतयः सहमत हैं :—

"(क) भूमि प्राप्त करने की व्यापक आकांक्षा की पूर्ति।

(ख) भूमि के स्वामित्व तथा प्रयोग में मौजूद उग्र असमानता में कमी करना।

(ग) कृषि जन्य आय की असमानता में कमी करना।

(घ) निजी उद्यमों में रोजगार पाने के क्षेत्र का प्रसार करना।"

योजना आयोग की लैंड रिफार्म पैनेल की रिपोर्ट (अ) पृष्ठ ९९।

५—जोतों की हदबन्दी से इतनी भूमि किसी भी हालत में प्राप्त नहीं हो सकती कि हर भूमिहीन और अर्द्ध भूमिहीन को उसकी गुजर-बसर के लिए काफी भूमि दी जा सके। इसलिए हमारा यह स्पष्ट मत है कि जो कुछ भी भूमि प्राप्त हो उसको भूमिहीनों तथा ग़रीब किसानों के प्रयोग के लिए ही सुरक्षित रखा जाय। किन्तु विधेयक में "अधिकतम लोक-हित साधन" तथा "अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों" के नाम पर इस बात की गुंजाइश छोड़ दी गई है कि अतिरिक्त भूमि के एक अंश को भूमिहीनों तथा अर्द्ध भूमिहीन ग़रीब किसानों में वितरित करने के बजाय अन्य कार्यों के लिये ले लिया जाय। हम समझते हैं कि यह ग़लत है और हमारी राय में विधेयक के घोषित उद्देश्यों को बिलकुल योजना आयोग की भूमि सुधार उपसमिति द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।

हदबन्दी के लागू होने का क्षेत्र

६—हमारा दृढ़ मत है कि जोतों की हदबन्दी राज्य के हर भाग में तत्काल लागू की जाय। इसके लिये आवश्यक है कि विधेयक में से धारा २ के उन उपखण्डों को हटा दिया जाय जिनके अनुसार शहरों और कस्बों की कृषि भूमि, कुमायूं डिवीज़न के बहुत बड़े भाग तथा देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र को हदबन्दी से तत्काल मुक्त रखा गया है। हमारा यह भी मत है कि यदि इन क्षेत्रों में हदबन्दी लागू करने में कोई कानूनी कठिनाई हो तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस कठिनाई को बहाना बना कर इन क्षेत्रों में हदबन्दी को अनिश्चित-काल के लिए टाल नहीं देना चाहिए। हमारे राज्य का यह दुःखद अनुभव है नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश विधेयक को अधिनियम बनाने में कई वर्ष लग गये और कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक ४-५ वर्ष बीत जाने पर भी आज तक कानून नहीं बन पाया है। ऐसी हालत में यह आशा नहीं की जा सकती कि सरकार विधेयक की धारा २ के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों में जोतों की हदबन्दी को शीघ्र लागू करेगी। इस प्रकार लम्बे अर्से तक जोतों की हदबन्दी को टाल देने का नतीजा यह होगा कि इन क्षेत्रों के बड़े भू-स्वामी सजग हो जायेंगे और अपनी भूमि के फर्जी बटवारे करके भविष्य में हदबन्दी लागू करना निरर्थक बना देंगे।

परिवार की परिभाषा और फर्जी बटवारों की समस्या

७—जब से नागपुर कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव पास हुआ है देश भर में बड़े भू-स्वामियों ने बड़े पैमाने पर अपनी जोतों के फ़र्जी बटवारे अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों में करने शुरू कर दिये इन फर्जी बटवारों का उद्देश्य हदबन्दी से अपनी भूमि बचाकर उसे एकदम निरर्थक बना देना है। अतएव इन फर्जी बटवारों पर रोक लगाने तथा नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव पास होने के बाद से हुए तमाम भूमि के हस्तान्तरणों को अवैध घोषित कर देने की मांग उस समय से उठ रही है।

८—फ़र्जी बटवारों को रोकने के लिए परिवार की परिभाषा सही ढंग से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। एक परिवार के बालिग तथा नाबालिग़ सदस्यों की कुल भूमि को चाहे, वह एक खाते में हो अथवा पृथक खातों में हदबन्दी के लिए एक साथ शामिल माना जाना चाहिये।

९—मूल विधेयक तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित उसके प्रारूप दोनों में फर्जी बटवारों को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं की गई है। नागपुर कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद से २० अगस्त, १९५९ तक हुए फर्जी बटवारों को बिलकुल नजर अन्दाज कर दिया गया है। २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबन्धित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त १९५९ को विचाराधीन किसी वाद के अंतर्गत होने वाले उसके बाद के बटवारों को भी वैध जान लिया गया है। परिवार की परिभाषा ऐसे ढंग से की गई है कि यदि उसका कोई भी सदस्य स्वयं अपने पृथक अधिकार से खातेदार होगा तो उसे पृथक परिवार माना जायगा।

हम समझते हैं कि इन खामियों के रहते जोतों की हदबन्दी से बहुत कम भूमि प्राप्त हो सकेगी और जो क़ानून भी बनेगा वह राज्य के लाखों भूमिहीन तथा अर्द्धभूमिहीन परिवारों की आशाओं के साथ क्रूर उपहास होगा।

भूमि का वर्गीकरण

१०—जोतों की हदबन्दी के लिए भूमि का उसकी पैदावार के आधार पर वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। विधेयक में इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए लगान की दरों को एक मात्र आधार माना गया है यद्यपि जिन क्षेत्रों में लगान की दरें पैदावार की तुलना में बहुत कम हैं उनके संशोधन करने की व्यवस्था भी है। किन्तु पिछले बन्दोबस्त के बाद से सिंचाई अथवा यातायात के साधनों के प्रसार, विकास खण्डों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं, प्राकृतिक परिवर्तनों, मनुष्यों के प्रयत्न अथवा उपेक्षा इत्यादि के फलस्वरूप अधिकांश जगहों पर भूमि की पैदावार में परिवर्तन

हो गये हैं जिनके आधार पर लगान की दरों में परिवर्तन नहीं किये गये हैं। विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हर जगह पर लगान के आधार पर भूमि के वर्गीकरण के समय पैदावार में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाय और आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर लिये जायं। इसलिये हमारी राय में विधेयक में भूमि के वर्गीकरण के लिए की गई व्यवस्था दोषपूर्ण है।

११--किन्तु पैदावार में हुए परिवर्तनों के आधार पर भूमि के वर्गीकरण में संशोधन करने का तरीक़ा सीधा-सादा और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। चकबन्दी की तरह का जटिल और परेशान करने वाला तरीक़ा अपनाने के हम ख़िलाफ़ हैं। इस प्रकार का तरीक़ा अपनाने से न सिर्फ़ हदबन्दी करने में दसियों वर्ष लग जाएंगे बल्कि भ्रष्टाचार के कुप्रभाव से ग़रीब जनता की रक्षा करना असम्भव हो जायगा।

१२--प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक में अच्छे प्रकार की भूमि उसे माना गया है जिसका मौरूसी लगान ६ रु० प्रति एकड़ से अधिक हो। इसी तरह ४ रु० से अधिक और ६ रु० प्रति एकड़ की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा ४ रु० या कम प्रति एकड़ लगान की भूमि तृतीय श्रेणी की मानी गई है। द्वितीय श्रेणी की भूमि का डेढ़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि का २ एकड़ अच्छे प्रकार की भूमि के १ एकड़ के बराबर माना गया है। ५ व्यक्तियों के औसत परिवारों के लिए अधिकतम सीमा प्रथम श्रेणी की भूमि के लिए ४० एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि के लिए ६० एकड़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि के लिए ८० एकड़ होगी। परिवार के सदस्यों की संख्या ५० से बढ़ने पर प्रति व्यक्ति प्रथम श्रेणी की भूमि के ८ एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि के १२ एकड़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि के १६ एकड़ और दिये जायेंगे किन्तु इस प्रकार से अधिक से अधिक क्रमशः २४, ३६ तथा ४८ एकड़ भूमि दी जा सकती है। अतएव बड़े परिवारों के लिए अधिकतम जोत क्रमशः ६४, ९६ तथा १२८ एकड़ होगी।

१३--मूल विधेयक में अच्छे प्रकार की भूमि उसे माना गया था जिसका मौरूसी लगान ५ रु० प्रति एकड़ से अधिक हो। ३ रु० से अधिक और ५ रु० प्रति एकड़ तक की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा ३ रु० या कम प्रति एकड़ लगान की भूमि तृतीय श्रेणी की मानी गई थी। प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत संशोधन का नतीजा यह होगा कि ५ रु० से ६ रु० प्रति एकड़ तक के लगान की भूमि जो पहले अच्छे प्रकार की भूमि मानी जाती अब द्वितीय श्रेणी की मानी जायगी तथा ३ रु० से ४ ० प्रति एकड़ लगान की भूमि जो पहले द्वितीय श्रेणी की मानी जाती, अब तृतीय श्रेणी की मानी जायगी। इसके फलस्वरूप जिन खातेदारों के पास ५ रु० से ६ रु० प्रति एकड़ तथा ३ रु० से ४ रु० प्रति एकड़ लगान की भूमि होगी उनकी प्रयोज्य अधिकतम जोत का क्षेत्रफल बढ़ जायगा और उनसे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त भूमि कम हो जायगी।

१४--हमारी राय में ४ रु० प्रति एकड़ से अधिक की भूमि को पृथक श्रेणी की, २ रु० से अधिक तथा ४ रु० प्रति एकड़ तक की भूमि द्वितीय श्रेणी की तथा २ रु० या कम लगान की तृतीय श्रेणी की मानी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के सवा एकड़ तथा तृतीय श्रेणी की भूमि का डेढ़ एकड़ अच्छी प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर माना जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो जोतों की हदबन्दी के बाद पर्याप्त अतिरिक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि ६ रु० प्रति एकड़ लगान की भूमि कुल कृषि भूमि का मुश्किल से चौथाई भाग है लगभग तीन चौथाई कृषि भूमि इससे कम लगान की है और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में आती है।

१५--अधिकतम जोत का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय हमारी समझ में निम्नलिखित दो सिद्धान्तों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए था :--

(क) एक औसत परिवार के पास कम से कम इतनी भूमि अवश्य छोड़ दी जानी चाहिए कि वह एक जोड़ी बैल और परिवार की श्रमशक्ति का प्रयोग करके परम्परागत रूप से आवश्यक बाहरी श्रम शक्ति की सहायता से कुशलतापूर्वक खेती कर सके तथा साधारण वर्ष में इस भूमि की उपज से वह एक औसत किसान के जीवन स्तर को क़ायम रख सके।

(ख) भूमि पर जन संख्या के दबाव, भूमि की आकांक्षा रखने वाले नितान्त भूमिहीन और अर्द्धभूमिहीन किसानों की संख्या, भूमि की उपलब्धि आदि को ध्यान में रखते हुए अधिकतम जोत का क्षेत्रफल इतना अधिक भी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में भूमि प्राप्त न हो सके।

१६—मूल विधेयक तथा प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक दोनों में उपर्युक्त सिद्धान्तों को बिल्कुल ठुकरा दिया गया है और केवल इस बात को ध्यान में रख कर अधिकतम जोत तय की की गई है कि बड़ी जोत वालों को अधिक से अधिक भूमि कैसे दी जाय।

१७—मूल विधेयक में अलाभप्रद जोत ३ १/८ एकड़ से नीचे की जोत को माना गया है। जमींदारी उन्मूलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक जोड़ी बैल से खेती करने वाले परिवार के लिए लाभप्रद जोत का कम से कम क्षेत्र फल ६ १/४ एकड़ माना था। ऐसी हालत में ५ व्यक्तियों के औसत परिवार के लिए अच्छी भूमि के १२ १/२ से अधिक पर अधिकतम सीमा आरोपित करने का कोई भी औचित्य नहीं दिखाई देता।

१८—किसानों का अनुभव और देश के प्रमुख अर्थ शास्त्रियों का यह स्पष्ट मत है कि १५ एकड़ से अधिक भूमि का एक औसत किसान परिवार हल बैल से परम्परागत रीति से खेती कर के कुशलतापूर्वक प्रबन्ध नहीं कर सकता। हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रमुख अर्थशास्त्री डा० बलजीत सिंह ने भी यही मत प्रकट किया है।

१९—हमारे राज्य में जोतों के आकार के आधार पर कृषि परिवारों के वितरण के आंकड़े यह बताते हैं कि १२ १/२ एकड़ से अधिक जोत वाले कृषि परिवारों की संख्या कुल कृषि परिवारों की संख्या का लगभग ५ प्रतिशत है। यदि इन ५ प्रतिशत परिवारों में से ५ से अधिक सदस्यों वाले बड़े परिवारों को निकाल दिया जाय जिन्हें १२ १/२ एकड़ से अधिक (३० एकड़ प्रति परिवार तक हमारी सिफ़ारिश के अनुसार) भूमि दी जायगी तो यह अनुपात और भी कम हो जायगा। अतएव ५ या कम व्यक्तियों वाले परिवार के लिए अच्छी प्रकार की भूमि के १२ १/२ एकड़ पर अधिकतम जोत की सीमा आरोपित करने पर राज्य के केवल ३-४ प्रतिशत कृषि परिवार ही उससे प्रभावित होंगे।

२०—हमारा अनुमान है कि यदि ५ व्यक्तियों के औसत परिवार के लिए अच्छी भूमि के १२ १/२ एकड़ पर अधिकतम जोत की सीमा आरोपित की गई तो ३० से ४० एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त हो सकेगी। इससे राज्य के साढ़े सात लाख नितान्त भूमिहीन परिवारों में से प्रत्येक को ३ १/८ एकड़ भूमि देने के बाद भी उन अलाभप्रद जोत वाले परिवारों के लिए कुछ भूमि बच रहेगी जिनके प्रत्येक के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि है।

२१—इसके विपरीत यदि ५ व्यक्तियों के औसत परिवार के लिये अच्छी भूमि के ४० एकड़ को अधिकतम जोत माना गया तथा १२८ एकड़ तक की अधिकतम जोत एक परिवार के लिए निर्धारित की गई तो खुद सरकारी अनुमान के अनुसार मुश्किल से ५-६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि प्राप्त होगी जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिनके लिए जोतों की हदबन्दी की आवश्यकता है।

२२—५ व्यक्तियों से अधिक के परिवारों को अच्छी प्रकार की भूमि के लिए प्रति व्यक्ति २ १/२ एकड़ से जो अधिक से अधिक ७ १/२ एकड़ हो सकता है, अधिकतम जोत की सीमा और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार ८ या अधिक व्यक्तियों के बड़े परिवारों के लिए तीनों प्रकार की भूमि की अधिकतम जोत की सीमा क्रमशः २०, २५ तथा ३० एकड़ हो जायगी। अतएव यदि हमारी सिफ़ारिशों को मान लिया जाय तो ३० एकड़ से अधिक किसी भी परिवार के पास किसी भी किस्म की भूमि न होगी।

हमारे सुझाव के अनुसार प्रयोज्य अधिकतम जोत निम्नलिखित होगी :—

	प्रयोज्य अधिकतम जोत का क्षेत्र-फल एकड़ों में	
भूमि की श्रेणी	५ व्यक्तियों तक के परिवार के लिये	८ या अधिक व्यक्तियों के बड़े परिवार के लिये
अच्छे प्रकार की भूमि (लगान ४ रु० प्रति एकड़ से अधिक	१२ १/२	१२ १/२+७ १/२=२०
द्वितीय श्रेणी की भूमि (लगान २ रु० से ४ रु० प्रति एकड़ तक) ..	१५ ५/८	१५ ५/८+९ ३/८=२५
तृतीय श्रेणी की भूमि (लगान २ रु० या कम प्रति एकड़) ..	१८ ३/४	१८ ३/४+११ १/४=३०

२३—हमारी राय में किसी भी खातेदार को लिखित रूप में आश्वासन देने पर बाग लगाने के लिये अधिक से अधिक ढ़ाई एकड़ भूमि और दी जा सकती है और इसके लिये १० एकड़ तक भूमि देने का कोई भी औचित्य नहीं है।

यंत्रीकृत फार्म

२४—विधेयक में कानून लागू होने के पहले के लगातार ३ वर्षों तक ट्रैक्टर से जोती जोतों को यंत्रकृत फार्म मान लिया गया है। माल विभाग के स्थानीय अधिकारियों—लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार इत्यादि से यह प्रमाणित करवाकर कि उसका खेत ट्रैक्टरों से ३ साल से जोता जा रहा है—चाहे ट्रैक्टर उसका अपना हो या मांगा हुआ, कोई भी खातेदार अपने खेत को यंत्रकृत फार्म घोषित करवा सकता है।

२५—यंत्रकृत फार्म की उपर्युक्त परिभाषा अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक है क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में केवल ट्रैक्टरों से जोते खेत को ही यंत्रकृत नहीं माना गया है। किसी भी खेत पर जब तक कुल कृषि कार्यों का यदि अधिकांश नहीं तो कम से कम काफी बड़ा भाग यंत्रों की सहायता से नहीं किया जाता उस खेत को यंत्रकृत फार्म नहीं माना जाता।

२६—यंत्रकृत फार्म की जो परिभाषा विधेयक में दी गई है उसके अन्तर्गत हमारे राज्य की अधिकांश बड़ी जोतें आ जायंगी और बड़े खातेदार रिश्वतें देकर अपनी-अपनी जोतों को यंत्रकृत घोषित करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधेयक ने इन यंत्रकृत फार्मों के लिये जो विशेष व्यवस्था की है वह उनके सर्वथा अनुकूल है।

२७—यंत्रकृत फार्मों की अतिरिक्त भूमि पर राजकीय फार्म बना दिये जायेंगे जिनके प्रबन्ध के लिये प्रबन्धक नियुक्त करने में उनके मौजूदा मालिकों (धारकों) को अधिमान दिया जायगा। अमल में होगा यह कि इन फार्मों के मौजूदा मालिक (धारक) अपने मौजूदा फार्मों के एक भाग के "मालिक" होंगे और बचे हुए भाग के " प्रबन्धक"। इन "प्रबन्धक-धारक" व्यक्तियों के लिये यह अधिक कठिन नहीं होगा कि कुल फार्म का खर्च सरकार के मत्थे मढ़ कर, राजकीय फार्मों में घाटा दिखाकर एक ओर तो अपने निज के भाग से अधिक मुनाफा कमायें और दूसरी ओर राज्य के कोष से निश्चित वेतन लेते रहें। राजकीय फार्मों के लिये

"घाटा" कोई नई चीज न होगा क्योंकि जो राजकीय फार्म अब तक बने हैं वे लगभग सब के सब घाटे पर चल रहे हैं।

२८—इन तथाकथित यंत्रकृत फार्मों का उत्पादन राज्य के औसत कृषि उत्पादन से अधिक है इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। अतएव इन फार्मों के लिये विशेष व्यवस्था करने का कोई औचित्य हमारी समझ में नहीं आता।

हदबन्दी से छूट

२९—१९ श्रेणियों की भूमि को हदबन्दी से विमुक्त रखा जा रहा है। बेला, चमेली या गुलाब की खेती के अन्तर्गत भूमि को भी हदबन्दी से बरी कर दिया गया है। हम समझते हैं कि इनमें से कम से कम कुछ श्रेणियों को जिनका जिक्र हम नीचे कर रहे हैं—हदबन्दी से विमुक्त रखना उचित न होगा।

३०—हम समझते हैं कि बागों के अन्तर्गत भूमि की भी हदबन्दी होनी चाहिये। यदि सरकार चाहती है कि बागों को काटा न जाय और इनकी जमीन को साफ करके किसी अन्य कार्य में न लाया जाय तो वह ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसके अन्तर्गत बागों की अतिरिक्त भूमि को केवल बाग की तरह ही इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया जाय।

३१—भूतपूर्व शासकों, जिनकी रियासतें भारतीय संघ में विलीनीकृत हो चुकी हैं, की भूमि पर हदबन्दी लागू करने में जो वैधानिक अड़चनें पड़ेंगी उनसे हम परिचित हैं। किन्तु चूंकि हम जोतों की हदबन्दी को देश के हित में अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य सुधार समझते हैं इसलिये हमारी राय में राज्य सरकार को इन वैधानिक अड़चनों को दूर करने के लिये संघ सरकार से मिलकर आवश्यक कदम उठाने चाहिये। केवल इस लिये कि कुछ वैधानिक कठिनाइयां मौजूद हैं एक आवश्यक सुधार सदा के लिये टाला नहीं जा सकता।

३२—सहकारी बैंकों द्वारा बंधक ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित भूमि को अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त कर देने का मतलब यह होगा कि उन्हें अन्धाधुन्ध जमीन खरीदने की अनुमति दे देना। इन बैंकों की भूमि आमतौर से बिना जोते खाली पड़ी रहती है। होना यह चाहिये कि इन बैंकों को भूमि क्रय करने का तो अधिकार हो किन्तु यदि इनके पास किसी समय अधिकतम जोत से ज्यादा भूमि हो जाय तो उन्हें एक निश्चित समय के अन्दर अपनी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के लिये बाध्य किया जाय।

३३—विशेषित फार्मों (Specialised Farms) कुक्कुट–पालन, दुग्ध शाला अथवा अन्य इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त भूमि को भी हदबन्दी से विमुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इन सबके लिये आमतौर से १०–१२ एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इस उपखंड को ऐसे ही रहने दिया गया तो बहुत से बड़ी जोत वाले भूस्वामी अपनी अतिरिक्त भूमि को "विशेषित फार्म" घोषित कर देंगे। विधेयक में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है कि ऐसे "विशेषित फार्म" किसी निश्चित तारीख से पहले मौजूद होने चाहिये।

३४—उपखंड १७ के अन्तर्गत सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि जितनी भूमि वह चाहे हदबन्दी से मुक्त करके चाहे जिस व्यक्ति को दे दे। हम समझते हैं कि सरकार को इस प्रकार के व्यापक अधिकार अपने हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष कार्य के लिये किसी भी भूमि पर प्रतिकर देकर कब्जा कर लेने का अधिकार सरकार के पास अन्य कानूनों के अन्तर्गत पहले से ही मौजूद है।

मुआवजे का प्रश्न

३५—जो अतिरिक्त भूमि बड़ी जोत वालों से ली जायगी उन्हें भूमिधरी लगान का ४० गुना तथा सीरदारी लगान का २० गुना मुआवजे के रूप में दिया जायगा। यदि यह लगान

मौरूसी दर से कम होंगे तो अन्तर का २० गुना और दिया जायगा। हम समझते हैं कि मुआवजे की यह दरें अत्यधिक ह और हमारी राय में जमींदारी उन्मूलन के समय जिन दरों से मुआवजा दिया गया था वही दरें जोतों की हदबन्दी के लिये भी लागू की जानी चाहिये।

अतिरिक्त भूमि का क्या हो

३६—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हदबन्दी के बाद प्राप्त अतिरिक्त भूमि को केवल भूमिहीनों और अर्द्ध भूमिहीनों में वितरण के अतिरिक्त और किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग नहीं करना चाहिये। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे देश के शासक दल को हर कृषि सुधार सम्बन्धी विधेयक बनाते समय "सार्वजनिक प्रयोग" अथवा "सामुदायिक प्रयोजन" के नाम पर किसानों से भूमि ले लेने की बीमारी सी हो गई है। जोत चकबन्दी अधिनियम के मातहत हर गांव में सार्वजनिक प्रयोग के लिये भूमि ले लेने की व्यवस्था है और अब अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक में दोबारा अतिरिक्त भूमि के एक अंश को सामुदायिक प्रयोजनों के लिये ले लेने की व्यवस्था की जा रही है। इसका नतीजा यह होगा कि भूमिहीनों और गरीब किसानों के लिये प्रयोग में आ सकने वाली भूमि कम हो जायगी।

३७—सहकारी कृषि के सिद्धान्त रूप में प्रबल समर्थक होते हुए भी हम किसी प्रकार का दबाव डाल कर किसानों को उनकी स्वेच्छा के बगैर सहकारी कृषि समितियों में शामिल करने के स्पष्ट रूप से विरोधी हैं। हम समझते हैं कि इस प्रकार से सहकारी समितियां बनाना सहकारिता के सिद्धान्त की हत्या करना है। अतएव हमारी राय में अतिरिक्त भूमि को पहले भूमिहीनों और गरीब किसानों में वितरित करके उनके नाम इस भूमि के पट्टे कर देना चाहिये। इसके बाद नई भूमि पाने वाले किसानों को समझा बुझाकर और सहकारिता के लाभ बताकर इन समितियों में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिये।

३८—उपर्युक्त प्रकार से भूमि वितरित करते समय निम्नलिखित क्रम में अधिमान दिया जाना चाहिये :—

(क) भूमिहीन खेत मजदूर।

(ख) अलाभकर खातेदार।

(ग) भूमिहीन खेत मजदूरों की निबन्धित सहकारी कृषि समितियां।

(घ) अलाभकर खातेदारों की निबन्धित सहकारी कृषि समितियां।

नई प्राप्त भूमि पर पाने वाले किसानों या समितियों को सीरदारी अधिकार दे दिया जाना चाहिये।

सलाहकार उपसमिति

३९—योजना आयोग की भूमि सुधार उप समिति की यह स्पष्ट सिफारिश थी कि भूमि सुधार के कार्यों में अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त करने को कोशिश करनी चाहिये। किन्तु जिस रूप में आज विधेयक हमारे सामने हैं उससे स्पष्ट है कि जोतों की हदबन्दी लागू करने के कार्य में शासक दल किसी भी दौर में किसी भी प्रकार का जन सहयोग प्राप्त करने को जरा भी इच्छुक नहीं है क्योंकि विधेयक में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है।

४०—हमारी राय में विधेयक में अन्त में एक नया अध्याय जोड़ कर हर तहसील में ऐसी सलाहकार उपसमितियों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिनके सदस्य सम्बन्धित तहसील में कार्य करने वाले समस्त राजनैतिक दलों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि हों। नियत अधिकारियों के लिये हर कार्य में इन समितियों से सलाह लेना तथा यदि इन समितियों के सदस्य कोई जांच करना चाहें तो इसके लिये हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करना, अनिवार्य

होना चाहिये। हम समझते हैं कि जन सहयोग हासिल करने का यह सब से उत्तम तथा व्यवहारिक तरीका होगा।

पैरा ४१ सभापति के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

४२—अपनी इस विमति टिप्पणी को प्रवर समिति तथा राज्य के माननीय विधायकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम आशा करते हैं कि हमारे सहयोगी विधायकगण इन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक को राज्य के लाखों भूमिहीन और गरीब किसानों की आशाओं के अधिक अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। यदि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया तो हमारे राज्य में हदबन्दी केवल कागज पर रह जायगी और उसका कोई भी लाभ भूमि के लिये आकांक्षा रखने वाली राज्य की सबसे शोषित और उत्पीड़ित जनता नहीं उठा पाएगी।

२१-३-६०

जय बहादुर सिंह,
सदस्य विधान परिषद्
भीखा लाल,
स० वि० स०
भूप किशोर,
स० वि० स०

विमति टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष महोदय,

संयुक्त प्रवर समिति,

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ ई०।

सेवा में,

निवेदन है कि आपके दफ्तर से मुझ को यह कापी १८ मार्च, १९६० को सायंकाल ४ बजे मिली जब कि यह वायदा था कि ११ मार्च, १९६० को मिल जायगी।

२--उसी दिन मैं पटना अखिल भारतवर्षीय स्वतंत्र पार्टी के सम्मेलन में १९ तथा २० को सिरकत करने जा रहा था। मुझे समय पर्याप्त रूप में न मिल सका, फिर भी जो समय मिल सका उसपर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह बिल असेम्बली म पेश न किया जाय, इसलिये कि हमारा यह मत है कि भारत ऐस कृषि प्रधान देश के लिये अधिकाधिक अन्न उत्पादन ही बढ़ती हुई आबादी को अन्न, वस्त्र पहुंचाने तथा बेरोजगारी को घटाने में एक मात्र और साधन होगा।

बड़े किसानों से भूमि लेकर भूमिहीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में वितरण कर देने अथवा भूमि पाने की लालच में इन भमिहीनों द्वारा बनायी गयी निरुत्साह सहकारी समितियों से खेती करान में उत्पादन कार्य को भारी क्षति पहुंचगी और अन्न का महान संकट देश पर पड़ेगा।

दिनांक २२-३-६०।

आप का,

नौरंग सिंह

विधेयक में मेरे मत के अनुसार निम्नांकित बढ़ाया या घटाया जाना आवश्यक है--

धारा ४ (१)--जैसा कि समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है उस के बाद निम्नांकित स्पष्टीकरण बढ़ाया जाना चाहिये :--

इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिये खातेदार क परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम अभिलिखित भूमि की गणना खातेदार की जोत में उसी समय की जायगी जब कि परिवार का वह सदस्य खातेदार के साथ मुश्तरका इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पव लगातार तीन वर्ष से अपने नाम की अभिलिखित भूमि का प्रबन्ध करता रहा हो।

धारा ४ (२) ख--के आगे का प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिये।

धारा ५ (२)--इस खंड में शब्द "२० अगस्त, १९५९ ई०" के बजाय शब्द "इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक" कर दिया जाना चाहिये।

धारा ५ (३) ग--बिलकुल हटा दिया जाना चाहिये।

धारा ६ (१६)--में शब्द "अनन्य रूप से तथा" कुक्कुट पालन के बीच में शब्द "मत्स्य पालन" बढ़ा देना चाहिये।

धारा ७--इस धारा के अन्तिम "शब्द यदि तथा उसके पश्चात् (क, ख)" बिलकुल हटा दिया जाना चाहिये।

धारा १०—(२) में शब्द "दस दिन" के बजाय "२५ दिन" कर दिया जाना चाहिये।

धारा १६—(२) में शब्द "२१ दिन" के बजाय "३० दिन" कर देना चाहिये।

धारा २२ (१)—में शब्द "नकदी में" के बाद के शब्द "या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बन्धों के रूप में जो भी नियत किया जाय" हटा दिया जाना चाहिये।

धारा २३ (३)—में शब्द अवधारण के दिनांक तक के बाद शब्द "यदि धनराशि नकदी में देय हो और बन्धों के मोचन के दिनांक तक यदि धनराशि बन्धों में देय हो" हटा दिया जाना चाहिये।

धारा २४ (१)—के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा देना चाहिये:—

प्रतिबन्ध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को किसी यंत्रकृत फार्म की भूमि को राजकीय फार्म के रूप में चलाये जाने का आदेश देने का अधिकार तभी होगा जब कि ऐसे आदेश देने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व लगातार उस यंत्रकृत फार्म की आमदनी व मुनाफा का औसत उस फार्म के २० मील के अन्दर स्थित किसी राजकीय फार्म से कम होता रहा हो।

धारा २७ (४)—यह खंड बिलकुल हटा देना चाहिये।

धारा २६ (ख)—के पश्चात् निम्नांकित प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये:—

प्रतिबन्ध

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाग भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित किये जाने का आदेश प्रदान करने से पहले नियत अधिकारी खातेवार को नोटिस देगा कि वह नोटिस पाने के दिनांक से ३० दिन के अन्दर आपत्ति कर सके और साक्ष्य प्रस्तुत कर सके कि वस्तुतः वह भूमि, बाग भूमि है और उसकी हैसियत बाग भूमि को बद नहीं हुई है।

(ख) ऐसी बाग भूमि को अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित किये जाने से पूर्व नियत प्राधिकारी के लिये बाध्य होगा कि बाग भूमि के धारक व्यक्ति को समुचित अवसर प्रदान करे कि वह व्यक्ति उक्त भूमि में ६ मास के अन्दर पुनः बाग लगा सके।

नियत प्राधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि समय-समय पर उक्त आवश्यक अवधि २ मास के लिये बढ़ा दे किन्तु कुल अवधि एक साल से अधिक पाने का हकदार धारक व्यक्ति किसी हालत में नहीं होगा।

नौरंग सिंह,

दिनांक २२-३-६०।

विमति टिप्पणी

बहुमत द्वारा जो प्रारूप विधेयक का बना है उससे सहमत होना कदापि सम्भव नहीं। इसी उद्देश्य से कुछ कहना आवश्यक हो गया है। अन्यथा इस विधेयक पर कुछ चर्चा करके अपना तथा दूसरों का समय नष्ट करना है। इस विधेयक के गर्भ से लेकर जन्म होने तक बड़ी बड़ी आशायें लगी हुई थीं, उन आशाओं पर केवल पानी ही नहीं फिरा है बल्कि व्यर्थ में एक भय का वातावरण उत्पन्न कर के सरकार के कुछ कार्यालयों और भूमि सम्बन्धी कर्मचारियों को भ्रष्ट होने में सहायता मिली है। साथ ही फर्जी कागजात तैय्यार करने तथा मुकदमा बाजी को प्रोत्साहन मिला है।

इस विधेयक को सदन में लाने का उद्देश्य बहुत ऊंचा बतलाया गया है। उन उद्देश्यों से मतभेद को बहुत कम गुंजायश है। परन्तु उन उद्देश्यों को छूने में भी यह विधेयक कानून का रूप लेकर सफल हो सकेगा यह कठिन है। सब से प्रमुख उद्देश्य भूमि का उन लोगों के पास पहुंचाना है जो लाखों परिवार भूमिहीन हैं तथा वह लोग भी जिनके पास नाममात्र के लिये भूमि है। विधेयक यदि प्रवर समिति में न आया होता और सदन के सम्मुख आते ही पारित हो गया होता तो शायद कुछ लाख एकड़ भूमि अवश्य प्राप्त होती और वह भूमिहीनों को प्राप्त होती। परन्तु, सरकार विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते ही समय प्रवर समिति में उसे भेजने के विचार के साथ आई। सामान्यतः विधेयक की त्रुटियों को दूर करने के लिये बहुत ब्योरे के साथ विचार करने, संशोधन परिवर्द्धन करना प्रवर समिति का कार्य होता है। इसी को सामने रख कर विरोधी दलों ने प्रवर समितियों में इस विधेयक को भिजवाने की चेष्टा की। विरोधी दल जहां इस भावना से प्रेरित होकर प्रवर समिति में भेजे जाने में सचेष्ट थे वहां सरकारी पक्ष इस विधेयक में जो कुछ रहा सहा प्राण था उसे निष्प्राण करने के लिये ले जाना चाहता था। सरकार अपने प्रयत्न में सफल हुई और मूल विधेयक के पारित होने से जितनी भूमि पुनर्वितरण के लिये निकलने वाली थी उससे कई गुना कम, वर्तमान विधेयक के द्वारा जिसे प्रवर समिति ने सुधार कर भेजा है, मिलेगी।

सहकारी खेती के लिये भी भूमि प्राप्त होने का सपना विधेयक में है। इसी प्रकार गांवों के सार्वजनिक प्रयोग के लिये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का यह निश्चित तथा स्पष्ट मत है कि यदि सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाना है और देश में उसके विरुद्ध फैले हुए व्यापक भ्रम को दूर करना है तो उसे उदाहरण के तौर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में हदबन्दी द्वारा प्राप्त भूमि पर सहकारिता का सफल प्रयोग किया जाय ताकि उसकी सफलता को देख कर उस महान् कार्य को गति और बल मिल सके। यह स्पष्ट हो सके कि सहकारिता का अर्थ कोई जोर, दबाव अथवा वर्तमान व्यवस्था से निकृष्ट व्यवस्था की ओर नहीं जाना है बल्कि पूर्णतः अपनी इच्छा के अनुसार मिल कर ग्रामीणों के जीवन को सुखमय तथा भरा पूरा बनाने का प्रयास है। यह तो तभी हो सकता था जब कि हदबन्दी के बाद भूमि इतनी मात्रा में उपलब्ध होती कि कम से कम प्रत्येक जिले में दस बीस फार्म ऐसे खोले जाते। यह फार्म अवश्य ही भूमिहीनों की मिल्कियत होते परन्तु उन भूमिहीनों द्वारा बनी हुई सहकारी समितियों को हर प्रकार से सहायता करके सरकार इन फार्मों को उत्पादन में सफल कर के सारे देश का ध्यान इस ओर करती। फिर आज के फैले हुये व्यापक भ्रम को दूर कर देश में कृषि व्यवस्था का एक नया अध्याय आरम्भ होता। दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति बनाने में यह विधेयक असमर्थ रहेगा। इसलिये कि अनेक कठिनाइयां जो इस विधेयक में भूमि मिलने के मार्ग में उत्पन्न की गयी हैं उन्हें पार करना असम्भव है। हां, इन उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ छोटी-मोटी सफलता मिले तो इतने बड़े कदम उठाने के बाद उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

अब मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिनके कारण अतिरिक्त भूमि नहीं मिल पायेगी और ऐसा अधिनियम बनाकर एक प्रकार से जोत-हदबन्दी को बदनाम कर दिया जायगा।

सब से पहले मैं उस परिवर्तन को सामने लाना चाहता हूं जिसे समिति के बहुमत ने स्वीकार किया है। मूल विधेयक में ५ रुपये प्रति एकड़ मालगुजारी लगने वाली भूमि को 'अच्छी प्रकार' की भूमि माना गया था। उसे बदल कर अब ६ रु० से अधिक प्रति एकड़ मालगुजारी की भूमि को 'अच्छी प्रकार' की भूमि मान लिया गया है। इसी प्रकार ६ रु० से ४ रु० तक अथवा ४ रु० से नीचे। इस प्रकार हम देखेंगे कि मूल विधेयक में ४० एकड़ भूमि ५ रु० से अधिक मालगुजारी होने पर मिलती और ५ से ४ रु० के बीच में ६० एकड़ तथा ३ रु० से कम पर ८० एकड़। परन्तु समिति के निश्चय के अनुसार ६ रु० से ४ रु० तक ६० एकड़ और ४ रु० से नीचे ८० एकड़ भूमि मिलेगी। इस प्रकार मूल विधेयक के ४० एकड़ को अब यह कहना चाहिए कि ४७,७० तथा ६४ एकड़ मालगुजारी के अनुसार अधिकतम जोत की सीमा होगी। और ठीक इसी प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों के लिये जो प्रस्ताव है बढ़ जायगा। मालगुजारी विभाग के अनुसार इस प्रकार ३ लाख के आस पास भूमि मिलने का अनुमान है। परन्तु इसके बाद जो शर्तें विधेयक में हैं उन्हें देखते हुये यह सपना मालूम होता है।

अब उनमें से प्रमुख बाधाओं को मैं सामने रखना चाहता हूं :

१—उन सभी बागों की जमीन को मुक्त कर दिया गया है जो १ मई तक बाग की श्रेणी में आ गये। और बाद में भी बाग लगाने की सुविधा के नाम पर कुछ भूमि मुक्त की जा सकेगी।

२—कुछ विशेष प्रकार के फार्मों को मुक्त कर देने का अनियन्त्रित अधिकार सरकार के हाथ में रहेगा। तथा फार्मों के मालिकों को सरकारी फार्म के मैनजर बना देने की व्यवस्था है।

३—२० अगस्त, १९५९ तक के जबानी पारिवारिक समझौते से पृथक् खाता मान लेने की व्यवस्था जिसके अनुसार परिवार का कोई सदस्य अपने को किसी समय २० अगस्त, १९५९ से पहले पृथक् कह कर अपने लिये अधिकतम भूमि जो नियत है प्राप्त कर सके।

४—केवल उक्त तीन विमुक्तियों द्वारा जितनी भूमि उचित अथवा अनुचित तरीके से वर्तमान भूमिपतियों को पास रह जायगी यह स्पष्ट है। इन सब का प्रभाव उसी अतिरिक्त भूमि पर पड़ेगा जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है कि पूरे प्रदेश में तीन लाख एकड़ के लगभग अतिरिक्त भूमि प्राप्त होने का अनुमान है। इस पर विचार करने के लिए प्रस्तावित खंड ४, ५ और ६ को देखने की आवश्यकता है।

१५ से २० अगस्त की तिथि को बदल देनेका अर्थ समझने में मैं असमर्थ रहा। मुझे सन्देह है कि इन ५, ६ दिनों में बड़े पैमाने पर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी भूमि का निस्तारण किया है। यह व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रभाव में वर्तमान शासन है। उस तिथि को न केवल यह कि १ जनवरी, १९५९ कराने में मुझे सफलता नहीं मिली बल्कि १५ अगस्त, १९५९ जो मूल विधेयक में था उसकी भी रक्षा न हो सकी। यह भी एक कारण अतिरिक्त भूमि के घट जाने का है।

समिति के इस विचार से भी मैं सहमत न हो सका जिसके अनुसार प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न प्रकार से इस अधिनियम को लागू करने की विधि तथा तिथि सरकार के हाथ में छोड़ने की व्यवस्था है। हमारे प्रदेश में इसके कारण आज ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ऐसे नियम और अधिनियम लागू हैं जो बहुत प्राचीनता की याद दिला कर परिवर्तन की पुकार करते हैं। परन्तु किसी न किसी कारण उन हजारों भूमि जोतने वालों के कष्ट को दूर नहीं किया जा सका जो ऐसे क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

मैं यह भी नहीं समझ सका कि समिति ने इस बात को मानने से क्यों इन्कार किया कि अतिरिक्त भूमि के निर्णय करने में उस गांव के किसी व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार दे कि वह अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो कर कह सके। उन भूमिहीनों को यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिए जो ऐसे गांवों के हों जहां की अतिरिक्त भूमि के संबंध में निर्णय हो रहा हो।

कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों की ओर ही इस समय ध्यान दिला सका हूं। अन्य अनेक ऐसे स्थान हैं जिनके सम्बन्ध में कहा जा सकता है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि समिति ने मेरे इस सुझाव को मानने से क्यों इन्कार कर दिया कि २० एकड़ अधिकतम एक परिवार को जिसकी संख्या पांच और ३० एकड़ तक अधिक संख्या के परिवार होने पर भूमि की सीमा निर्धारित की जाय ताकि विधेयक के उद्देश्य की रक्षा हो सके। यह कहा जा सकता है कि शहरी आय के अनुपात में ग्रामीण आय को रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है परन्तु यह निर्विवाद है कि ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबले में अभी काफी दिनों तक कम रहेगी क्योंकि इस दिशा में कोई सफल प्रयत्न नहीं हो रहा है। और प्रदेश के ग्रामीणों की स्थिति अपने ही देश के अन्य प्रदेशों से पिछड़ी हुई है। वह वर्तमान नीति के चलते आगे भी पिछड़ी रहेगी। यदि मुट्ठी भर लोगों को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहर के उद्योगपतियों की समता में लाने की चेष्टा की जायगी तो अपने देश का भविष्य अन्धकार मय होगा। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है। ७० और ८० प्रतिशत के बीच कृषि पर आश्रित यहां की जन संख्या है। किस प्रकार इस पूरी जनसंख्या को एक निम्नतम जीवन यापन की सुविधा राज्य प्रदान कर सकेगा, यही आज की मुख्य समस्या है। उद्योग द्वारा गांवों को सुखी करने का सपना पूरा हो इस पवित्र विचार से किसे इन्कार होगा? हमारे प्रदेश के उद्योगपति ग्रामीण धंधे जो पहले से भी थे उन्हें नष्ट कर देने पर तुले हैं और जाने-अनजाने सरकार उनके साथ है। फिर एक ही साधन है जिसका उचित उपयोग करके हम बहुत संख्यक देशवासियों को कमर सीधी करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अतिरिक्त पूंजी की विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है। इसकी टेक्निक को ग्रामीण अशिक्षित वर्ग बखूबी जानता है। प्रश्न यह है कि इसका समुचित बटवारा हो तथा इसके साथ इसके उपयोग करने का ढंग बदले। फिर उत्पादन की वृद्धि हो और अन्न संकट जैसे विपत्ति से राष्ट्र को छुटकारा मिले। २० और ३० एकड़ की सीमा आरोपण से भी समस्या सुलझ नहीं जायगी। परन्तु इतनी भूमि मिल सकेगी जिससे हम उन ग्रामवासियों की कुछ सेवा कर सकेंगे जो सैकड़ों वर्ष से दयनीय जीवन बिता रहे हैं। यदि सौ में एक का स्टैन्डर्ड कुछ कम भी हो जाय और २० या २५ को जीवन यापन का साधन मिल सके तो प्रत्येक समझदार आदमी इसे पसन्द करेगा। यही विचार सामने रख कर मैं न तो १२ एकड़ और न समिति की वर्तमान सीमा को पसन्द करता हूं।

उत्पादन की दृष्टि से भी १० से २५ एकड़ का अनुभव है कि सर्वोत्कृष्ट उपज प्राप्त हो सकती है। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के ६०७ पन्ने पर कुछ देशों का जिक्र है। अन्यत्र भी देखने से यह निर्विवाद है कि १० से २० एकड़ की खेती अधिकतम उपज देने में समर्थ हुई है। इस लिए इस भ्रम को बिलकुल निकाल देना चाहिए कि गांव के लोगों का जीवनस्तर इस विकसित अर्थव्यवस्था में बहुत गिर जायगा। सरकार और सम्पन्न वर्ग एक बार यह सोचें कि आज कृषक को अपने उपज का मूल्य कैसे मिल जाय। शायद भूमि के अन्तर से अधिक प्राप्तियां उन्हें हो जायेंगी। जिस जनतंत्र का समाजवाद से नाता हो उसे वर्तमान विषमता को मिटाने पर ही जीवित रहना है। इसका प्रारम्भ गांवों से होगा इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। हां, मैं इस बात को फिर एक बार वर्तमान शासन को याद दिलाना चाहता हूं जिसे १४ अगस्त, १९४६ को जमींदारी विनाश के प्रस्ताव के साथ एक प्रस्ताव उद्योगों को भी हस्तगत करने के लिए दिया गया था। यदि इस प्रस्ताव की ओर रत्ती भर भी शासन का ध्यान होता तो शायद आज उसे भूमि सम्बन्धी विषमता दूर करने में बड़ी सहायता मिलती। वह प्रस्ताव इस प्रकार है:

> "इस असेम्बली का यह मत है कि समाज के कल्याण के लिये पूंजीवाद का उसके सभी रूपों में अन्त अनिवार्य है और उसे यह विश्वास है कि उत्पादन, विनिमय और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण करने के लिए यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र कार्यवाहियां की जायेंगी।"

मालगुजारी के संबंध में जब समिति ने विचार किया मैं उपस्थित न रह सका। मुझे खेद है कि उस सम्बन्ध में विचारों में असहमत होते हुए भी मैं कुछ लिख न सकूंगा।

गेंदा सिंह,

२३ मार्च, १९६० सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंडों को पुराने खंडों के सामने छापा गया है एवं पुराने खंडों में से समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने तथा उससे संबंधित कतिपय अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये;

विधेयक

सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोक-हित साधन हो;

और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है;

और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा २ में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा तथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों

(ख) "अच्छी औसत प्रकार की भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी लागू मौरूसी दर पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो ;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य पति या पत्नी जैसी भी दशा हो, आश्रित पिता, आश्रित माता, विवाहित पुत्रियों तथा पृथक हुए बच्चों से भिन्न बच्चों और पृथक न हुए पुत्र की बधू या विधवा से है;

उ० प्र० अधि-नियम संख्या ५, १९५४
उ० प्र० अधि-नियम संख्या ३१, १९५७

स्पष्टीकरण १—इस खंड के प्रयोजनों के लिये बच्चा उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब पारिवारिक समझौते अथवा न्यायालय की डिक्री के अधीन उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसका अंश पृथक कर दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश वृहत्-जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो।

स्पष्टीकरण २—बच्चों के अन्तर्गत मृत पुत्र के बच्चे भी होंगे।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधि-नियम संख्या १
यू०पी० ऐक्ट सं० १७, १९३९ ई०

(घ) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव समाज के असामी या १९५० ई० का उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ के अधीन असामी अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अधीन शिकमी काश्तकार (sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार के या सरकारी पट्टेदार के रूप में हो।

(ङ) "यंत्रकृत फार्म" का तात्पर्य उस जोत से है जिस पर, इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पूर्व लगातार तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक मुख्यतया ट्रैक्टर द्वारा खेती की गई हो;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत परिवार भी सम्मिलित होगा;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ उल्लिखित किये जायं इस अधिनियम के अधीन "नियत प्राधिकारी" के कृत्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

(ख) "अच्छे प्रकार की भूमि" का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो ;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य इस प्रकार से है कि उसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित सम्बन्धियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हो, समावेश है :

(१) पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो;

(२) आश्रित पिता तथा आश्रित माता;

(३) पुत्र तथा पुत्र का पुत्र, जब तक कि वे धारक से पृथक् न हुये हों;

(४) उपखंड (३) में उल्लिखित व्यक्तियों की पत्नी या विधवा;

(५) पुत्री तथा पृथक् न हुये पुत्र की पुत्री, जब तक कि वे अविवाहित रहें।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निर्बाधित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद में, या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२—ख के अधीन उसे पृथक अंश दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४
उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५४

१९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम संख्या १
यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९

(घ) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव-समाज के असामी या "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९, के अधीन, शिकमी काश्तकार (sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार या सरकारी पट्टेदार अथवा, यदि शिकमी-पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो तो, सरकारी पट्टेदार के शिकमी-पट्टेदार के रूप में हो;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत परिवार, सीमित दायित्व समवाय (Limited Liability Company) तथा किसी विधि के अधीन निर्बाधित समिति भी होगी;

(ट) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी व्यक्ति के पास प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो; तथा

[(ठ)] (ड) उन शब्दों तथा पदावलियों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गयी है किन्तु जिनका प्रयोग १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिये गये हैं।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र

४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से।

(२) (क) किसी एक व्यक्ति की या पांच से अधिक सदस्यों वाले किसी परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का समझा जायगा।

(ख) पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ और इसके अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये आठ एकड़ का समझा जायगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के चौबीस एकड़ से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन अच्छी औसत प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्र की गणना में ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो किन्तु पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, और ऐसी भूमि के दो एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छी औसत प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायंगे।

(३) किसी ऐसी निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी समिति की दशा में जिसके सदस्यों के पास अपने व्यक्तिगत नामों में भूमि हो, अधिकतम क्षेत्र समिति के समस्त सदस्यों के ऐसे अधिकतम क्षेत्रों का योग समझा जायगा जिनकी गणना उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार की गयी हो।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

(ट) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी खातेदार के पास उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुवें और वृक्ष भी हैं।"

(ठ) "खातेदार" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो;

(ड) "सहकारी समिति" का तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) किसी सहकारी समिति से है; तथा

"४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से।

(२) (क) एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अच्छे प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का होगा,

(ख) यदि खातेदार के परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (क) में उल्लिखित क्षेत्र और इसके अतिरिक्त, परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये अच्छी प्रकार की भूमि के आठ एकड़ अधिक का होगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के चौबीस एकड़ से अधिक न होगी,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न रह जाय तो वह समस्त भूमि जो खातेदार के पास खंड (क) के अधीन अधिकतम क्षेत्र से अधिक होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की गणना करने में, ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ से अधिक, किन्तु छः रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, तथा ऐसी भूमि के दो एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायंगे।"

अध्याय २

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण

५—(१) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से कोई व्यक्ति किसी जोत में इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था से अन्यथा प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा, भले ही उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, रूढ़ि अथवा प्रथा में या अनुबन्ध में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में १५ अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध किसी हिन्दू संयुक्त परिवार की जोत संबंधी किसी ऐसे विभाजन, वाद या कार्यवाही पर प्रवृत्त न होंगे जो १५ अगस्त, १९५९ को विचाराधीन हों।

उन व्यक्तियों को जिनके पास अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिये सामान्य नोटिस

६—इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी सरकारी गजट में नोटिस प्रकाशित करके ऐसे सब व्यक्तियों को जिनके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्यौरों सहित जो नियत किये जायं, एक विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायं, जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

"अध्याय २"

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण, विमुक्तियां तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण।

५—(१) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक से कोई खातेदार, इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था से अन्यथा, अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा, भले ही उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, रूढ़ि अथवा प्रथा में या अनुबंध में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में २० अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गये ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :

(क) राज्य सरकार के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन विभाजन, या

(ग) २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन वाद या कार्यवाही द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की जोत का विभाजन।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति

६—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, किसी खातेदार के सम्बन्ध में, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और उसकी अतिरिक्त भूमि के अवधारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विचार नहीं किया जायगा :

(१) वह बाग-भूमि जो इस रूप में पहली मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(२) वह भूमि जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो;

(३) वह भूमि, जिसका क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक न होगा, जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, उपयोग में लायी जाती हो;

(४) वह भूमि जिस पर निवास-गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र;

(५) वह भूमि जिस पर कब्रें हों या जो श्मशान-भूमि के रूप में प्रयुक्त होती हों;

(६) वह भूमि जो चाय, काफी या रबड़ की रोपस्थलियों के प्रयुक्त होती हों;

(७) वह भूमि जो भेषज्य तथा ऐसी जड़ी-बूटी की तथा अन्य रोपस्थलियों के रूप में प्रयुक्त होती हों, जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विमुक्त करे;

(८) वह भूमि जो १ मई, १९५९ के पहले से किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध (Endoument) के पास या अधीन हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबन्ध का वही अर्थ होगा जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ७६ में दिया गया है :

ऐक्ट संख्या २१, १८६०

(९) वह भूमि जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धत किसी समिति या निगमित निकाय के पास किसी शिक्षा-संस्था के प्रयोजनों के लिये हो;

(१०) वह भूमि जो नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात गोसदनों तथा गोशालाओं के पास हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(११) वह भूमि जो संघ सरकार की सम्पत्ति हो तथा वह भूमि जो राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में, जिसके अन्तर्गत गांव-सभा भी है, निहित हो या उसके कब्जे में हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ३ के खंड (१४) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये उठा दी गयी हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(१२) वह भूमि जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११७ या ११७-क के अधीन किसी गांव समाज या स्थानीय प्राधिकारी (स्थानिक प्राधिकारियों) में निहित हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो उक्त अधिनियम के अधीन उठा दी गई हो;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०

(१३) वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान यज्ञ समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो;

(१४) वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन-सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों या उससे संलग्न सांपार्श्विक पत्रों (collatral letters) के कारण राज्य सरकार द्वारा बिना उक्त शासक के सहमति के अर्जित न की जा सकती हो;

(१५) वह भूमि जो किसी सहकारी बैंक (Co-operative Bank) द्वारा किसी खातेदार से बन्धक-ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की गयी हो;

(१६) केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialized) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट-पालन या दुग्धशाला कार्य (Dairying) अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो;

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को नोटिस

७—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ६ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, एक विवरण तैयार करायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं तथा जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिये जायेंगे जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो।

(२) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तामील करायेगा जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो अवधि उसकी तामील के दिनांक से १० दिन से कम की न होगी, कारण प्रकट करे कि उक्त विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण

८—(१) यदि धारा ६ के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय अथवा यदि धारा ७ के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी तदनुसार उस व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा।

(२) नियत प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन आदेश दिया गया हो, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उक्त आदेश को रद्द कर सकता है तथा उक्त व्यक्ति को धारा ७ के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे सकता है और धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो।

(४) उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा तथा उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

<u>स्पष्टीकरण</u>—इस खंड के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत वह भूमि भी होगी जो खातेदार द्वारा अनन्य रूप से अपनी दुग्धशाला के प्रयोजनों के लिये चारा उगाने के लिये प्रयुक्त होती हो।

(१७) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण तथा कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों की कृषि के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गयी हो, तथा

(१८) वह भूमि जिस पर ऐसी फार्म की सड़कें (Farm Roads) हों जो पूरे वर्ष गाड़ियों के यातायात के लिये प्रयुक्त होती हों।

पान, केवड़ा, बेला आदि की कृषि वाली भूमि को विमुक्त करना।

७—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी किसी खातेदार की वह भूमि, जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो, अधिकतम जोत-सीमा-आरोपण से विमुक्त होगी, यदि :

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जो अन्य किसी प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को, जो अन्य प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो धारा ९ या १० के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ में उल्लिखित असामी की भूमि तथा धारा ३ के खंड (घ) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार की भूमि को विमुक्त करना।

८—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, भूमिधर की उस भूमि का, जो उसके असामी की जोत में सम्मिलित हो, और सरकारी पट्टेदार की उस भूमि का, जो उसके शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो, ऐसे असामी या शिकमी-पट्टेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार का, जैसी भी दशा हो, अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में विचार नहीं किया जायगा।

(२) किसी भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की ऐसी भूमि का, जो असामी या शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो और जो उस असामी या शिकमी पट्टेदार की अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी हो, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की प्रार्थना पर, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के साथ बन्दोबस्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथास्थिति असामी या शिकमी पट्टेदार को देय प्रतिकर उसके द्वारा दिये जाने पर, किया जा सकता है।

आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण

९—(१) यदि धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में या धारा ८ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाय तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसका निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा ।

(२) यदि धारा १० के अधीन अपील प्रस्तुत की जाय तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुये, उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अपील

१०—(१) धारा ९ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो ।

(२) जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तथा उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो जिला न्यायाधीश नियत प्राधिकारी द्वारा धारा ९ के अधीन दिये गये आदेश के प्रवर्तन को ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो उचित समझी जायं ।

अतिरिक्त भूमि का अर्जन

११—(१) नियत प्राधिकारी—

(एक) उस दशा में जब धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश अंतिम हो गया हो , अथवा

(दो) यदि धारा ९ के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उसके लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अथवा

(तीन) यदि धारा १० के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो उसके निर्णय के पश्चात् ;

धारा ८, ९ या १० के अधीन, जैसी भी दशा हो, अवधारित अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में विज्ञापित करेगा और तत्पश्चात् वह भूमि, उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित की जायगी और अर्जित की गई समझी जायगी तथा वह समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जायगी और निहित हुई समझी जायगी तथा उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से उस भूमि में स्वत्व का दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर कोई व्यक्ति जो उस अतिरिक्त भूमि में जिसके संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई हो, स्वत्व का दावा

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

उन खातेदारों को जिनके पास अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिये सामान्य नोटिस

९—इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी सरकारी गजट में सामान्य नोटिस प्रकाशित करके ऐसे प्रत्येक खातेदार से, जिसके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्योरों सहित जो, नियत किये जायं, अपनी समस्त जोतों के सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करे । विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायंगे जिसके या जिनके लिये वह विमुक्ति का दावा करे और वे गाटे भी दिखाये जायंगे जिन्हें कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें ।

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को नोटिस

१०—(१) यदि कोई खातेदार धारा ९ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायें । इस विवरण में विशेष रूप से धारा ६ या ७ के अधीन विमुक्ति भूमि, यदि कोई हो दिखाई जायगी तथा वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसे या जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो ।

(२) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रत्येक ऐसे खातेदार पर तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करे कि विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय । निर्दिष्ट अवधि नोटिस की तामील के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी ।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण

११—(१) यदि धारा ९ के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय अथवा यदि धारा १० के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी खातेदार की अतिरिक्त भूमि तदनुसार अवधारित करेगा ।

(२) नियत प्राधिकारी ऐसे खातेदार द्वारा जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, प्रार्थना दिये जाने पर और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उस खातेदार को धारा १० के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और धारा १२ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(३) उपधारा (२) और धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

करता हो उस विज्ञप्ति के तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी के समक्ष ऐसी भूमि का उल्लेख करते हुए जिसमें वह स्वत्व का दावा करता हो आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(३) नियत प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता, सम्बद्ध खातेदार तथा राज्य सरकार को सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त आपत्ति को निस्तारित करेगा।

स्पष्टीकरण—नियत प्राधिकारी आपत्ति का निस्तारण करने में पक्षों के अधिकारों पर किसी सक्षम न्यायालय के किसी भी अंतिम निर्णय को स्वीकार करेगा। यदि भूमि में अधिकारों के संबंध में कोई अपील विचाराधीन हो तो जहां तक वह ऐसी भूमि से संबंधित हो, वह अवसित (abate) हो जायगी और नियत प्राधिकारी आपत्तियों का निर्णय करेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में उक्त भूमि स्थित हो। जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(५) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् तथा उपधारा (३) और (४) के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए किसी भी समय अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

१२—(१) यदि धारा ११ की उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उसे इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से २१ दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर इस संबंध में निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान :—

(एक) एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों की देख-भाल करे या उन्हें इकट्ठा करे या हटाये, तथा

(दो) अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर एकत्रित न की गयी फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की देखभाल न करे या उसे इकट्ठा न करे या न हटाये, तो कलेक्टर ऐसी फसल, फलों, पेड़ों या सम्पत्ति को ऐसी रीति से जो नियत की जाय हटा सकता है या हटवा सकता है अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है।

(३) यदि किसी सम्पत्ति का उपधारा (२) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो कलेक्टर को उसके हकदार प्रतीत हों :

प्रतिबंध यह है कि यदि कलेक्टर यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि उक्त आय का अवशेष किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है या उसका किस प्रकार विभाजन किया जाय तो वह संबद्ध पक्षों को निदेश दे सकता है कि वे विवादग्रस्त

आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण

१२—(१) यदि धारा १० की उपधारा (२) के अधीन या धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन अथवा धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के परिणाम-स्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, अपने कारणों को अभिलिखित करके आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा।

(२) धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें। तत्पश्चात् विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा।

(४) इस धारा के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने का जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, अवधायक प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर, अथवा प्रथम श्रेणी का कोई अन्य असिस्टेंट कलेक्टर जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, कर सकता है।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति

१३—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विचार किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं किया जायगा——

(१) वह बाग भूमि जो इस रूप में पहली मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो;

(२) वह भूमि जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो; (१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १)

(३) वह भूमि जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं उपयोग में लाई जाती हो, और जिसका कुल क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक न हो;

(४) वह भूमि जिस पर निवास गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र;

(५) वह भूमि जिस पर बाग हो किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि नहीं है;

(६) वह भूमि जिस पर चाय, काफी तथा रबड़ की रोपस्थलियां हों;

(७) वह भूमि जिस पर भेषज्य तथा ऐसी जड़ी-बूटी की तथा अन्य रोपस्थलियां हों जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विमुक्त करे;

(८) वह भूमि जो किसी दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध (Endowment) के पास या अधीन हो;

(९) वह भूमि जो किसी धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध के पास या अधीन पहली मई, १९५९ के पहले से लगातार रही हो;

स्पष्टीकरण——खण्ड (८) तथा (९) के प्रयोजनों के लिये किसी दानोत्तर या धर्मोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध का वही अर्थ होगा जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ७६ में दिया गया है। (१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १)

(१०) वह भूमि जो किसी शिक्षा संस्था के प्रयोजनों के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबंधित किसी समिति या किसी निगमित निकाय के पास हो; (ऐक्ट सं० २१, १८६०)

(११) वह भूमि जो राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से अभिज्ञात गोसदनों तथा गोशालाओं के पास हो;

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

अपील

१३—(१) धारा ११ की उपधारा (२) या धारा १२ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो।

(२) जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्यशीघ्र निस्तारित करेगा तथा उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो जिला न्यायाधीश उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो ठीक और उचित समझी जायं।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

(१२) वह भूमि जो संघ सरकार की सम्पत्ति हो तथा वह भूमि जो राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है निहित हो या उसके कब्जे में हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ के खंड (१४) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये उठा दी गयी हो;

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(१३) वह भूमि जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ या ११७-क के अधीन किसी गांव-समाज या स्थानिक अधिकारिकी में निहित हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो उक्त अधिनियम की धारा १९८ के अधीन उठा दी गयी हो;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०

(१४) वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान यज्ञ समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो;

(१५) वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के भूतपूर्व शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन सम्बन्धी अनुबन्ध की शर्तों या उससे संलग्न संपार्श्विक पत्रों के कारण राज्य सरकार द्वारा बिना उस भूतपूर्व शासक की सहमति के अर्जित न की जा सकती हो;

(१६) वह भूमि जो किसी भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Bank) या जिला सहकारी बैंक (District Co-operative Bank) द्वारा किसी खातेदार से बंधक-ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की गयी हो;

(१७) केवल कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialized) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट-पालन, दुग्ध व्यवसाय (dairying) या चारा उगाने के या इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों के लिये जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो;

(१८) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण के पश्चात् कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, पट्टे पर दी गयी हो।

पान, केवड़ा, बेला आदि की कृषि वाली भूमि को विमुक्त करना

१४—(१) यदि किसी व्यक्ति की भूमि जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो; और

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जिस पर अन्य किसी प्रकार की खेती होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को जिस पर अन्य प्रकार की खेती होती हो धारा ६ या ७ के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे,

तो ऐसी समस्त भूमि जोत की अधिकतम सीमा के आरोपण से विमुक्त होगी, भले ही इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई अन्य बात हो।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसार घोषणा नहीं करता अथवा यदि वह क्षेत्र जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

अतिरिक्त भूमि का अर्जन।

१४—(१) नियत प्राधिकारी :

(१) उस दशा में जब धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो; अथवा

(२) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उसके लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात्; अथवा

(३) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो उसके निर्णय के पश्चात्;

धारा ११, १२ या १३ के अधीन, जैसी भी दशा हो, अवधारित अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में विज्ञापित करेगा।

खेती की जाती हो प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से कम हो और उसकी अन्य प्रकार की खेती के क्षेत्र से मिलकर वह प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, तो धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार अधिकतम सीमा आरोपित की जायगी।

ऐसे असामी को भूमि को विमुक्त करना जिसके पास "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ के अधीन भूमि हो।
१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

१५—(१) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी मुख्य खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में उसकी उस भूमि का जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ के अधीन भरण-पोषण के लिये उसके असामी के पास हो, उस समय तक जब तक कि वह भूमि इस प्रकार उसके असामी के पास रहे असामी के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, विचार नहीं किया जायगा।

(२) आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त हो कर राज्य को हस्तांतरित तथा उसमें निहित हो जायगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर कोई व्यक्ति, जो खातेदार या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार के रूप में उस अतिरिक्त भूमि में, जिसके सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई हो, स्वत्व का दावा करता हो, उस विज्ञप्ति के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी के समक्ष ऐसे भूमि में अपने स्वत्व की मात्रा बताते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(४) नियत प्राधिकारी आपत्तिकर्ता, सम्बद्ध खातेदार तथा राज्य सरकार को सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुये आपत्तियां निस्तारित करेगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में उक्त भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो। जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(६) इस धारा के अधीन आपत्ति या अपील का निस्तारण करने में नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश, जैसी भी दशा हो, पक्षों के अधिकारों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेगा।

(७) ऐसे खातेदार या खातेदार के पट्टेदार से जिसका अतिरिक्त भूमि में अधिकार, आगम या स्वत्व यहां पहले दिये गये उपबन्धों के अधीन स्वीकार किया गया हो, भिन्न किसी व्यक्ति के विषय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जायगा कि उक्त अतिरिक्त भूमि में उसका कोई अधिकार, आगम या स्वत्व है।

(८) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय तथा उपधारा (४) और (५) के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण।

१५—(१) यदि धारा १४ की उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में भूमि हो, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह:

(१) ऐसी अवधि के भीतर जो आवश्यक हो, उक्त भूमि पर विद्यमान असंगृहीत फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें संगृहीत करे या हटाये;

(२) ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर विद्यमान फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति को संगृहीत न करे या न हटाये तो कलेक्टर किसी ऐसी फसल या वृक्षों के फलों अथवा सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है और सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है।

ऐसी भूमि का बन्दोबस्त

(२) मुख्य खातेदार द्वारा प्रार्थना की जाने पर तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे असामी को देय प्रतिकर का भुगतान किये जाने पर किसी ऐसी भूमि का जो उस असामी के पास अपने प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो और जो अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गई हो, मुख्य खातेदार के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, उसके (मुख्य खातेदार) के साथ बन्दोबस्त किया जा सकता है।

बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त

१६—(१) धारा ५ में किसी बात के होते हुये भी, तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का जो, यदि उपलम्य हो, तो कम से कम दो एकड़ तथा अधिक से अधिक दस एकड़ होगा, उसके साथ उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का वचन लिखित रूप में देने पर बन्दोबस्त किया जा सकता है।

(२) यदि किसी भूमि का इस प्रकार बन्दोबस्त कर दिया गया हो और नियत अवधि के भीतर उस पर बाग न लगाया जाय तो ऐसी भूमि नियत प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से, ऐसी रीति के अनुसार जो नियत की जाय, वापस ली जा सकती है।

(३) उपधारा (२) के अधीन किये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध कलेक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकता है जो सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किय जायेंगे उस पर अपना निर्णय देगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर का निर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायगी।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

(३) जब किसी फसल, फलों या सम्पत्ति का उपधारा (२) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात, उस व्यक्ति को किया जायगा, जिसके कब्जे में वह (फसल, फल या सम्पत्ति) थी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी विक्रय से होने वाली आय का दावा कलेक्टर के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाय तो कलेक्टर उस दावे का निर्णय करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन करेगा और तदनुसार भुगतान का आदेश देगा। यदि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, कलेक्टर ऐसे दावे का निर्णय करने में अथवा विभाजन करने का आदेश देने में असमर्थ हो तो वह सम्बद्ध पक्षों को यह निदेश देगा कि वे विवाद ग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें। तत्पश्चात विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, उस न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा।

बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त।

१६—(१) धारा ५ में किसी बात के होते हुये भी, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, किसी खातेदार की अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का, जो अधिक से अधिक दस एकड़ होगी, उसके साथ बन्दोबस्त, उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का वचन लिखित रूप में देने पर, किया जा सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन बन्दोबस्त की हुई भूमि पर नियत अवधि के भीतर बाग न लगाया जाय, तो वह भूमि नियत प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से, ऐसी रीति से जो नियत की जायं, वापस ली जा सकती है।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जो उस व्यक्ति को सुनवाई का तथा साक्ष्य (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अध्याय ३

प्रतिकर [के सिद्धान्त] का अवधारण तथा भुगतान

प्रतिकर की गणना की रीति

१७—(१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका किसी भूमि में अधिकार, आगम या स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया गया हो, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में दी हुई रीति से अवधारित प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त रीति से अवधारित प्रतिकर के अन्तर्गत वह प्रतिकर भी, यदि कोई हो, जो उपधारा (२) में व्यवस्थित रीति से शिकमी काश्तकार या असामी, को देय हो,

(२) मुख्य खातेदार और उसके शिकमी काश्तकार या असामी का प्रतिकर निम्नलिखित रीति से विभाजित किया जायगा—

(क) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिये हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि का ७/८ भाग दिया जायगा तथा शेष मुख्य खातेदार को दिया जायगा;

(ख) यदि शिकमी काश्तकार या असामी जीवनपर्यन्त स्वत्व रखता हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि का ३/८ भाग दिया जायगा और शेष भाग मुख्य खातेदार को दिया जायगा।

(ग) यदि शिकमी काश्तकार या असामी के पास भूमि एक वर्ष से अधिक की किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो उसे अव्यतीत अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये शिकमी काश्तकार या असामी के एक वर्ष के लगान की दर से भुगतान किया जायगा ;

(घ) यदि शिकमी काश्तकार या असामी के पास भूमि एक वर्ष के या वर्ष प्रति वर्ष के लिये हो तो उसे प्रतिकर की कोई धनराशि नहीं दी जायगी।

प्रतिकर अधिकारी

१८—धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर के निर्धारण से और उसके हकदार व्यक्ति को उसके भुगतान से संबंधित समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी।

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

१९—(१) प्रतिकर अधिकारी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के अधीन अर्जित की गई हो, प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा जो नियत की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह नोटिस में उल्लिखित की जाने वाली अवधि के भीतर, जो उसके तामील किये जाने के दिनांक से चौदह दिन से कम की न होगी, यह कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका को क्यों न अन्तिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

प्रतिकर की गणना की रीति

१७—"(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक खातेदार, जिसकी अतिरिक्त भूमि पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गयी है, अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १

(२) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, "जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार के प्रतिकर में से प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय प्रतिकर उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि की मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी, किसी भी दशा में, खातेदार को देय प्रतिकर के एक-चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। प्रतिकर खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच प्रतिकर अधिकारी द्वारा विभाजित किया जायगा।

(३) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, और जिसका अतिरिक्त भूमि में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा हो जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका हकदार हो, सक्षम न्यायालय में, उस प्रतिकर में किसी अधिकार, आगम या स्वत्व का दावा करने से न रोकेगी।"

प्रतिकर अधिकारी

१८—"धारा १७ के अधीन देय प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी।"

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

१९—"(१) प्रतिकर अधिकारी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो धारा १७ के अधीन प्रतिकर का हकदार हो, प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा, जो नियत की जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस (नोटिस) के तामील किये जाने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय।"

मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हों

२०—(१) यदि कोई व्यक्ति धारा १९ के अधीन उसे भेजी गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की शुद्धता पर आपत्ति नहीं प्रस्तुत करता तो प्रतिकर अधिकारी तदनुसार प्रतिकर निर्धारण करेगा ;

(२) प्रतिकर अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया हो, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर उक्त आदेश को रद्द कर सकता है, आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और उसके संबंध में धारा २१ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करने की कार्यवाही कर सकता है ;

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो;

(४) उपधारा (३) के अधीन जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

आपत्तियों का निस्तारण

२१—(१) यदि धारा १९ के अधीन नोटिस के अनुसरण में या धारा २० की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो प्रतिकर अधिकारी पक्षों का सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए. उस पर अपना निर्णय देगा और प्रतिकर निर्धारित करेगा ।

(२) यदि कोई अपील की गई हो तो उसके परिणाम के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर अधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(३) प्रतिकर अधिकारी के उपधारा (१) या धारा २० के अधीन आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि स्थित हो ।

(४) जिला न्यायाधीश अपील का यथासंभव शीघ्र निस्तारण करेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम तथा निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

प्रतिकर के भुगतान की रीति

२२—(१) धारा २३ तथा धारा २४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा २० या धारा २१ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नकदी में या बंधों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों ।

२०—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो प्रतिकर अधिकारी उसे प्रतिकर-निर्धारण-तालिका घोषित करेगा ।

(२) प्रतिकर अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और उक्त अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण प्रकट करने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय ।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

आपत्तियों का निस्तारण ।

२१—(१) प्रतिकर अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जो धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन या धारा २० की उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कारण प्रकट करें, सुनेगा तथा उक्त व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए अपना निर्णय देगा । प्रतिकर अधिकारी उक्त निर्णयानुसार प्रतिकर-निर्धारण-तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

(३) जिला न्यायाधीश यथासम्भव शीघ्र अपील को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा तथा, जहां आवश्यक हो, प्रतिकर-निर्धारण-तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी ।

(४) प्रतिकर अधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा किये जाने वाले किसी लिपिक या गणित सम्बन्धी भूल सुधार के अधीन रहते हुये, धारा २० के अधीन घोषित अथवा इस धारा के अधीन घोषित या संशोधित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका, अन्तिम तथा निश्चायक होगी और किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी

प्रतिकर के भुगतान की रीति

"२२—(१) धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रतिकर, निर्धारण तालिका में दर्ज की गयी प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नकदी में या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बन्धों के रूप में, जैसा

और अंशतः बंधों के रूप में, जैसा भी नियत किया जाय, उस व्यक्ति को किया जायगा जिसका नाम प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अतिरिक्त भूमि के अर्जन के दिनांक से छः मास के भीतर प्रतिकर की पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तो उसकी शेष धनराशि पर साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को अधिकार पूर्ण दावा रखने वाले किसी व्यक्ति को भुगतान करने के दायित्व से पूर्णतया उन्मुक्त न करेगा किन्तु ऐसे प्रतिकर के भुगतान से किसी अन्य व्यक्ति के उक्त प्रतिकर से संबंधित किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसे वह विधि की यथोचित प्रक्रिया द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित करने का अधिकारी हो जिसे उक्त भुगतान किया गया हो।

२३—यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के धारा २० या धारा २१ के अधीन निर्धारित सम्पूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की सम्भावना हो, तो वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे। प्रतिकर अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा।

प्रतिकर की धनराशि न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खी जायगी

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

भी नियत किया जाय, उस व्यक्ति को किया जायगा जो उस तालिका में इसका हकदार दर्ज हो या उसके विधिक प्रतिनिधि को दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर, प्रतिकर पाने के हकदार व्यक्ति के बेदखल किये जाने के दिनांक से दातव्य होगा और वह अवधारित हो जाने पर देय होगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर, राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से, अवधारण के दिनांक तक यदि धनराशि नकदी में देय हो और बंधों के मोचन के दिनांक तक यदि धनराशि बंधों में देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा।

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर के भुगतान के संपूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु ऐसे प्रतिकर के भुगतान से किसी अन्य व्यक्ति के, उक्त प्रतिकर के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसे ऐसा भुगतान किया गया हो।"

"२३—यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन देय संपूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, या पड़ने की संभावना हो, तो वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे। प्रतिकर अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा।"

प्रतिकर की धनराशि का न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खा जाना

अध्याय ४

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

२४—धारा ११ के अधीन विज्ञापित अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, धारा २५ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

[२५] २७—(१) धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन अधिकतम क्षेत्र के अवधारण के पश्चात् पायी गयी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, समिति के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ इस प्रकार किया जा सकता है कि किसी सदस्य के पास १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि न रहे, और यदि कोई भूमि शेष रह जाय तो उसका बन्दोबस्त उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(२) राज्य सरकार यह कर सकती है कि ऐसी अवधि तक जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की (धारा ११ के अधीन अर्जित) अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त न करे और उसे राजकीय फार्म के रूप में चलाये और वह उक्त प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति (holder) उपयुक्त हो तो उसे अधिमान देगी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, वे शर्तें तय करेगी जिन पर उक्त प्रबन्धक कार्य करेगा।

(३) किसी ऐसे गांव में जहां सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि न हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए १५ एकड़ से कम भूमि हो, धारा ११ के अधीन अर्जित अतिरिक्त भूमि का १५ एकड़ तक बन्दोबस्त सम्बद्ध गांव, समाज के साथ पेड़ लगाने या चारा उत्पन्न करने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि

२४—(१) राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय उसे राजकीय फार्म के रूप में चला सकती है और वह उस प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि यंत्रकृत फार्म का धारक व्यक्ति (holder) उक्त प्रयोजन के लिये नियत अर्हताएं रखता हो तो राज्य सरकार प्रबन्धक नियुक्त करते समय उसे अधिमान देगी।

(२) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, पूर्व उल्लिखित अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकती है।

अतिरिक्त भूमि का अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग

ऐक्ट संख्या १, १८९४

२५—राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय, ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये अस्थायी या स्थायी रूप से उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिये ऐसी भूमि लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन अर्जित की जा सकती थी।"

कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या उसका पट्टे पर दिया जाना

२६—(१) राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि का समस्त बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(२) कलेक्टर, किसी अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने तथा धारा २७ के अधीन उसका बन्दोबस्त करने के बीच की अन्तरिम अवधि के लिये उसे किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं कृषि के लिये पट्टे पर दे सकता है।

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

२७—(१) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, और निम्नलिखित उपधाराओं पर ध्यान दिये बिना, ऐसी संपूर्ण अतिरिक्त भूमि या उसके किसी भाग का, जो राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व किसी ऐसी सहकारी समिति की जोत का भाग रहा हो, जो २० अगस्त, १९५९ के पूर्व निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) हो चुकी हो, उस समिति के साथ बन्दोबस्त कर सकती है। सहकारी समिति, उस बन्दोबस्त के बदले में, राज्य सरकार को ऐसा प्रतिफल और ऐसी रीति से देगी जो नियत की जाय। प्रतिफल, किसी भी दशा में, उस प्रतिकर से अधिक न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके लिये राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।

(२) राज्य सरकार ऐसे गांव में, जिसमें सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि उपलब्ध न हो या जिसमें ऐसी उपलभ्य भूमि १५ एकड़ से कम हो, अतिरिक्त भूमि का उस गांव के गांव समाज के साथ इस प्रकार बन्दोबस्त करेगी कि ऐसे बन्दोबस्त के बाद गांव में सामुदायिक प्रयोजनों के लिए कुल उपलब्ध भूमि १५ एकड़ से अधिक न हो, इस प्रकार गांव समाज के साथ बन्दोबस्त की गयी भूमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उत्पन्न करने या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक

अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, किया जायगा; किन्तु यह इस प्रकार किया जायगा कि इस प्रकार 'बन्दोबस्त की गई भूमि गांव' में सामुदायिक प्रयोजनों की अन्य भूमि को मिला कर १५ एकड़ से अधिक न हो।

(४) उपधारा (२) और (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारा ११ के अधीन अर्जित किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त—

(क) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से अधिक भूमि हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ; और

(ख) यदि किसी गांव में १५ एकड़ से कम भूमि हो तो अलाभकर खातेदारों की निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी कृषि-समिति के साथ किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—'अलाभकर खातेदार' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि हो।

[२६]२९—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी व्यक्ति के कब्जे में हस्तान्तरण या उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप या किसी अन्य प्रकार से कोई भूमि आ जाय और वह भूमि उस भूमि को मिला कर जो उसके पास पहले से हो उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, तो वह ऐसे कब्जे के दिनांक से ३० दिन की अवधि के भीतर धारा ६ के अधीन निर्धारित आकार में और रीति से नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह ऐसे गाटे या गाटों का भी उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे। भावी अर्जन

पूर्व किसी निबंधित सहकारी समिति के किसी सदस्य के पास रहो हो और उक्त समिति उस पर खेती कर रही हो, तो उस भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा उस समिति के किसी अन्य सदस्य के साथ इस प्रकार किया जा सकता है कि जिस सदस्य के साथ उस भूमि का बन्दोबस्त किया जाय उसकी कुल जोत उस बन्दोबस्त के बाद साढ़े बारह एकड़ से अधिक न हो।

(४) किसी ऐसी अतिरिक्त भूमि का, जिसका पूर्व उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन बन्दोबस्त न किया गया हो, बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है :

(क) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से कम हो तो ऐसे खातेदारों की निबंधित सहकारी समिति के साथ जिनके कम से कम तीन-चौथाई ऐसे हो जिनमें से प्रत्येक के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि हो।

(ख) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से अधिक हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबंधित सहकारी समिति के साथ इस प्रकार की यदि इस खन्ड के अधीन उक्त समिति को प्रविष्ट कुल भूमि सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांटी जाय तो किसी को ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न मिले;

(५) किसी ऐसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त जो उपधारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त के पश्चात् शेष रहे, राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी निबंधित सहकारी समिति के साथ किया जा सकता है जिसके किसी सदस्य के पास, ऐसे बन्दोबस्त के पूर्व अपने ही अधिकार से ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न हो।

२८—(१) धारा २७ के अधीन भूमि का समस्त बन्दोबस्त ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायगा जो नियत की जायं। बन्दोबस्त की शर्तें

(२) धारा ५ के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अधिकतम क्षेत्र की कोई सीमा ऐसी किसी भी निबंधित सहकारी समिति पर प्रवृत्त न होगी जिसके साथ धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो।

(३) तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ धारा २७ के अधीन किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या जिसे धारा २६ की उपधारा २ के अधीन भूमि पट्टे पर दी गयी हो ऐसी भूमि में कोई ऐसा अधिकार अर्जित नहीं करेगा, जो उन शर्तों का अल्पीकरण (Derogation) करे जिनके अधीन भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या वह पट्टे पर दी गयी हो।

२९—यदि इस अधिनियम के अधीन अधिकतम जोत सीमा के आरोपण के पश्चात् : भावी अर्जन

(क) किसी न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार के या दान तथा विक्रय से भिन्न हस्तान्तरण के फलस्वरूप कोई भूमि किसी खातेदार के कब्जे में आ जाय और वह भूमि उस भूमि को मिला कर जो उसके पास पहले से हो, उसके संबंध में, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो : या

स्पष्टीकरण—यदि अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् किसी भी समय किसी व्यक्ति की धारा १३ या धारा १४ के अधीन विमुक्त की गयी सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग स्वरूप बदल जाने से ऐसा हो जाय कि वह उनमें उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न आये या यदि वह भूमि जिस पर धारा १६ के अधीन बाग लगाया गया हो बाग भूमि (groveland) न रह जाय तो ऐसी भूमि इस उपधारा के अधीन उसके कब्जे में आयी हुई समझी जायगी।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय, तो वह अतिरिक्त भूमि का अवधारण तदनुसार करेगा और तत्पश्चात् अतिरिक्त भूमि के अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के विषय में इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

(३) ऐसी प्रत्येक दशा में जब कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत करे, नियत प्राधिकारी धारा ७ के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के विषय में इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

नदी के हट जाने से भूमि को प्राप्ति

१८२५ का बंगाल रेगूलेशन ११

[२७] ३१—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी नदी के हट जाने से किसी जोत में भूमि की क्रमशः अनुवृद्धि हो तो वह भूमि उस जोत में हुई अनुवृद्धि नहीं समझी जायगी, वरन् राज्य में निहित हो जायगी, भले ही बंगाल एलूवियन एण्ड डिलूवियन रेगूलेशन, १८२५ (The Bengal Alluvian and Diluvian Regulation, 1825) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, रूढ़ि या प्रथा में इसके प्रतिकूल कोई बात हो।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खन्ड

(ख) किसी खातेदार की धारा ६ या धारा ७ के अधीन विमुक्त की गयी संपूर्ण भूमि या उसका कोई भाग स्वरूप बदल जाने से ऐसा हो जाय कि वह उनमें उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न रहे या यदि वह भूमि जिस पर धारा १६ के अधीन बाग लगाया गया हो बाग भूमि (groveland) न रह जाय, तो ऐसी भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य होगी।

भावी अर्जनों के संबंध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण

३०—(१) जब कोई भूमि धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन या धारा २६ के अधीन अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य हो जाय, तो खातेदार ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, नियत प्राधिकारी को धारा ६ के अधीन निर्धारित आकार में और रीति से एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह उस गाटे या उन गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहता हो।

(२) (क) जब उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय तो वह तदनुसार अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा।

(ख) यदि खातेदार उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत करे तो नियत प्राधिकारी धारा १० के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा।

(ग) अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन निस्तारण और बन्दोबस्त के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त भूमि पर प्रवृत्त होंगे ?

नदी के हट जाने से भूमि को प्राप्ति

३१—जब इस अधिनियम के अधीन अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात कोई भूमि, किसी नदी के हट जाने से किसी विधि या रूढ़ि के अनुसार, किसी जोत में बढ़ जाय और इस प्रकार बढ़ायी गयी भूमि का क्षेत्र खातेदार की अन्य वर्तमान भूमि के क्षेत्र को मिलाकर उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय तो :

(१) उस भूमि का, उस सीमा तक जो उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र को पूरा करने के लिये आवश्यक हो और जो उसकी

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी जोत में क्रमशः अनुवृद्धि द्वारा प्राप्त उक्त भूमि का बन्दोबस्त, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति के साथ, जिसके पास वह जोत हो, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन जिनके अधीन वह जोत उसके पास हो, इस प्रकार किया गया समझा जायगा कि वह किसी अन्य भूमि को मिला कर जो उसके पास हो, उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो।

(३) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी व्यक्ति की जोत में क्रमशः अनुवृद्धि द्वारा प्राप्त भूमि का कोई भाग उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही धारा २५ के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

वर्तमान जोत से मिली हुई हो, बन्दोबस्त खातेदार के साथ, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए और उन्हीं शर्तों के अधीन जिनके अधीन उसकी वर्तमान जोत हो, किया गया समझा जायगा,

(२) खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बंगाल एलूवियन एन्ड डिलूवियन रेगुलेशन, १८२५ (Bengal Alluvion and Diluvian Regulation, 1925) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य रूढ़ि या प्रथा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार में निहित हो जायगा: बंगाल रेगुलेशन १११, १८२५

(३) खन्ड (२) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि अतिरिक्त भूमि होगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी।

अध्याय ५

विविध

इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में राज्य सरकार एक पक्ष होगी

[२८]३२—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में एक पक्ष होगी [और समझी जायगी]।

(२) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा [या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने] अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि उस आदेश के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन की होगी।

[लागू] मौरूसी-दरों के अवधारण या परिष्कार का अधिकार

[२९]३३—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए :

(एक) नियत प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई मौरूसी दरें स्वीकृत न की गई हों, [लागू मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों पर] मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायं, निश्चित कर सकता है;

(दो) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछले बन्दोबस्त के समय में कृषि भूमि के विस्तार या सिंचाई के विस्तार तथा उसकी रीति संचार के साधनों, आबादी की सघनता अथवा कृषि की पद्धति में लक्षित परिवर्तन हुआ हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वर्तमान स्वीकृत मौरूसी दरों को नियत रीति से परिष्कृत कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन लागू मौरूसी दरों का निश्चय अथवा उस उपधारा के खण्ड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि उक्त दरों का निश्चय अथवा परिष्कार, जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासम्भव समान हो तथा निष्कृत अथवा परिष्कृत दरें किसी भी दशा में भूमि के उत्पाद मूल्य (produce value) के पंचमांश से अधिक न हों।

ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास यंत्र-कृत फार्म हो, प्रार्थना पर उसके प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अर्जन

[३०]३४—(१) ऐसे व्यक्ति का जिसके पास यंत्रकृत फार्म हो, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र, उसके द्वारा नियत प्राधिकारी को उसके अर्जन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा और उसे धारा ११ की उपधारा (१) में दी हुई रीति से उस रूप में विज्ञापित किया जायगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति जारी हो जाने पर, इस अधिनियम के सभी उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे और प्रार्थी को धारा १७ के उपबन्धों के अनुसार अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन मौरूसी दरों का निश्चय या उसी उपधारा के खण्ड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि दरों का निश्चय या परिष्कार जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासंभव समान हो, और निश्चित की गई दरें, किसी भी दशा में, भूमि के उत्पाद मूल्य (produce value) के पंचमांश से अधिक न होगी।

यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति के संबंध में, प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का उसके द्वारा प्रार्थना पर अर्जन

"३४—(१) यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति द्वारा अपने संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अध्यर्पण करने के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर, ऐसे धारक व्यक्ति को भूमि अतिरिक्त भूमि हो जायगी और नियत प्राधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में विज्ञापित की जायगी।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति जारी होने पर इस अधिनियम के अतिरिक्त भूमि से सम्बद्ध सभी उपबन्ध जिनके अन्तर्गत प्रतिकर के भुगतान से सम्बद्ध उपबन्ध भी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे"

शास्तियां

[३१]३५—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी [विधि संगत] आदेश का उल्लंघन करेगा, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि का कब्जा लिए जाने में बाधा डालेगा, या धारा [२६]३० की उपधारा (१) [द्वारा] के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करेगा, या ऐसा कथन करेगा या विवरण [भेजेगा,] प्रस्तुत करेगा या कोई ऐसी सूचना देगा जो मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास हो, वह अर्थ दंड से दण्ड्य होगा जो [पांच सौ] एक हजार रुपए तक हो सकता है।

कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा अपराध।

[३२]३६—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी स्वयं तथा साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिये उसका अवधायक हो, और उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और धारा [३२]३५ के अधीन दण्ड का भागी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से उक्त कोई व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ या यह कि उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी यथोचित सावधानी बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और निबन्धित सहकारी समिति, अथवा फर्म या व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था भी इसके अन्तर्गत है।

(ख) फर्म के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

आपत्तियों की सुनवाई तथा उन के निस्तारण अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधिकार तथा अनुकरणीय प्रक्रिया

[३३]३७—इस अधिनियम के अधीन जांच करने या किसी आपत्ति की सुनवाई करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के [यथासंभव] यथा-प्रयोज्य सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अचल सम्पत्ति विषयक वादों के परीक्षण तथा निस्तारण के लिये दी हुई है।

अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया

[३४] ३८—(१) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने में और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में अपीलों को सुनवाई तथा उनके निर्णय के लिये दी हुई है ।

(२) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा होनी हो, तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) को संक्रमित कर सकता है ।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

[३५] ३९—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गई हो या, सद्भावना से किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।

इस अधिनियम के अधीन किसी धनराशि की वसूली की रीति

[३६] ४०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय कोई धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।

मालगुजारी के बकाया की वसूली
ऐक्ट सं० १९, १८८३
ऐक्ट सं० १२, १८८४
यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९४९
उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५७

[३७] ४१—ऐसी जोत या जोतों के सम्बन्ध में जिनके भाग इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, मालगुजारी या अबवाबों या अन्य आदेयों के सभी बकाया और लैंड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ या एग्रीकल्चरल लोन्स ऐक्ट, १८८४ या १९४८ ई० का कृषिआयकर ऐक्ट या वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके धारक (holder) द्वारा देय सभी धनराशियां, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय ३ के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि में से अदत्त धनराशि की कटौती करके वसूल की जा सकती हैं ।

इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की प्रवृत्ति ऐक्ट सं० ९, १९०८

[३८] ४२—इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना-पत्र तथा आपत्ति की कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे ।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खन्ड

३९—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो सद्भावना से और इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में की गई हो, या की गई प्रकट हो ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

४३—इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलेक्टर (Asstt. Collector of the I Class in-charge of the sub-division) द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है ।

नियम बनाने का अधिकार

[३९] ४४ (१) राज्य सरकार सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सकता है;

(ख) प्रक्रिया जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय कलेक्टर अनुसरण करेगा;

(ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा [१२] १५ की उपधारा (३) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर देय शुल्क, और

(ङ) विषय जो नियत करने हों और नियत किये जाएं ।

[(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे, और यदि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय तो उक्त प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित होंगे ।]

[४] ३ इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे जायें ।

निरसन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

[४०] ४५ (१) ३० जून, १९६० से उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ निरस्त हो जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९०४

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (१) के अधीन निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा :—

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन की गई या करने दी गई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार अथवा दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड; या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दंड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान विधिक कार्यवाही अथवा उपचार;

और ऐसा कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा उपचार प्रारम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या प्रवर्तित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड आरोपित किया जा सकता है मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो ।

निरसन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

४५—(१) ३० जून, १९६० से उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, १९५७ सिवाय उसकी धारा २८ के, निरस्त हो जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९०४

(२) उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ का निरसन होने पर भी तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (१) के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं रहेगा :—

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन की गई या करने दी गयी कोई बात, या

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, अथवा दायित्व, या

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शक्ति, जब्ती अथवा दण्ड, या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा उपचार, या

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

(ङ) उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ की धारा १५ के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस जोत के सम्बन्ध में जो कर निर्धारण से बच गयी हो, कार्यवाही करने का अधिकार;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

और ऐसे किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही, उपचार अथवा कर निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, प्रवर्तित की जा सकती है या की जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड आरोपित किया जा सकता है, अथवा ऐसा कोई कर निर्धारण किया जा सकता है, मानों उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो ।

अनुसूची

(धारा १७)

[प्रतिकर की गणना की रीति]

भाग १

(क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है)

[ऐसी कृषि भूमि के लिये जो जोत का भाग हो—]

(क) भूमिधर .. [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का चालीस-गुना अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना इन में जो भी अधिक हो, और यदि देय मालगुजारी [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि।

[(ख)] (ग) सीरदार .. [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बीस गुना और यदि देय मालगुजारी [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस-गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि।

[(ग)] (घ) किसी गांव समाज अथवा स्थानीय प्राधिकारी का असामी। उसके द्वारा देय लगान का पांचगुना।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित उसके असामी के पास हो।

(१) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिये हो तो उस प्रतिकर की धनराशि का १/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।

(२) यदि असामी के पास भूमि उसके जीवन-पर्यन्त हो, तो उस प्रतिकर की धनराशि का ५/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।

(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद (ङ) (२) के अधीन असामी को देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा।

(ङ) "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ११ में उल्लिखित असामी।

(१) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिए हो, तो उस प्रतिकर की धनराशि का ७/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।

(२) यदि असामी के पास भूमि, जीवन-पर्यन्त हो, तो उस प्रतिकर की धनराशि का १/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।

(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा प्रतिकर इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के पैंतीस गुने से अधिक न होगा ।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायगी ।

भाग २

(क्षेत्र जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त नहीं होता है ।)

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल-मिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	[लागू] प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) अन्य काश्तकार	उसके द्वारा देय लगान का पांचगुना ।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये जो बंजर हो, [लागू] प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायेगी ।

भाग ३

सरकारी पट्टेदार

(क) सरकारी पट्टेदार को देय प्रतिकर का हिसाब भाग १ अथवा २ के, जैसी भी दशा हो, अन्तर्गत आने वाले उस खातेदार के लिये व्यवस्थित प्रतिकर के अनुसार लगाया जायगा, जिसके निबंधन और शर्तें सरकारी अनुदान की शर्तों के अधिकतम अनुरूप के हों ।

(ख) धारा ३ के खण्ड "घ" में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय प्रतिकर उस प्रतिकर का ७/८ भाग होगा जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो और शेष धनराशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी ।

भाग ४

[भूमि से भिन्न सम्पत्ति के लिये—]

(क) इमारतें .. .. सकल वार्षिक भाटक-मूल्य का दस से बीस गुना तक, इमारत की अवस्था तथा उसके प्रकार को देखते हुये जो भी निश्चित किया जाय, अथवा यदि भाटक-मूल्य ज्ञात न हो तो भाटक-मूल्य जो नियत रीति से निश्चित किया जाय।

टिप्पणी—इमारत के प्रतिकर के अन्तर्गत उस भूमि का प्रतिकर भी होगा जिस पर इमारत स्थित हो।

(ख) पक्के कुएं—

(१) जो प्रयोग में हों .. उसी प्रकार का कुआं बनाने की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

(२) जो प्रयोग में न हों .. गोलाई (सिलिन्डर) और जगत की सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

(ग) वृक्ष—

(१) फलवाले वृक्ष .. फल की फसलों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना।

टिप्पणी—बीस वर्ष के वार्षिक मूल्य के औसत को औसत समझा जायगा।

(२) फल के उन नये वृक्षों के लिये जिन में अभी फल न लगे हों। पौधे की लागत और श्रम तथा रोपण पर व्यय।

(३) ऐसे वृक्ष जिनका मूल्य मुख्यतया उनकी इमारती लकड़ी के कारण होता है। इमारती लकड़ी के खड़े वृक्षों का लकड़ी के परिमाण के अनुसार स्थानीय बाजारी मूल्य।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

(ख) (१) पक्के कुयें, नल कूप या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में हों। उसी प्रकार का कुआं या नाली, जैसी भी दशा हो, बनाने की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

(२) पक्के कुयें या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों। गोलाई (सिलिंडर) तथा जगत या नाली की, जैसी भी दशा हो, सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

उद्देश्य तथा कारण

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध करा कर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादन में वृद्धि की जाय तथा कमी के वर्षों के लिये खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह बनाया जाय, यह इष्टकर है कि वर्तमान वृहत् जोतों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जाय। यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण समुदायों के लिये उनकी सामूहिक आवश्यकताओं के लिए जैसे ईंधन और चारे के लिये भूमि की व्यवस्था की जाय। अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह बिसेन,
न्याय मंत्री।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ से संबंधित वित्तीय-ज्ञापन

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ के अधिनियमित हो जाने की दशा में उसके खंड ४,५,११,१७ तथा २२ में राज्य की संचित निधि (Consolidated fund) से निम्नलिखित अनावर्तक व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा —

(१) अतिरिक्त भूमि के अवधारण तथा अर्जन तथा उसके लिये देय प्रतिकर के निर्धारण व भुगतान के निमित्त कर्मचारी आदि पर होने वाला व्यय—

इसमें कर्मचारियों का वेतन, भत्ता तथा मानदेय (honoraria) एवं आकस्मिक व्यय हैं और इन पर १४,५०,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है।

(२) अतिरिक्त भूमि के अर्जन के लिये देय प्रतिकर की धनराशि के भुगतान में होने वाला व्यय —

प्रतिकर और उस पर दिये जाने वाले ब्याज पर, जिनको अंशतः नकदी में व अंशतः हस्तांतरणी बंधों के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव है, कुल ९.५ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश उच्चतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ के ऐसे उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

विधेयक के विभिन्न खंडों के जिन उपखंडों में विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान के प्रस्ताव समाविष्ट हैं उनका तथा उनके क्षेत्र का उल्लेख नीचे किया जाता है :

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन-अधिकार
१	६	..	इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित विवरण का आकार तथा उसमें दिये जाने वाले ब्योरे नियत करे।
२	७	(१)	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
			(१) उन व्यक्तियों की दशा में जो खंड ६ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करें या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करें, नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जाने वाले विवरण के ब्योरे।
		(२)	(२) ऊपर मद (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर विवरण की एक प्रति के सहित नोटिस तामील करने की रीति।
३	१२	(२)	इसमें अतिरिक्त भूमि से एकत्रित न की गई फसल या वृक्षों के फलों या अन्य सम्पत्ति के कलेक्टर द्वारा हटाये जाने तथा सार्वजनिक नीलाम द्वारा उसके निस्तारण की रीति नियत करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।
४	१३	..	इसमें राज्य सरकार को, निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(३)	(१) पशुशाला, खाद के गढ़ों तथा खलिहान के सदृश प्रयोजन;
		(७)	(२) जड़ी-बूटी तथा भेषज्य रोपस्थलियों के समान रोपस्थलियों के प्रकार ;
		(११)	(३) गोसदनों तथा गोशालाओं को अभिज्ञात करने की शर्तें तथा रीति ;
		(१७)	(४) कुक्कुट-पालन, दुग्ध-व्यवसाय तथा चारा उगाने से सम्बद्ध विशेषित फार्मों के सदृश विशेषित फार्मों के प्रकार ;
		(१८)	(५) उन विशेषित फसलों का प्रकार जिनके उत्पादन के लिये, या वह प्रयोजन जिसके लिये, इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् पट्टे पर दी गई कोई भूमि विमुक्त की जा सकती है तथा वह अवधि जब तक और विधायन तथा शर्तें जिन पर ऐसी भूमि विमुक्त रह सकती है।

प्रतिस्थापित एवं नये बढ़ाये गये खंड

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन-अधिकार
५	१६	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(१)	(१) वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त बाग लगाने के लिए उसके साथ किया जा सके तथा वह अवधि जिसके भीतर वह बाग लगाया जाय; तथा
		(२)	(२) उस अतिरिक्त भूमि के भाग को वापस लेने की रीति, जिस पर बाग लगाने की अनुमति दी गई थी किन्तु नियत अवधि के भीतर बाग नहीं लगाया गया।
६	१६	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(१)	(१) वह आकार तथा रीति जिसके अनुसार प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका तैयार की जायेगी; तथा
			(२) सम्बद्ध व्यक्ति पर नोटिस तथा प्रस्तावित प्रतिकर-निर्धारण-तालिका तामील करने की रीति।
७	२२	(१)	इसमें राज्य सरकार को यह नियत करने का अधिकार दिया गया है कि प्रतिकर नकदी में दिया जायगा या बंधों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बन्धों के रूप में; और कितना भुगतान नकदी में किया जायगा तथा कितनी अवधि में बंधों का रुपया चुकाया जायगा।
८	२५	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(१)	(१) वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर तथा रीति जिसके अनुसार अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) सहकारी समिति के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ किया जा सके;
		(२)	(२) वे प्रतिबंध जिनके अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी अर्जित यंत्रकृत फार्म के पूर्व धारक के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जाने पर उसके साथ शर्तें तय की जा सकें;
		(३)	(३) कोई अन्य ऐसा सामुदायिक प्रयोजन जिसके लिये गांव के गांव समाज के साथ अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जा सके।
९	२९	..	इसमें राज्य सरकार को निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया गया है—
		(१)(एक)	(१) वे सिद्धांत जिनके अनुसार लागू मौरूसी दरें निश्चित की जा सकें; तथा
		(१)(दो)	(२) पिछले बन्दोबस्त के पश्चात् हुए लक्षित परिवर्तनों को ध्यान में रखकर वर्तमान मौरूसी दरें सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा परिष्कृत करने की रीति।

क्रम-संख्या	खंड	उपखंड	विधायन–अधिकार
१०	३६	(१)	इसमें राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। राज्य सरकार ऐसे नियम निम्नलिखित के संबंध में बना सकती है— (१) खंड ६ में उल्लिखित नोटिस का आकार; (२) अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय करने के लिये या ऐसे व्यक्तियों के लिये विवरण तैयार करने के निमित्त अपेक्षित सूचना का संग्रह करना [खंड ७ (१)]; (३) सरकारी गजट में प्रकाशन के लिये अतिरिक्त भूमि की विज्ञप्ति का आकार [खंड ११ (१)]; (४) असामी को प्रतिकर भुगतान करने की रीति [खंड १५ (२)]; (५) प्रतिकर अधिकारी से, प्रतिकर की धनराशि की मांग करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में उक्त धनराशि रखने की प्रक्रिया [खंड २३]; तथा (६) वह रीति तथा प्रकार जिसके अनुसार खंड ३७ में उल्लिखित मालगुजारी आदि का बकाया प्रतिकर से कटौती करके समायोजन के लिये संगृहीत किया जा सके।
		(२)	इसमें राज्य सरकार को, विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है— (क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सके; (ख) प्रक्रिया जिसका अनुसरण इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने में कलेक्टर करेगा; (ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अधीन धारा १२ की उपधारा (३) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी; (घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर देय शुल्क; तथा (ङ) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जाय।
११	अनुसूची का भाग ४		(क) इसमें राज्य सरकार को इमारतों का भाटक-मूल्य निश्चित करने की रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है।

विधायन–अधिकारों के प्रतिनिधान के लिये उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९

पर नियुक्त

संयुक्त प्रवर समिति

की

संक्षिप्त कार्यवाहियां

दिनांक

२८ सितम्बर, १९५९

२६ अक्तूबर, १९५९

२७ अक्तूबर, १९५९

२८ अक्तूबर, १९५९

५ नवम्बर, १९५९

५ फरवरी, १९६०

६ फरवरी, १९६०

६ मार्च, १९६०

२१ मार्च, १९६०

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति

संक्षिप्त कार्यवाही

२८-९-५९

स्थान, विधान वाचनालय, समय प्रातःकाल १० बजे बैठक, श्री राममूर्ति के सभापतित्व में हुयी।

उपस्थिति

श्री पृथ्वीनाथ सेठ	सदस्य,	विधान परिषद्
श्री लल्लू राम द्विवेदी	"	"
श्रीमती विद्यावती राठौर	"	"
श्री महाराज सिंह भारती	"	"
श्री नौरंग सिंह	"	"
श्री जयबहादुर सिंह	"	"
श्रीमती विद्यावती वाजपेयी	सदस्य,	विधान सभा
श्री केशव पांडेय	"	"
श्री सोहनलाल धुसिया	"	"
श्री रामेश्वर प्रसाद	"	"
श्री रऊफ जाफरी	"	"
श्री अवधेश चन्द्र सिंह	"	"
श्री जगपति सिंह	"	"
श्री राजदेव उपाध्याय	"	"
श्री गेंदा सिंह	"	"
श्री मलिखान सिंह	"	"
श्री हरदयाल सिंह	"	"
श्री भीखालाल	"	"
श्री भूपकिशोर	"	"

श्री हुकुम सिंह, राजस्व मंत्री (पदेन सदस्य)

विधान सभा सचिवालय

श्री रूपचन्द्र, सचिव, विधान मंडल।

श्री देवकीनन्दन मित्यल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

श्री जहूरुल हसन, राजस्व विभाग।

श्री दशरथ सिंह, उपसचिव, राजस्व विभाग।

श्री आर० एन० मेहरा, डी० एल० आर०।

विधेयक से सम्बद्ध सामग्री तथा आंकड़ों की मांग होने पर सरकार की ओर से कहा गया कि जो सूचना उपलब्ध होगी यथासम्भव एकत्र करके दी जायगी। प्रश्न उठाया गया कि जमीन की जो आय विधेयक में मानी गयी है वह प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों से भिन्न क्यों है? उत्तर में कहा गया कि विधेयक में आय का औसत कुछ अधिक माना गया है, जो १२० से १५० रु० प्रति एकड़ हो सकती है। सरप्लस लैंड, नदी से कट जाने वाली जमीनों तथा बुन्देलखंड में उच्चतर सीमा निर्धारण की भी चर्चा की गयी। विधेयक में संशोधन आने का समय ७ अक्तूबर तक नियत किया गया और समिति की बैठक २६ अक्तूबर, १९५९ के १० बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति

संक्षिप्त कार्यवाही

२६-१०-५९

स्थान, विधान वाचनालय, समय प्रातःकाल १० बजे बैठक, श्री राममूर्ति के सभापतित्व में हुई।

उपस्थिति

श्री पृथ्वी नाथ सेठ ..	..	..	सदस्य,	विधान परिषद्
श्री रालू राम द्विवेदी ..	..	..	"	"
श्री रामकुमार शास्त्री	..	..	"	"
श्रीमती विद्यावती राठौर	..	..	"	"
श्री बंशीधर शुक्ल	..	..	"	"
श्री महाराज सिंह भारती	..	..	"	"
श्री नौरंग सिंह ..	..	..	"	"
श्री जयबहादुर सिंह ..	..	..	"	"
डा० विशम्भर सिंह ..	..	..	सदस्य,	विधान सभा
श्रीमती विद्यावती वाजपेयी	..	..	"	"
श्री केशव पांडेय ..	..	..	"	"
श्री सोहनलाल धुसिया	..	..	"	"
श्री रामेश्वर प्रसाद ..	..	..	"	"
श्री रऊफ जाफरी ..	..	..	"	"
श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल	..	..	"	"
श्री अवधेश चन्द्र सिंह ..	..	..	"	"
श्री जगपति सिंह ..	..	..	"	"
श्री गेंदा सिंह ..	..	..	"	"
श्री मलिखान सिंह ..	..	..	"	"
श्री हरदयाल सिंह ..	..	..	"	"
श्री भीखालाल ..	..	..	"	"
श्री भूपकिशोर ..	..	..	"	"

श्री हुकुम सिंह विसेन, राजस्व मंत्री (पदेन सदस्य)

विधान सभा सचिवालय

श्री रूपचन्द्र, सचिव, विधान मंडल।

श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

श्री जहूरुल हसन, राजस्व विभाग।

श्री दशरथ सिंह, उपसचिव, राजस्व विभाग।

श्री आर० एन० मेहरा, डी० एल० आर०।

याचक गण

तराई कृषक संघ, काशीपुर (चेयरमैन, श्री पी० एन० मेहता)।

सबलेजी आफ गवर्नमेंट लेजीज बाजपुर (प्रतिनिधि श्री बेअन्त सिंह तथा श्री देवकी नन्दन अग्रवाल)।

गवर्नमेंट लेजीज बाजपुर (प्रतिनिधि सर्वश्री श्याम सुन्दर लाल तथा हरीकृष्ण)

इंडियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ (प्रतिनिधि श्री आर० पी० नेवटिया, सचिव श्री वाही, प्रतिनिधि श्री दानी)।

तराई कृषक संघ, काशीपुर के प्रतिनिधि श्री शिवनारायण अग्रवाल तथा श्री पी० एन० मेहता ने समिति के समक्ष यह याचना की कि तराई के कृषकों ने जंगल तोड़ कर जमीन को नौ आबाद किया है और जमीन में धन लगाकर उसका कोई लाभ तक नहीं उठा पाये। अतः अतिरिक्त जमीन उनसे ले लेने के मामले में सरकार उनके साथ रियायत करे। श्री पी० एन० मेहता ने कहा कि लिमिटेड कम्पनियों में बहुत से हिस्सेदार होते हैं अतः लिमिटेड कम्पनी के लिये ४० एकड़ की सीमा रखना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि समिति तराई क्षेत्र में जाकर जमीन को स्वयं देख ले कि किस प्रकार उसकी उन्नति की गयी है।

गवर्नमेंट लेजीज के सब-लेजीज बाजपुर के प्रतिनिधि सरदार बेअन्त सिंह ने यह प्रार्थना की कि हम लोगों ने गवर्नमेंट लेजीज से जमीन सबलीज पर लेकर उसमें परिश्रम किया और पया लगाया है अतः हमसे जमीन न छीनी जाय।

गवर्नमेंट लेजीज बाजपुर के प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर लाल ने निवेदन किया कि हमारे छः घराने हैं जिन्होंने जमीन में धन लगाया और ट्रैक्टर आदि खरीद कर खेती की लेकिन असफल रहे। रुपया डूब गया तो हमने जमीन सबलीज पर दी है। हमसे यह जमीन ले ली जायेगी तो हमको उचित मुआविजा मिलना चाहिये।

इंडियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया ने समिति से प्रार्थना की कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में शुगर फैक्टरी फर्म्स को अधिकतम जोत सीमा से अपवादित कर दिया गया है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अपवादित कर दिया जाय ताकि यहां पर गन्ने की उपज घटने न पावे।

सभी याचकों के निवेदन के बारे में सभापति ने कहा कि इन पर खंडों पर विचार करते समय विचार कर लिया जायेगा।

विधेयक पर खंडशः विचार प्रारम्भ हुआ।

प्रस्तावना

में यह संशोधन स्वीकृत हुआ कि शब्द "अधिक" तथा "उत्पादन" के बीच में शब्द "कृषि" बढ़ा दिया जाय।

खण्ड १

खंड १ के उप-खंड (३) को निकाल देने का संशोधन अस्वीकृत हो गया।

खण्ड २

खंड २ में यह संशोधन स्वीकार हुआ कि उसकी मद (२) में शब्द "उस भाग" के स्थान पर शब्द "उन क्षेत्रों" रख दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह ने खंड २ का विरोध किया।

खण्ड ३

खंड ३ में सरकार की ओर से यह संशोधन प्रस्तावित किया गया कि खंड ३ में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"अच्छे प्रकार की भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जिसको लागू* मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो।"

श्री गेंदा सिंह की प्रार्थना पर संशोधन सूची ४ के संशोधन सं० २१ पर भी इसी के साथ विचार किया गया। सरकारी संशोधन स्वीकृत हुआ और अन्य संशोधन स्वतः गिर गये।

सरकार की ओर से निम्नलिखित संशोधन विचारार्थ प्रस्तुत किया गया:—

खंड ३ की मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

"(ग) 'परिवार' का तात्पर्य स्वयं खातेदार से तथा उसकी पत्नी या उसके पति, जैसी भी दशा हो, पिता, माता, पृथक हुए पुत्रों अथवा विवाहित पुत्रियों से भिन्न बच्चों, और पृथक न हुए पुत्रों की पत्नियों अथवा विधवाओं से, जो स्वयं अपने अधिकार से खातेदार न हों, है।"

स्पष्टीकरण—(१) इस खंड के प्रयोजन के लिये 'बच्चे' उस दशा से पृथक समझे जायेंगे जब भूमि पृथक रूप से उनके नाम अभिलिखित हो या जब पारिवारिक समझौते अथवा न्यायालय की डिक्री के अधीन उनके पृथक अंश घोषित कर दिये गये हों या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२ (ख) के अधीन उनके अंश पृथक कर दिये गये हों अथवा उत्तर प्रदेश बृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उनके अंशों का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो:

स्पष्टीकरण—(२) 'बच्चों' के अन्तर्गत खातेदार के मृत पुत्र के बच्चे भी होंगे।

इस पर निर्णय अगले दिन के लिये स्थगित किया गया।

निम्नांकित संशोधन श्री भीखालाल द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया—

खंड ३—(ख) में "अच्छी औसत प्रकार की भूमि" बदल कर "अच्छी प्रकार की भूमि।"

स्पष्टीकरण १—प्रथम वाक्य में—

१—"बच्चा" शब्द हटाकर "नाबालिग पुत्र और पुत्री" कर दिया जाय।

"प्रथम समझा जायगा" बदलकर "पृथक नहीं समझा जायगा" कर दिया जाय।

इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और समिति की बैठक २७ अक्तूबर, १९५९ के ९ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

---

* २७ अक्तूबर, १९५९ की बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि इस संशोधन में से शब्द "लागू" निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति की बैठक की संक्षिप्त कार्यवाहियां

दिनांक २७ अक्तूबर, १९५९ । समय ९.०० बजे प्रात

स्थान—विधान वाचनालय

उपस्थिति

श्री राममूर्ति	..	..	..	सभापति
श्री हुकुम सिंह विसेन	..	..	..	सदस्य
श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल	..	..	..	"
श्री पृथ्वीनाथ	..	..	..	"
श्री लल्लू राम द्विवेदी	..	..	..	"
श्री रामकुमार शास्त्री	..	..	..	"
श्री बंशीधर शुक्ल	..	..	..	"
श्रीमती विद्यावती राठौर	..	..	..	"
श्री महाराज सिंह भारती	..	..	..	"
श्री नौरंग सिंह	..	..	..	"
श्री जयबहादुर सिंह	..	..	..	"
डाक्टर विशम्भर सिंह	..	..	..	"
श्रीमती विद्यावती बाजपेयी	..	..	..	"
श्री केशव पांडेय	..	..	..	"
श्री सोहनलाल धुसिया	..	..	..	"
श्री रामेश्वर प्रसाद	..	..	..	"
श्री रऊफ जाफरी	..	..	..	"
श्री अवधेशचन्द्र सिंह	..	..	..	"
श्री जगपत सिंह	..	..	..	"
श्री राजदेव उपाध्याय	..	..	..	"
श्री गेंदा सिंह	..	..	.	"
श्री मलिखान सिं	..	..	.	"
श्री हरदयाल सिंह	..	..	..	"
श्री भोलालाल	..	..	..	"
श्री भूपकिशोर	..	..	..	"

विभागीय अधिकारी

१—श्री जहूरुल हसन, राजस्व सचिव,
२—श्री दशरथ सिंह, राजस्व उपसचिव,
३—श्री मेहरा, डी० एल० आर०।

सचिवालय

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस०, सचिव, विधान मंडल,
श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

समिति ने २६-१०-५६ को यह संशोधन स्वीकार किया था कि :

खण्ड ३ की वर्तमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ख) 'अच्छी प्रकार की भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी लागू मौरूसी दर छः रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो ।"

आज समिति ने निश्चय किया कि इसकी शब्दावली में से शब्द "लागू" को निकाल दिया जाय ।

खंड ३ को मद (ग) के परिवर्तन विषयक निम्नांकित संशोधन पर मतदान हुआ और संशोधन स्वीकृत हुआ ।

१—खण्ड ३ की मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) 'परिवार' का तात्पर्य खातेदार, उसकी पत्नी या पति जैसी भी दशा हो पिता, माता, पृथक हुई पुरुष सन्तान या विवाहित स्त्री, सन्तान से भिन्न सन्तान और पृथक न हुई पुरुष-सन्तान को पत्नियों या विधवाओं से है, जो स्वयं अपने अधिकार से खातेदार न हो ।

स्पष्टीकरण—(१) इस खण्ड के प्रयोजन के लिये सन्तान उस दशा में पृथक समझी जायगी जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब किसी पारिवारिक समझौते अथवा न्यायालय को डिक्री के अधीन उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, की धारा १२-ख के अधीन उसे पृथक अंश दे दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७, के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—(२) सन्तान के अन्तर्गत खातेदार के पुत्र के पुत्र तथा पुत्रियां भी होंगी ।"

२—खण्ड ३ को मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(च) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत खातेदार, परिवार अथवा किसी विधि के अधीन निबंधित सीमित दायित्व समवाय (limited Liability Company) तथा समिति (Society) भी होगी ।"

श्री गेंदा सिंह के सुझाव पर कि "रजिस्टर्ड" शब्द पारिवारिक समझौते के पहले रख दिया जाय तो माननीय मन्त्री ने इस शब्द को रखने के लिये एडवोकेट जनरल से राय करने के लिये कहा ।

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

"खंड ३ की मद (घ) में शब्द 'के अधीन' के स्थान पर शब्द 'में' रख दिया जाय तथा शब्द 'सरकारी पट्टेदार' के पश्चात् आये हुए शब्द 'के रूप में हो' के स्थान पर शब्द 'अथवा उस दशा में सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो, जब शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो' रख दिये जायं ।"

खण्ड ३ (ङ) को हटा देने का संशोधन मत लेने पर गिर गया ।

श्री हुकुम सिंह विसेन ने निम्नांकित संशोधन पेश किया :—

ड ३ की मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(च) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत खातेदार, परिवार अथवा किसी विधि के अधीन नबंधित सीमित दायित्व समवाय (Limited Liability Company) तथा समिति Society) भी होगी ।"

उक्त संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री हुकुम सिंह विसेन ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया :—

खंड ३ की मद (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ट) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी व्यक्ति के पास उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी होंगे, तथा"।

उक्त संशोधन स्वीकृत हुआ।

निम्नांकित संशोधन स्वीकृत हुआ।

वर्तमान मद (ठ) को मद (ड) कर दिया जाय और निम्नलिखित उसके पूर्व नई मद ( ) के रूप में रख दिया जाय :

"(ठ) 'खातेदार' का तात्पर्य किसी जोत के धारक (Holder) से है।"

खंड ३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खंड ४

निम्न संशोधन स्वीकृत हुआ:—

(१) उपखंड (१) में शब्द "किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" के स्थान पर "किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" रख दिया जाय।

(२) उपखंड (२) में शब्द "लागू" तथा "औसत" जहां कहीं भी वे आये हों, निकाल दिये जायं तथा जहां कहीं भी शब्द "अच्छी" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अच्छे" रख दिया जाय।

संशोधन श्री महाराज सिंह भारती ने निम्न रूप में पेश किया :—

खंड ४ के उपखंड २ (क) की दूसरी पंक्ति में "अधिकतम क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"इस क्षेत्र से तीन गुने के बराबर होगा जिस क्षेत्र पर दो बैल और हल से बिना मशीनों की सहायता लिये लाभदायक ढंग से खेती की जा सकती है।"

इस पर वोट लिये गये और संशोधन अस्वीकृत हुआ।

निम्न संशोधन अस्वीकृत हुआ:—

खंड ४ के उपखंड २ (क) की पंक्ति ३ में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "बीस" रख दिया जाय।

निम्न संशोधन पर भी मत लिया गया और अस्वीकृत हुआ:—

खंड ४ के उपखंड २ (क) के दूसरे वाक्य में "अधिकतम क्षेत्र" के बाद "अच्छी औसत प्रकार की भूमि के चालीस एकड़" के स्थान पर "अच्छी प्रकार की भूमि के साढ़े बारह एकड़" रख दिया जाय।

निम्नांकित संशोधन उपस्थित किया गया:—

खंड ४ का उपखंड (२) (ख) इस प्रकार बदल दिया जाय—"पांच से अधिक सदस्यो वाले परिवार की दशा में अधिकतम क्षेत्र अच्छी प्रकार की भूमि के साढ़े बारह एकड़ और सके

अतिरिक्त परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये ढाई एकड़ का समझा जायगा, किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के साढ़े सात एकड़ से अधिक न होगा।"

स्पष्टीकरण को बदल कर इस प्रकार कर दिया जाय—"इस उपधारा के अधीन अच्छी प्रकार की भूमि के सम्बन्ध में अधिकतम क्षेत्र की गणना में ऐसी भूमि के सवा एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो किन्तु पांच रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, और ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़ जिसकी लागू मौरूसी दर तीन रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छी प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायेंगे।"

इसके प्रथम भाग का सभापति ने रूल आउट कर दिया और दूसरे भाग (अर्थात् स्पष्टीकरण) को समिति ने अस्वीकार कर दिया।

निम्न संशोधन अस्वीकृत हुआ —

खंड ४ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अन्त में शब्द " समझे जायेंगे" के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किन्तु शर्त यह है कि हर हालत में बुन्देलखंड के चार जिलों (झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर) में २ एकड़ अन्य स्थान के एक एकड़ के बराबर माना जायगा।"

श्री हुकुम सिंह विसेन ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया :—

"खंड ४ के उपखंड (२) की मद (ख) के पश्चात् आये हुए स्पष्टीकरण में :

(क) शब्द 'तीन' जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द 'चार' रख दिया जाय, और

(ख) शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'छः' रख दिया जाय।"

उक्त संशोधन स्वीकृत हुआ—

निम्न संशोधन स्वीकृत हुआ।

पार्श्व शीर्षक से शब्द "प्रयोज्य" निकाल दिया जाय।

निम्न संशोधन अस्वीकृत हुआ :

उपखंड २ (ख) में शब्द "अधिकतम क्षेत्र" के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"उसी दशा में बढ़ा दिया जायगा जबकि परिवार के बच्चों के हिस्से में कुल भूमि बांटे जाने पर एक हल, दो बैल से जोते गये लाभदायक क्षेत्र से कम हो और उसी हद तक बढ़ाया जायगा जहां तक प्रत्येक बच्चे का एक हल दो बैल वाला क्षेत्र लाभप्रद बन जाता है।"

खंड ४ के उपखंड २ का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"एक हल और दो बैलों द्वारा बिना मशीन की सहायता के किस जिले में किस प्रकार की भूमि में कितने एकड़ भूमि में लाभदायक काश्त की जा सकती है, उसका निर्णय कृषि विशेषज्ञों की सहायता से प्रत्येक जिले में एक जज द्वारा किया जाय जो कम से कम मुंसिफ के स्तर का हो और उसके निर्णय पर अपील सुनने का अधिकार जिला जज को हो।"

निम्न संशोधन स्वीकृत हुआ :—

खंड ४ का उपखंड ३ निकाल दिया जाय।

खंड ४ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५

श्री हुकुम सिंह विसेन ने एक संशोधन को निम्नलिखित संशोधित रूप में पेश किया तथा स्वीकृत हुआ :—

"खंड ५ में—

(१) उप-खंड (१) में आये हुए शब्द 'प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र' के स्थान पर शब्द 'अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र' रख दिये जायं,

(२) उप-खंड २ में:—

(१) शब्द 'प्रयोज्य' के स्थान पर शब्द 'सम्बन्ध में प्रयोज्य' रख दिये जायं, तथा

(२) अंक तथा शब्द '१५ अगस्त, १९५९ ई०' के स्थान पर अंक तथा शब्द '२० अगस्त, १९५९ ई०' रख दिये जायं।"

संशोधन निम्नरूप में पेश किया गया—

उपखंड २ की दूसरी पंक्ति में " १५ अगस्त, १९५९" के स्थान पर " १ जनवरी, १९५९" रख दिया जाय।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

पिछले पास किये हुये संशोधन तथा कुछ शाब्दिक संशोधन उपस्थित किये गये जो सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुये। और उन संशोधनों का परिवर्तित रूप इस प्रकार हो गया।

१—खंड ३ को मद (घ) में शब्द " के अधीन" के स्थान पर शब्द "में उल्लिखित" रख दिये जायं तथा शब्द " सरकारी पट्टेदार" के पश्चात् आये हुए शब्द " के रूप में हो", के स्थान पर शब्द " अथवा, यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हों" रख दिये जायं।

२—खंड ३ को मद (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ट) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी व्यक्ति के पास उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी हैं, तथा"

अन्य संशोधन निम्न प्रकार से स्वीकार किया गया :—

खंड ५ में—

(१) उप-खंड (१) में आये हुये शब्द "प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" के स्थान पर शब्द " अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" रख दिये जायं,

(२) उप-खंड (२) में :

(१) शब्द "प्रयोज्य" के स्थान पर शब्द "सम्बन्ध में प्रयोज्य" रख दिये जांय, तथा

(२) अंक तथा शब्द '१५ अगस्त, १९५९ ई० के स्थान पर अंक तथा शब्द "२० अगस्त, १९५९ ई०" रख दिये जायं

(३) उप-खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) उपधारा (२) के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :

(क) राज्य सरकार के पक्ष में किया गया कोई हस्तान्तरण, या

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३, के अधीन कोई विभाजन, या

(ग) हिन्दू संयुक्त परिवार की जोत सम्बन्धी विभाजन का कोई वाद या कार्यवाही, जो २० अगस्त, १९५९ ई० को विचाराधीन हो। "

खण्ड ६

संशोधन निम्नांकित संशोधित रूप में स्वीकार हुआ :-

खण्ड ६ में—

(१) शब्द "सरकारी गजट में" तथा "नोटिस प्रकाशित" के बीच में शब्द "सामान्य" बढ़ा दिया जाय ।

(२) शब्द "ऐसे सब व्यक्तियों को जिनके" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिनके" रख दिये जायं ।

(३) शब्द "प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र" रख जिये जायं ।

(४) शब्द "नियत किये जायं" तथा "एक विवरण" के बीच में शब्द "अपनी जोत का" बढ़ा दिया जाय ।

(५) शब्द "प्रस्तुत करें" के पश्चात् आये हुये कामा के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उसके पश्चात् आये हुये शब्द "जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायं" के स्थान पर शब्द "इस विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे" रख दिये जायं ।

संशोधित खंड ६ स्वीकार किया गया ।

खण्ड ७

संशोधन निम्नांकित संशोधित रूप में स्वीकार किया गया :—

खंड ७ में—

(क) उप खंड (१) में शब्द "नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, एक विवरण तैयार करायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं तथा जिसमें वह गाटा या वे गाटे भी दिये जायेंगे जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो" के स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करके या करा कर जो वह आवश्यक समझे एक विवरण तैयार करावेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे। जो नियत किये जायं। इस विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिये जायेंगे जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो" रख दिये जायं,

(ख) उप-खंड (२) में:

(१) शब्द "एक नोटिस" तथा "ऐसी रीति से" के बीच में शब्द "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर" रख दिये जायं ।

(२) शब्द "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से" के स्थान पर शब्द "उससे" रख दिया जाय ।

खण्ड ८

निम्नांकित संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार किये गये :—

खंड ८ में—

(१) उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

(२) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन आदेश दिया गया हो, उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को आवेदनपत्र

दे सकता है और यदि वह नियत प्राधिकारी को यह समाधान कर दे कि वह धारा ७ की उपधारा (२) के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करने में किसी पर्याप्त कारणवश असमर्थ रहा, तो नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये आदेश को रद्द करने का आदेश देगा और उक्त व्यक्ति को धारा ७ के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की स्वीकृति देगा और धारा ६ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा।"

(२) उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(३) उपखंड (४) की संख्या बदलकर वह उपखंड (३) कर दिया जाय और शब्द तथा अंक "उपधारा (२) और (३)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (२) और धारा १०" रख दिये जायं।

खण्ड ६

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

खंड ६ के उपखंड (१) में शब्द तथा अंक "धारा ८ की उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन दिये गये किसी आदेश के परिणाम स्वरूप" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश के या उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई किसी अपील के परिणामस्वरूप" रख दियें जायं।

खण्ड १०

निम्नांकित संशोधन स्वीकार किये गये—

खंड १० में—

(१) उपखंड (१) में शब्द तथा अंक "धारा ६ के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ८ की उपधारा (२) या धारा ६ के अधीन" रख दिये जायं, और

(२) उप खंड (३) में आये हुये शब्द तथा अंक "धारा ६ के अधीन" निकाल दिये जायं।

खण्ड ११

निम्नांकित संशोधन अस्वीकृत हुआ—

खंड ११ के उपखंड १ (तीन) में शब्द "मुक्त होकर" के बाद के शब्द "राज्य" के स्थान पर शब्द "ग्राम सभा" रख दिया जाय।

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

खंड ११ में—

(१) उपखंड (१) की मद (२) में आये हुये शब्द तथा अंक "धारा ६ के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १० के अधीन" रख दिये जायं।

(२) उपखंड (१) में आये हुये शब्द "विज्ञापित करेगा" के बाद पूर्ण विराम रख दिया जाय और तत्पश्चात् आये हुये शब्द "और तत्पश्चात् वह भूमि उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्धों.... समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे" निकाल दिये जायं।

(३) निम्नलिखित को एक नये उपखंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर, यहां आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, राज्य को हस्तान्तरित तथा उसमें निहित हो जायगी और ऐसे दिनांक से, उस भूमि में स्वत्व दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।"

(४) वर्तमान उपखंड (२) की संख्या बदलकर उसे उपखंड (३) कर दिया जाय।

(५) वर्तमान उपखंड (३) की संख्या बदलकर उसे (४) कर दी जाय और उसके पश्चात् आया हुआ स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(६) वर्तमान उपखंड (४) की संख्या बदलकर उसे उपखंड (५) कर दिया जाय, उस में आये हुये शब्द तथा अंक "उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (४)" रख दिये जायं और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखंड (६) के रूप में बढ़ा दिय जाय :—

"(६) इस धारा के अधीन किसी आपत्ति या अपील का निस्तारण करने में नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) जैसी भी दशा हो, पक्षों के अधिकारों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेगा।"

(७) वर्तमान उपखंड (५) की संख्या बदलकर उसे उपखंड (७) कर दिया जाय और उसमें आये हुए शब्द तथा अंक "उपधारा (३) और (४) के अन्तर्गत" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (४) और (५) के अन्तर्गत" रख दिये जायं।

खण्ड १२

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ:—

खंड १२ में—

(१) उपखंड (१) में आये हुए शब्द तथा अंक "धारा ११ की उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उसे" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ११ की उपधारा (७) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उस व्यक्ति को" रख दिये जायं।

(२) उपखंड (२) में आये हुये शब्द "की देख भाल न करे या उसे इकट्ठा न करे" के स्थान पर शब्द "को इकट्ठा न करे" रख दिये जायं।

(३) उपखंड (२) में आये हुये शब्द "निस्तारण कर सकता है" के स्थान पर शब्द "विक्रय कर सकता है" रख दिये जायं।

(४) उपखंड (३) में आये हुये शब्द "ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायगा जो कलेक्टर को उसके हकदार प्रतीत हों" के स्थान पर शब्द "उस व्यक्ति को किया जायगा" रख दिये जायं।

(५) उपखंड (३) के प्रतिबंधात्मक खंड के प्रारम्भ में आये हुये शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के पश्चात् शब्द "यदि विक्रय के दिनांक से तीन दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष ऐसे विक्रय से होने वाली आय का दावा किया जाय तो कलेक्टर इस बात का निश्चय कर सकता है कि दावेदारों में से कौन व्यक्ति उस आय का या उसके विभाजन का अधिकारी है और वह तदनुसार भुगतान का आदेश देगा" रख दिये जायं।

(६) उपखंड (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड में आये हुए शब्द "न्यायालय के निर्णयानुसार" के स्थान पर शब्द "उस न्यायालय के निर्णयानुसार" रख दिये जायं।

(७) उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

खण्ड १३

खंड १३ में निम्नलिखित संशोधन* उपस्थित किये गये :

(१) शब्द "किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जन की जाने वाली अतिरिक्त भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली उसकी अतिरिक्त भूमि" रख दिये जायं,

(२) मद (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(५) वह भूमि जिस पर कब्रें हों या जो मशान भूमि के रूप में काम में लाई जाती हो",

(३) मद (८) में शब्द "अधीन" के बाद शब्द "पहिली मई, १९५९ के पहिले से रही" जोड़ दिये जायं।

(४) मद (६) में आया हुआ शब्द "लगातार" निकाल दिया जाय,

(५) मद (१६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१६) वह भूमि जो किसी सहकारी बैंक (Co-operative Bank) ने किसी खातेदार द्वारा उसको देय बंधक ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की हो"

(६) मद (१७) में शब्द "या इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों के लिये" के स्थान पर शब्द "या ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिये" रख दिये जायं,

(७) मद (१८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(१८) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण तथा कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों की कृषि के लिये अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गई हो", और

---

*ये संशोधन २८-१०-५९ को बैठक में संशोधित रूप में स्वीकृत हुये।

(८) मद (१८) के पश्चात् निम्नलिखित नई मद (१९) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(१९) वह भूमि जिस पर ऐसी फार्म की सड़कें (Farm Roads) हों जो १० फुट से कम चौड़ी न हों तथा पूरे वर्ष वाहनों के यातायात (Vehicular Traffic) के लिये प्रयुक्त होती हों।"

श्री गेंदा सिंह ने खंड १३ के उपखंड (१) का विरोध किया।

श्री रामकुमार शास्त्री ने खंड १३ के उपखंड (१) का समर्थन किया।

श्री जयबहादुर सिंह ने भी उपखंड का विरोध किया।

श्री राजदेव उपाध्याय तथा श्री गौरंग सिंह ने उपखंड का समर्थन किया।

इस समय समिति की बैठक अगले दिन १० बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ पर संयुक्त प्रवर समिति की बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही

दिनांक—२८ अक्तुबर, १९५९ । समय—१०.००

स्थान—विधान वाचनालय ।

उपस्थिति

१—श्री राममूर्ति	..	सभापति
२—श्री हुकुम सिंह विसेन	..	सदस्य
३—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल	..	"
४—श्री लल्लूराम द्विवेदी	..	"
५—श्री रामकुमार शास्त्री	..	"
६—श्री बंशीधर शुक्ल	..	"
७—श्रीमती विद्यावती राठौर	..	"
८—श्री महाराज सिंह	..	"
९—श्री नौरंग सिंह	..	"
१०—श्री जयबहादुर सिंह	..	"
११—डाक्टर विशम्भर सिंह	..	"
१२—श्रीमती विद्यावती बाजपेयी	..	"
१३—श्री केशव पांडेय	..	"
१४—श्री सोहन लाल धुसिया	..	"
१५—श्री रामेश्वर प्रसाद	..	"
१६—श्री जगपत सिंह	..	"
१७—श्री राजदेव उपाध्याय	..	"
१८—श्री गेंदा सिंह	..	"
१९—श्री मनिहार सिंह	..	"
२०—श्री हरदयाल सिंह	..	"
२१—श्री भोलालाल	..	"
२२—श्री भूपकिशोर	..	"
२३—श्री रऊफ जाफरी	..	"

विभागीय अधिकारी

श्री जहूरुल हसन, राजस्व सचिव।

श्री दशरथ सिंह, आई० ए० एस०, उप सचिव, राजस्व विभाग।

श्री मेहरा, डी० एल० आर०।

सचिवालय

श्री कपचन्द्र, सचिव, विधान मंडल (सांयकाल की बैठक में)।

श्री देवकी नन्दन मित्तल, सचिव विधान सभा (सांयकाल की बैठक में)।

श्री राम प्रकाश, सहायक सचिव (प्रातःकाल की बैठक में)।

विधेयक के खंडों पर विचार जारी रहा। खंड १३ के उपखंड (१) को निकाल देने का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री भोला लाल का निम्नलिखित संशोधन अस्वीकृत हुआ:—

१३ का उपखंड (१) बदल कर इस प्रकार कर दिया जाय :

"वह बाग भूमि जो इस रूप में पहली जनवरी, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो और जिसका कुल क्षेत्रफल ढाई एकड़ से अधिक न हो।"

स्पष्टीकरण—यदि किसी व्यक्ति की कुल जोत बाग भूमि है तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल अच्छी प्रकार की भूमि के लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से ढाई एकड़ अधिक हो सकता है। यदि जोत की भूमि का केवल एक भाग बाग है तब बाकी बची हुई जोत की भूमि के लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से ढाई एकड़ अधिक उसके लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र माना जायगा और अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पहले जोत के कुल क्षेत्र के उस भाग से ली जायगी जिस पर बाग नहीं है और फिर बाद में आवश्यकता पड़ने पर बाग भूमि से।

निम्नांकित संशोधन भी अस्वीकृत हुआ :—

खंड १३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"लेकिन ऐसी बाग की दो एकड़ भूमि ही अधिकतम सीमा आरोपण से विमुक्त होगी।"

निम्नांकित दो संशोधन भी अस्वीकृत हो गये:—

खंड १३ के उपखंड (४) में शब्द "अनुबद्ध" तथा "क्षेत्र" के बीच शब्द "दो एकड़" जोड़ दिये जायं।

उपखंड (४) में "अनुबद्ध क्षेत्र" के बाद शब्द "जो एक एकड़ से अधिक न हो" बढ़ा दिये जायं।

निम्नांकित संशोधन स्वीकृत हुआ:—

खंड १३ को उपधारा (५) में शब्द "बाग" के स्थान पर "कब्र" रख दिया जाय।

निम्नांकित संशोधन अस्वीकृत हुये:

खंड १३ का उपखंड (७) निकाल दिया जाय।

उपखंड (८) अन्त में जोड़ दिया जाय तथा इस रूप में पहली जनवरी, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो।

उपखंड (८) निकाल दिया जाय।

उपखंड (९) पहली मई, १९५९ के स्थान पर पहली जनवरी, १९५९ रख दिया जाय।

उपखंड (९) निकाल दिया जाय।

उपखंड (१४) निकाल दिया जाय।

उपखंड (१५) निकाल दिया जाय।

उपखंड (१७) में शब्द "या इसी .... किये जायं" निकाल दिये जायं।

उपखंड (१७) निकाल दिया जाय।

निम्नांकित सरकारी संशोधन स्वीकृत हुआ:—

वर्तमान उपखंड (१७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१७) शुद्ध कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेषित (specialized) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट पालन या दुग्धशाला कार्य (dairying) या इसी प्रकार के अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं प्रयुक्त होती हो।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये "दुग्धशाला कार्य के अन्तर्गत अनन्य रूप से दुग्धशाला के लिये प्रयुक्त भूमि के धारक (holder) द्वारा उस दुग्धशाला के प्रयोजनों के लिये चारा उगाना भी है।"

खंड १३ में सरकारी संशोधन जो २७–१०–५६ को प्रस्तुत किये जा चुके थे निम्नांकित संशोधित रूप में स्वीकृत हुए:—

खंड १३ में—

(१) शब्द "किसी व्यक्ति के प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि" के स्थान पर शब्द "किसी व्यक्ति के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली उसकी अतिरिक्त भूमि" रख दिये जायं।

(२) मद(५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(५) वह भूमि जिस पर कब्रें हों या जो श्मशान भूमि के रूप में काम में लाई जाती हों।"

(३) खंड १३ की मद(८) में शब्द "अधीन" के बाद शब्द "१ मई, १९५९ के पहले से रही हो" जोड़ दिये जायं।

(४) मद (६) में आया हुआ शब्द "लगातार" निकाल दिया जाय।

(५) मद(१६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१६) वह भूमि जो किसी सहकारी बैंक ने (Co-operative Bank) किसी खातेदार द्वारा उसको देय बंधक ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की हो।"

(६) मद(१८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१८) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण तथा कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों की कृषि के लिये अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं पट्टे पर दी गई हो," और

(७) मद (१८) के पश्चात् निम्नलिखित नई मद (१९) के रूप में बढ़ा दी जाय :—

"(१९) वह भूमि जिस पर ऐसी फार्म की सड़कें (Farm Roads) हों जो पूरे वर्ष वाहनों के यातायात (Vehicular Traffic) के लिये प्रयुक्त होती हों।"

संशोधित खंड १३ स्वीकृत हुआ।

खण्ड १४

खंड १४ में निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ:—

खंड १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"१४—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी किसी व्यक्ति की ऐसी भूमि जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली या गुलाब की खेती की जाती हो अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त होगी यदि :

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जिस पर अन्य किसी प्रकार की खेती होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को जिस पर अन्य प्रकार की खेती होती हो धारा ६ या ७ के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे।"

खण्ड १५

खण्ड १५ में निम्नांकित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ में उल्लिखित असामी की भूमि को तथा धारा ३ के खण्ड (घ) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार की भूमि को विमुक्त करना।

खण्ड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"१५—(१) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार का अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में उसकी उस भूमि का, जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ के अधीन भरण-पोषण के लिये उसके असामी के पास अथवा धारा ३ के खण्ड (घ) में उल्लिखित शिकमी पट्टेदार के पास, जैसी भी दशा हो, उस समय तक जब तक कि वह भूमि इस प्रकार उसके असामी या शिकमी पट्टेदार के पास रहे, असामी अथवा शिकमी पट्टेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, विचार नहीं किया जायगा।

(२) भूमिधर या सरकारी पट्टेदार द्वारा प्रार्थना की जाने पर तथा ऐसे असामी या शिकमी पट्टेदार को जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय प्रतिकर का उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के द्वारा भुगतान किये जाने पर किसी ऐसी भूमि का, जो उस असामी या शिकमी पट्टेदार के पास उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो और जो अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गई हो, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के साथ बन्दोबस्त किया जा सकता है।"

खण्ड १६

खण्ड १६ में निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

खण्ड १६ में—

(१) उप-खण्ड (१) में आये हुए शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित" निकाल दिये जायं, तथा

(२) उप-खण्ड (३) में आये हुए शब्द "जो सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उस पर अपना निर्णय देगा" के स्थान पर शब्द "जो उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस पर निर्णय देगा" रख दिये जायं।

खण्ड १६ को निकाल देने का संशोधन जो श्री हरदयाल सिंह ने प्रस्तुत किया था, अस्वीकृत हो गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक ५ नवम्बर, १९५९ के १० बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति की दिनांक ५ नवम्बर, १९५९ की बैठक की कार्यवाही

दिनांक—५ नवम्बर, १९५९ । समय— १० बजे प्रातः।

स्थान—विधान वाचनालय, लखनऊ ।

उपस्थिति

१—श्री राम मूर्ति ..	..	..	..	सभापति
२—श्री हुकुम सिंह बिसेन	..	..	..	सदस्य
३—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल	..	..	..	"
४—श्री शम्भो नाथ सेठ	..	..	..	"
५—श्री लल्लू राम द्विवेदी	..	..	..	"
६—श्री राम कुमार शास्त्री	..	..	..	"
७—श्री बंशीधर शुक्ल	..	..	..	"
८—श्रीमती विद्यावती राठौर	..	..	..	"
९—श्री महाराज सिंह भारती	..	..	..	"
१०—श्री नौरंग सिंह ..	..	..	..	"
११—श्री जयबहादुर सिंह	..	..	..	"
१२—डाक्टर विशम्भर सिंह	..	..	..	"
१३—श्रीमती विद्यावती वाजपेयी	..	..	..	"
१४—श्री केशव पांडेय	..	..	..	"
१५—श्री सोहनलाल धुसिया	..	..	..	"
१६—श्री रामेश्वर प्रसाद	..	..	..	"
१७—श्री रऊफ जाफरी	..	..	..	"
१८—श्री जगपत सिंह	..	..	..	"
१९—श्री राजदेव उपाध्याय	..	..	..	"
२०—श्री मलिखान सिंह	..	..	..	"
२१—श्री हरदयाल सिंह	..	..	..	"
२२—श्री भीखालाल ..	..	..	..	"
२३—श्री भूपकिशोर ..	..	..	..	"

विधान सभा सचिवालय

१—श्री कपलचन्द्र, सचिव, विधान मंडल।

२—श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

१—श्री दशरथ सिंह, उपसचिव, राजस्व विभाग।

२—श्री मेहरा, डी० एन० आर०।

समिति की कार्यवाही कुछ वाद-विवाद के पश्चात् बिना कुछ कार्य किये १०.४५ बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गई।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति

संक्षिप्त कार्यवाही

५-२-१९६०

स्थान, विधान वाचनालय, समय प्रातःकाल १० बजे बैठक, श्री राममूर्ति के सभापतित्व में हुई।

उपस्थिति

१--श्री रामकुमार शास्त्री
२-- „ बंशीधर शुक्ल
३--श्रीमती विद्यावती राठौर
४-- श्री जय बहादुर सिंह
५-- „ महराज सिंह भारती
६-- „ नौरंग सिंह
७-- „ केशव पाण्डेय
८-- „ सोहन लाल धुसिया
९-- „ रामेश्वर प्रसाद
१०-- „ राममूर्ति
११-- „ महावीर प्रसाद शुक्ल
१२-- „ अवधेश चन्द्र सिंह
१३-- „ जगपति सिंह
१४-- „ गेंदा सिंह
१५-- „ मलिखान सिंह
१६-- „ हरदयाल सिंह
१७-- „ भीखालाल
१८-- „ भूप किशोर
१९-- „ हुकुम सिंह।

विधान सभा सचिवालय

श्री रूप चन्द्र, सचिव, विधान मंडल,
श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सरकारी सचिवालय

श्री दशरथ सिंह, उपसचिव, राजस्व विभाग,
श्री आर० एन० मेहरा, डी० एल० आर०,।

राजस्व मंत्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ :--

"संकल्प किया जाता है कि खंड ३ से १६ तक को अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत स्थान पर रखने तथा उन्हें और अधिक विस्तृत करने और उनकी भाषा में सुधार करने के उद्देश्य से प्रवर समिति द्वारा उक्त खंडों पर पुनः नये सिरे से विचार किया जाय।"

अतः खण्ड ३ से पुनः विचार आरम्भ हुआ और निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुयेः—

१—खंड ३ में—

(१) मद (ख), (ग), (घ), (च), तथा (ट) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ख) 'अच्छे प्रकार की भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जिसकी मौरूसी दर ६ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो;

(ग) 'परिवार' का तात्पर्य इस प्रकार से है कि उसमें किसी जोत के धारक का तथा उसके किसी या सभी निम्नलिखित सम्बन्धियों का, जो स्वयं अपने-अपने पृथक अधिकार में खातेदार न हो, समावेश है—

(१) पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो;

(२) आश्रित पिता तथा आश्रित माता,

(३) पुत्र तथा पुत्र का पुत्र, जब तक कि वे धारक से पृथक न हुये हों;

(४) उपखंड (३) में उल्लिखित व्यक्तियों की पत्नी या विधवा;

(५) पुत्री तथा पृथक न हुय पुत्र की पुत्री, जब तक कि वे अविवाहित रहें।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिये पुत्र या पुत्र का पुत्र उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो, या जब २० अगस्त, १९५९ से पूर्व निबन्धित या कार्यान्वित किसी पारिवारिक समझौते के अधीन अथवा २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन किसी वाद में, या उक्त दिनांक के पूर्व पारित न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा उसका पृथक अंश घोषित कर दिया गया हो, या उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १२-ख के अधीन उसे पृथक अंश दिया गया हो अथवा उत्तर प्रदेश बृहत जोतकर अधिनियम, १९५७ के अधीन उसके अंश का पृथक्करण स्वीकृत कर लिया गया हो;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५४।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७।

(घ) 'जोत' का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव-समाज के असामी या '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' की धारा ११ में उल्लिखित असामी अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अधीन, शिकमी काश्तकार (Sub-tenant) से भिन्न, काश्तकार या सरकारी पट्टेदार अथवा, यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो तो, सरकारी पट्टेदार के शिकमी-पट्टेदार के रूप में हो;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९।

(च) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत परिवार, सीमित दायित्व, समवाय (Limited Liability Company) तथा किसी विधि के अधीन निबंधित समिति भी होंगी;

(ट) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी खातेदार के पास उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के अतिरिक्त हो तथा इसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान इमारतें, कुयें और वृक्ष भी हैं।"

(२) मद (ट) के पश्चात् निम्नलिखित मद (ठ) और (ड) के रूप में बढ़ा दिया जाय तथा वर्तमान मद (ठ) को मद (ढ) कर दिया जाय—

"(ठ) 'खातेदार' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो;

(ड) 'सहकारी समिति' का तात्पर्य कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) किसी सहकारी समिति से है; तथा"

२—वर्तमान खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"४—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की गणना राज्य में उसकी जोत की समस्त भूमि पर विचार करके की जायगी, चाहे वह भूमि उसके पास उसके ही नाम से हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से। अधिकतम क्षेत्र

(२)—(क) एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र अच्छे प्रकार की भूमि के चालीस एकड़ का होगा।

(ख) यदि खातेदार के परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों तो ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (क) में उल्लिखित क्षेत्र और इसके अतिरिक्त, परिवार के पांच के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये अच्छी प्रकार की भूमि के आठ एकड़ अधिक का होगा किन्तु उक्त अतिरिक्त सदस्यों के कारण अनुमत अतिरिक्त क्षेत्र ऐसी भूमि के चौबीस एकड़ से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय परिवार के सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न रह जाय तो वह समस्त भूमि जो खातेदार के पास खण्ड (क) के अधीन अधिकतम क्षेत्र से अधिक होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन अच्छे प्रकार की भूमि से भिन्न भूमि के संबंध में अधिकतम क्षेत्र की गणना करने में, ऐसी भूमि के डेढ़ एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ से अधिक किन्तु छः रुपये प्रति एकड़ से अधिक न हो, तथा ऐसी भूमि के दो एकड़, जिसकी मौरूसी दर चार रुपये प्रति एकड़ या उससे कम हो, अच्छे प्रकार की भूमि के एक एकड़ के बराबर समझे जायेंगे।"

३—अध्याय २ के शीर्षक तथा खण्ड ५ से १६ तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"अध्याय २"

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण, विमुक्तियां तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन।

वर्तमान जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण।

५—(१) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन के दिनांक से कोई खातेदार इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्य व्यवस्था से अन्यथा अपने संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अपने पास रखने का हकदार न होगा, भले ही उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि, रूढ़ि अथवा प्रथा में या अनुबंध में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय किसी खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में २० अगस्त, १९५९ ई० के बाद किये गए ऐसी भूमि के हस्तान्तरण या विभाजन की, जो उस हस्तान्तरण या विभाजन के अभाव में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की जाती, उपेक्षा की जायगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :

(क) राज्य सरकार के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण,

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन विभाजन,

या

(ग) २० अगस्त, १९५९ को विचाराधीन वाद या कार्यवाही द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की जोत का विभाजन।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कुछ भूमि की विमुक्ति।

६—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र और उसकी अतिरिक्त भूमि के अवधारण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विचार नहीं किया जायगा :—

(१) वह बाग भूमि जो इस रूप में पहली मई, १९५९ के पूर्व विद्यमान रही हो ;

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १।

(२) वह भूमि जो '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम' की धारा १४३ के अर्थ में उद्योग के काम में लायी जाती हो।

(३) वह भूमि, जिसका क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक न होगा, जो पशुशाला, खाद के गड्ढों, खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, उपयोग में लायी जाती हो ;

(४) वह भूमि जिस पर निवास गृह हो तथा उससे अनुबद्ध क्षेत्र,

(५) वह भूमि जिस पर कब्रें हों या जो श्मशान भूमि के रूप में प्रयुक्त होती हों ;

(६) वह भूमि जो चाय, काफी या रबड़ की रोपस्थलियों के रूप में प्रयुक्त होती हों,

(७) वह भूमि जो भेषज्य तथा ऐसी जड़ी-बूटी की तथा अन्य रोपस्थलियों के रूप में प्रयुक्त होती हों, जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा विनुक्त करे,

(८) वह भूमि जो १ मई, १९५९ के पहले से किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध (Endowment) के पास या अधीन हो।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये किसी धर्मोत्तर या दानोत्तर वक्फ, न्यास या निबंध का वही अर्थ होगा जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ७६ में दिया गया है : १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १।

(९) वह भूमि जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबंधित किसी समिति या निगमित निकाय के पास किसी शिक्षा संस्था के प्रयोजनों के लिये हो ; ऐक्ट संख्या २१, १८६०।

(१०) वह भूमि जो नियत रीति से राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात गोसदनों तथा गोशालाओं के पास हो,

(११) वह भूमि जो संघ सरकार की संपत्ति हो तथा वह भूमि जो राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में, जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी हैं, निहित हो या उसके कब्जे में हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" की धारा ३ के खण्ड (१४) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये उठा दी गयी हो ; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १।

(१२) वह भूमि जो "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम "की धारा १७ या ११७-क के अधीन किसी गांव समाज या स्थानीय प्राधिकारी (स्थानिक अधिकारिकी) में निहित हो, किन्तु वह भूमि नहीं जो उक्त अधिनियम के अधीन उठा दी गई हो ; १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १।

(१३) वह भूमि जो उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५२ के उपबंधों के अनुसार वितरण के लिये किसी भूदान यज्ञ समिति के पास हो, किन्तु वह भूमि नहीं जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई अनुदान कर दिया गया हो ; उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५३ ई०।

(१४) वह भूमि जो किसी भूतपूर्व विलीन राज्य के शासक के पास हो और जो उसके तथा भारत सरकार के बीच विलयन संबंधी अनुबंध की शर्तों या उससे संलग्न सांपाश्विक पत्रों (collateral letters) के कारण राज्य सरकार द्वारा बिना उस शासक की सहमति के अर्जित न की जा सकती हों,

(१५) वह भूमि जो किसी सहकारी बैंक (Co-operative Bank) द्वारा किसी खातेदार से बंधक ऋण के बदले में क्रय द्वारा अर्जित की की गयी हो ;

(१६) केवल कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भूमि से भिन्न वह भूमि जो विशेज्ञित (Specialized) फार्मों में सम्मिलित हो और जो अनन्य रूप से कुक्कुट पालन या दुग्ध शाला कार्य (Dairying) अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, प्रयुक्त होती हो ;

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये भूमि के अन्तर्गत वह भूमि भी होगी जो खातेदार द्वारा अनन्य रूप से अपनी दुग्धशाला के प्रयोजनों के लिये चारा उगाने के लिये प्रयुक्त होती हो।

(१७) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात किसी सरकारी पट्टेदार को पुनरुद्धारण तथा कृषि के लिये या नियत विशेषित फसलों की कृषि के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गयी हो, तथा

(१८) वह भूमि जिस पर ऐसी फार्म की सड़कें (Farm roads) हों जो पूरे वर्ष गाड़ियों के यातायात के लिये प्रयुक्त होती हों।

पान, केवड़ा, बेला आदि की कृषि वाली भूमि को विमुक्त करना।

७—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी खातेदार की वह भूमि, जिस पर पान, केवड़ा, बेला, चमेली, या गुलाब की खेती की जाती हो, अधिकतम जोत सीमा आरोपण से विमुक्त होगी, यदि

(क) उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि न हो जो अन्य किसी प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो, या

(ख) वह ऐसी समस्त भूमि को, जो अन्य प्रकार की खेती के लिये प्रयुक्त होती हो, धारा ९ या १० के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित करे।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ११ में उल्लिखित असामी की भूमि तथा धारा ३ के खण्ड (घ) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार की भूमि को विमुक्त करना।

८—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, भूमिधर की उस भूमि का, जो उसके असामी की जोत में सम्मिलित हो, और सरकारी पट्टेदार की उस भूमि का, जो उसके शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो, ऐसे असामी या शिकमी पट्टेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार का, जैसी भी दशा हो, अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में विचार नहीं किया जायगा।

(२) किसी भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की ऐसी भूमि का, जो असामी या शिकमी पट्टेदार की जोत में सम्मिलित हो और जो उस असामी या शिकमी पट्टेदार की अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी हो, भूमिधर या सरकारी पट्टेदार की प्रार्थना पर, उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक, उस भूमिधर या सरकारी पट्टेदार के साथ बन्दोबस्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथास्थिति असामी या शिकमी पट्टेदार को देय प्रतिकर उसके द्वारा दिये जाने पर किया जा सकता है।

उन खातेदारों को जिनके पास अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने के लिये सामान्य नोटिस।

९—इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी सरकारी गजट में सामान्य नोटिस प्रकाशित करके ऐसे प्रत्येक खातेदार से जिसके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्योरों सहित जो नियत किये जायं अपनी समस्त जोतों के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत करे। विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायंगे जिसके या जिनके लिये वह विमुक्ति का दावा करे और वे गाटे भी दिखाए जायंगे जिन्हें वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे।

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को नोटिस।

१०—(१) यदि कोई खातेदार धारा ९ के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें ऐसे ब्योरे दिये होंगे जो नियत किये जायं। इस विवरण में विशेषरूप से धारा ६ या ७ के

अधीन विमुक्त भूमि, यदि कोई हो, दिखाई जायगी तथा वह गाटा या वे गाटे भी दिखाए जायंगे जिसे या जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो।

(२) तत्पश्चात नियत प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गए विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रत्येक ऐसे खातेदार पर तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करे कि विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय। निर्दिष्ट अवधि नोटिस की तामील के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण।

११—(१) यदि धारा ९ के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय अथवा यदि धारा १० के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी खातेदार की अतिरिक्त भूमि तदनुसार अवधारित करेगा।

(२) नियत प्राधिकारी ऐसे खातेदार द्वारा जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रार्थना किये जाने पर और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उस खातेदार को धारा १० के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और धारा १२ के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा।

(३) उपधारा (२) और धारा १३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण।

१२—(१) यदि धारा १० की उपधारा (२) के अधीन या धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन अथवा धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपने कारणों को अभिलिखित करके आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा।

(२) धारा १३ के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

अपील

१३—(१) धारा ११ की उपधारा (२) या धारा १२ के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो।

(२) जिला न्यायाधीश अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तथा उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो जिला न्यायाधीश उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो ठीक और उचित समझी जायं।

अतिरिक्त भूमि का अर्जन।

१४—(१) नियत प्राधिकारी :

(१) उस दशा में जब धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, अथवा

(२) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उसके लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात, अथवा

(३) यदि धारा १३ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो उसके निर्णय के पश्चात,

धारा ११, १२ या १३ के अधीन, जैसी भी दशा हो, अवधारित अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में विज्ञापित करेगा।

(२) आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य को हस्तांतरित तथा उसमें निहित हो जायगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर कोई व्यक्ति जो खातेदार या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार के रूप में उस अतिरिक्त भूमि में, जिसके संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई हो, स्वत्व का दावा करता हो, उस विज्ञप्ति के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी के समक्ष ऐसे भूमि में अपने स्वत्व की मात्रा बताते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(४) नियत प्राधिकारी, आपत्तिकर्त्ता, सम्बद्ध खातेदार तथा राज्य सरकार को सुनवाई का तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात कारणों को अभिलिखित करते हुए आपत्तियां निस्तारित करेगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र में उक्त भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो। जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा तथा किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।

(६) इस धारा के अधीन आपत्ति या अपील का निस्तारण करने में नियत प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश, जैसी भी दशा हो, पक्षों के अधिकारों के संबंध में सक्षम न्यायालय के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेगा।

(७) ऐसे खातेदार या खातेदार के पट्टेदार से जिसका अतिरिक्त भूमि में अधिकार, आगम या स्वत्व यहां पहले दिये गये उपबन्धों के अधीन स्वीकार किया गया हो, भिन्न किसी व्यक्ति के विषय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जायगा कि उक्त अतिरिक्त भूमि में उसको कोई अधिकार, आगम या स्वत्व है।

(८) कलेक्टर, उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात किसी भी समय तथा उपधारा (४) और (५) के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर सकता है तथा तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण।

१५--(१) यदि धारा १४ की उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय तो कलेक्टर उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में अतिरिक्त भूमि हो, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह--

(१) ऐसी अवधि के भीतर जो आवश्यक हो, उक्त भूमि पर विद्यमान असंगृहीत फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें संगृहीत करे या हटाये।

(२) ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

(२) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर विद्यमान फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य संपत्ति को संगृहीत न करे या न हटाये तो कलेक्टर किसी ऐसी फसल या वृक्षों के फलों अथवा सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है और सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है।

(३) जब किसी फसल, फलों या सम्पत्ति का उपधारा (२) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात उस व्यक्ति को किया जायगा, जिसके कब्जे में वह (फसल, फल या सम्पत्ति) थी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी विक्रय से होने वाली आय का दावा कलेक्टर के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाय तो कलेक्टर उस दावे का निर्णय करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन करेगा और तदनुसार भुगतान का आदेश देगा। यदि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, कलेक्टर ऐसे दावे का निर्णय करने में अथवा विभाजन करने का आदेश देने में असमर्थ हो तो वह सम्बद्ध पक्षों को यह निर्देश देगा कि वे विवादग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें। तत्पश्चात विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, उस न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा।

बाग लगाने के लिये अतिरिक्त भूमि के भाग का बन्दोबस्त।

१६--(१) धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, किसी खातेदार की अतिरिक्त भूमि की दस प्रतिशत भूमि का, जो अधिक से अधिक दस एकड़ होगी, उसके साथ बन्दोबस्त उसके उस भूमि पर ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय बाग लगाने का वचन लिखित रूप में देने पर, किया जा सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन बन्दोबस्त की हुई भूमि पर नियत अवधि के भीतर बाग न लगाया जाय, तो वह भूमि नियत प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के लिये तथा उसकी ओर से, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, वापस ली जा सकती है।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उसके विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जो उस व्यक्ति को सुनवाई का तथा साक्ष्य (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

(समिति की बैठक ६-२-६० के १ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति की बैठक की संक्षिप्त कार्यवाहियां

दिनांक ६—२—६० समय १ बजे

स्थान—विधान वाचनालय

उपस्थिति

१—श्री राम कुमार शास्त्री।
२—श्री वंशीधर शुक्ल।
३—श्रीमती विद्यावती राठौर।
४—श्री महराज सिंह भारती।
५—श्री नौरंग सिंह।
६—श्री जय बहादुर सिंह।
७—श्रीमती विद्यावती बाजपेयी।
८—श्री केशव पान्डेय।
९—श्री सोहन लाल धुसिया।
१०—श्री रामेश्वर प्रसाद।
११—श्री राम मूर्ति (सभापति)
१२—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल।
१३—श्री अवधेश चन्द्र सिंह।
१४—श्री जगपति सिंह।
१५—श्री गेंदा सिंह।
१६—श्री मलिखान सिंह।
१७—श्री हरदयाल सिंह।
१८—श्री भीखा लाल।
१९—श्री भूप किशोर।
२०—श्री हुकुम सिंह।

विभागीय अधिकारी

१—श्री जहूरुलहसन, राजस्व सचिव।
२—श्री दशरथ सिंह, राजस्व उपसचिव।
३—श्री मेहरा, डी० एल० आर०।

सचिवालय

श्री रूप चन्द्र, एच० जे० एस०, सचिव, विधान मंडल।
श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा।

सभापति ने कहा कि सरकारी संशोधनों को विचारार्थ लिया जा रहा है, समिति के सदस्यों को इनके अतिरिक्त और संशोधन प्रस्तुत करने हों तो उनका जिक्र भी साथ ही साथ कर दें।

निम्नलिखित संशोधन विचारोपरान्त स्वीकृत हुए :—

४—अध्याय ३ का शीर्षक "प्रतिकर के सिद्धान्त" के स्थान पर "प्रतिकर का अवधारण तथा भुगतान" कर दिया जाय।

५—वर्तमान खण्ड १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रतिकर की गणना की रीति।

"१७—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गई हो, अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायेगा ।

१९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम संख्या १।

(२) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम' की धारा ११ में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार के प्रतिकर में से प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय प्रतिकर उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि की मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी, किसी भी दशा में, खातेदार को देय प्रतिकर के एक-चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। प्रतिकर खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच प्रतिकर अधिकारी द्वारा विभाजित किया जायगा ।

(३) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, और जिसका अतिरिक्त भूमि में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा हो जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका हकदार हो, सक्षम न्यायालय में, उस प्रतिकर में किसी अधिकार, आगम या स्वत्व का दावा करने से न रोकेगी ।"

६—वर्तमान खण्ड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रतिकर अधिकारी।

"१८—धारा १७ के अधीन देय प्रतिकर के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी ।"

७—वर्तमान खण्ड १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन।

"१९—(१) प्रतिकर अधिकारी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो धारा १७ के अधीन प्रतिकर का हकदार हो, प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा, जो नियत की जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस (नोटिस) के तामील न किये जाने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर, निर्धारण तालिका को क्यों न अन्तिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो नियत की जाय ।"

८—वर्तमान खण्ड २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों।

"२०—(१) यदि धारा १९ के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो तो प्रतिकर अधिकारी उसे प्रतिकर निर्धारण तालिका घोषित करेगा ।

(२) प्रतिकर अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन आदेश के दिनांक के तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये ऐसे आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर और उक्त अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण प्रकट करने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो।"

९--वर्तमान खंड २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

आपत्तियों का निस्तारण।

"२१--(१) प्रतिकर अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जो धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन या धारा २० की उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन दिये गय किसी आदेश के अनुसरण में कारण प्रकट करे, सुनेगा तथा उक्त व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात कारणों को अभिलिखित करते हुए अपना निर्णय देगा। प्रतिकर अधिकारी उक्त निर्णयानुसार प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो।

(३) जिला न्यायाधीश यथासम्भव शीघ्र अपील को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा तथा, जहां आवश्यक हो, प्रतिकर निर्धारण तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी।

(४) प्रतिकर अधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा किये जाने वाले किसी लिपिक या गणित सम्बन्धी भूल सुधार के अधीन रहते हुये धारा २० के अधीन घोषित अथवा इस धारा के अधीन घोषित या संशोधित प्रतिकर निर्धारण तालिका, अन्तिम तथा निश्चायक होगी और किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी।"

१०--वर्तमान खण्ड २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रतिकर के भुगतान की रीति।

"२२--(१) धारा २३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रतिकर निर्धारण तालिका में दर्ज की गई प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नकदी में या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः बंधों के रूप में, जैसा भी नियत किया जाय, उस व्यक्ति को किया जायगा, जो उस तालिका में इसका हकदार दर्ज हो या उसके विधिक प्रतिनिधि को दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर, प्रतिकर पाने के हकदार व्यक्ति के बेदखल किये जाने के दिनांक से दातव्य होगा और वह अवधारित हो जाने पर देय होगा।

(३) स अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर, राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से, अवधारण के दिनांक तक यदि धनराशि नकदी में देय हो, और बंधों के मोचन के दिनांक तक यदि धनराशि बंधों में देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा।

(४) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर के भुगतान के सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा :

किन्तु ऐसे प्रतिकर के भुगतान से किसी अन्य व्यक्ति के, उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिसे ऐसा भुगतान किया गया हो ।"

११—वर्तमान खण्ड २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

प्रतिकर की धनराशि का न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खा जाना।

"२३—यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन देय सम्पूर्ण प्रतिकर या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, या पड़ने की सम्भावना हो, तो वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिकर अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे। प्रतिकर अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा।"

१२—वर्तमान खण्ड २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"२४—(१) राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय उसे राजकीय फार्म के रूप में चला सकती है और वह उस प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, प्रबन्धक के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि यंत्रकृत फार्म का धारक व्यक्ति (holder) उक्त प्रयोजन के लिये नियत अर्हतायें रखता हो तो राज्य सरकार प्रबन्धक नियुक्त करते समय उसे अधिमान देगी।

(२) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, पूर्व उल्लिखित अवधि को समय-समय पर बढ़ा सकती है।"

१३—खण्ड २४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें २५ तथा २६ बढ़ा दी जायं :

अतिरिक्त भूमि का अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग।

"२५—राज्य सरकार, स अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय, ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये अस्थायी या स्थायी रूप से उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिये ऐसी भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन अर्जित की जा सकती थी। ऐक्ट संख्या १, १८९४।

कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या उसका पट्टे पर दिया जाना।

२६—(१) राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि का समस्त बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा।

(२) कलेक्टर, किसी अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने तथा धारा २७ के अधीन उसका बन्दोबस्त करने के बीच की अन्तरिम अवधि के लिये उसे किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं कृषि के लिये पट्टे पर दे सकता है।"

१४—वर्तमान खण्ड २५ की संख्या बदलकर २७ कर दी जाय और उस खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

"२७-(१) राज्य सरकार, सार्वजनिक हित में, और निम्नलिखित उपधाराओं पर ध्यान दिये बिना, ऐसी सम्पूर्ण अतिरिक्त भूमि या उसके

किसी भाग का, जो राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व किसी ऐसी सहकारी समिति की जोत का भाग रही हो, जो २० अगस्त, १९५९ के पूर्व निबन्धित (रजिस्ट्रीकृत) हो चुकी हो, उस समिति के साथ बन्दोबस्त कर सकती है। सहकारी समिति, उस बन्दोबस्त के बदले में, राज्य सरकार को ऐसा प्रतिफल और ऐसी रीति से देगी जो नियत की जाय। प्रतिफल, किसी भी दशा में, उस प्रतिकर से अधिक न होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके लिये राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।

(२) राज्य सरकार ऐसे गांव में, जिसमें सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि उपलभ्य न हो या जिसमें ऐसी उपलभ्य भूमि १५ एकड़ से कम हो, अतिरिक्त भूमि का उस गांव के गांव समाज के साथ इस प्रकार बन्दोबस्त करेगी कि ऐसे बन्दोबस्त के बाद गांव में सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कुल उपलभ्य भूमि १५ एकड़ से अधिक न हो। इस प्रकार गांव समाज के साथ बन्दोबस्त की गई भमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उत्पन्न करने या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जब कोई अतिरिक्त भूमि, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्व, किसी निबंधित सहकारी समिति के किसी सदस्य के पास रही हो और उक्त समिति उस पर खेती कर रही हो, तो उस भूमि का बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा उस समिति के किसी अन्य सदस्य के साथ इस प्रकार किया जा सकता है कि जिस सदस्य के साथ उस भूमि का बन्दोबस्त किया जाय उसकी कुल जोत उस बन्दोबस्त के बाद साढ़े बारह एकड़ से अधिक न हो।

(४) किसी ऐसी अतिरिक्त भूमि का, जिसका पूर्व उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन बन्दोबस्त न किया गया हो, बन्दोबस्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—

(क) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से कम हो तो ऐसे खातेदारों की निबंधित सहकारी समिति के साथ जिनके काम से कम तीन-चौथाई ऐसे हों जिनमें से प्रत्येक के पास ३ १/८ एकड़ से कम भूमि हो,

(ख) यदि ऐसी भूमि गांव में १५ एकड़ से अधिक हो तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की निबंधित सहकारी समिति के साथ, इस प्रकार कि यदि इस खण्ड के अधीन उक्त समिति को प्रदिष्ट कुल भूमि सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांटी जाय तो किसी को ३ १/८ एकड़ से अधिक भूमि न मिले।

(५) किसी ऐसी अतिरिक्त भमि का बन्दोबस्त जो उपधारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त के पश्चात् शेष रहे, राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी निबंधित सहकारी समिति के साथ किया जा सकता है जिसके किसी सदस्य के पास ऐसे बन्दोबस्त के पूर्व, अपने ही अधिकार से ३ १/८ एकड़ से अधिक भमि न हो।"

वर्तमान खण्ड २५ के पश्चात् एक नया खण्ड बढ़ाने का संशोधन प्रस्तुत किया गया। उस पर विचार समाप्त नहीं हुआ था कि समिति की बैठक स्थगित हो गयी।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति की संक्षिप्त कार्यवाही

दिनांक ९-३-६०

स्थान—विधान वाचनालय, लखनऊ। समय—प्रातःकाल १० बजे।

बैठक श्री राममूर्ति के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों ने भाग लिया—

१—श्री हुकुम सिंह, विसेन
२—श्री बंशीधर शुक्ल
३—श्री रामकुमार शास्त्री
४—श्री केशव पांडेय
५—श्रीमती विद्यावती राठौर
६—श्रीमती विद्यावती बाजपेयी
७—श्री महाराज सिंह भारतीय
८—श्री महावीर प्रसाद शुक्ल
९—श्री राजदेव उपाध्याय
१०—श्री जय बहादुर सिंह
११—श्री नौरंग सिंह
१२—श्री सोहन लाल धुसिया
१३—श्री भूप किशोर
१४—डा० बिशम्भर सिंह
१५—श्री पृथ्वीनाथ सेठ

वि० स० सचिवालय

१—श्री रूप चन्द्र, स० वि० म०,
२—श्री देवकी नन्दन मित्थल, स० वि० स०।

विभागीय अधिकारी

१—श्री जहूरुलहसन, राजस्व सचिव,
२—श्री दशरथ सिंह, उपसचिव, राजस्व विभाग,
३—श्री मेहरा, डी० एल० आर०।

वर्तमान खण्ड २५ के पश्चात् एक नया खण्ड जोड़ने का संशोधन जो ६ फरवरी, १९६० को विचाराधीन रह गया था, तथा अन्य संशोधन निम्न प्रकार से स्वीकृत हुये:

१५—वर्तमान खण्ड २५ के पश्चात्, जिसकी संख्या बदल कर अब २७ कर दी गयी है, निम्नलिखित नये खण्ड २८ के रूप में बढ़ा दिया जाय:

बन्दोबस्त की शर्तें।

"२८—(१) धारा २७ के अधीन भूमि का समस्त बन्दोबस्त ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये किया जायगा जो नियत की जायं।

(२) धारा ५ के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, अधिकतम क्षेत्र की कोई सीमा ऐसी किसी भी निबंधित सहकारी समिति पर प्रवृत्त न होगी जिसके साथ धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो।

(३) तत्समय, प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के होते हुये भी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ धारा २७ के अधीन किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या जिसे धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन भूमि पट्टे पर दी गयी हो, ऐसी भूमि में कोई ऐसा अधिकार अर्जित नहीं करेगा, जो उन शर्तों का अल्पीकरण (derogation) करे जिनके अधीन भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या वह पट्टे पर दी गयी हो।"

१६—वर्तमान खण्ड २६ की संख्या बदल कर २६ कर दी जाय और उस खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"२६—यदि इस अधिनियम के अधीन अधिकतम जोत सीमा के आरोपण के पश्चात्—

भावी अर्जन

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार के या दान तथा विक्रय से भिन्न हस्तान्तरण के फलस्वरूप कोई भूमि किसी खातेदार के कब्जे में आ जाय और वह भूमि उस भूमि को मिला कर जो उसके पास पहले से हो, उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो; या

(ख) किसी खातेदार की धारा ६ या धारा ७ के अधीन विमुक्त की गयी सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग स्वरूप बदल जाने से ऐसा हो जाय कि वह उनमें उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न रहे या यदि वह भूमि जिस पर धारा १६ के अधीन बाग लगाया गया हो बाग भूमि (grove land) न रह जाय, तो

ऐसी भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य होगी।"

१७—खण्ड २६ के पश्चात्, जिसकी संख्या अब बदल कर २६ कर दी गयी है, निम्नलिखित नये खण्ड ३० के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"३०—(१) जब कोई भूमि धारा ४ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन या धारा २६ के अधीन अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यावहारित की जाने योग्य हो जाय, तो खातेदार ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय, नियत प्राधिकारी को धारा ६ के अधीन निर्धारित आकार में और रीति से एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह उस गाटे या उन गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहता हो।

भावी अर्जनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण।

(२) (क) जब उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, तो वह तदनुसार अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा;

(ख) यदि खातेदार उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत

करे तो नियत प्राधिकारी धारा १० के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा;

(ग) अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त भूमि पर प्रवृत्त होंगे।"

१८—वर्तमान खण्ड २७ की संख्या बदलकर ३१ कर दी जाय और उस खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

नदी के हट जाने से भूमि की प्राप्ति।

"३१—जब इस अधिनियम के अधीन अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् कोई भूमि, किसी नदी के हट जाने से किसी विधि या रूढ़ि के अनुसार, किसी जोत में बढ़ जाय और इस प्रकार बढ़ायी गयी भूमि का क्षेत्र खातेदार की अन्य वर्तमान भूमि के क्षेत्र को मिलाकर उस के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय तो—

(१) उस भूमि का, उस सीमा तक जो उस के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और जो उस की वर्तमान जोत से मिली हुई हो, बन्दोबस्त खातेदार के साथ, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुये और उन्हीं शर्तों के अधीन जिनके अधीन उसकी वर्तमान जोत हो, किया गया समझा जायगा;

बंगाल रेगुलेशन ११, १८२५।

(२) खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बंगाल एलुवियन ऐन्ड डिलुवियन रेगुलेशन, १८२५ (Bengal Alluvion and Diluvion Regulation, 1825) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य रूढ़ि या प्रथा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, राज्य सरकार में निहित हो जायगा;

(३) खण्ड (२) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि अतिरिक्त भूमि होगी और उस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी।"

१९—खण्ड २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ तथा ३८ की संख्यायें बदलकर क्रमशः ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ तथा ४२ कर दी जायं।

२०—खण्ड २८ में जिसकी संख्या बदलकर ३२ कर दी गयी है:

(१) उपखण्ड (१) में शब्द "और समझी जायगी" निकाल दिये जायं।

(२) उपखण्ड (२) में शब्द "या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने" के स्थान पर शब्द "अपील प्रस्तुत किये जाने" रख दिये जायं।

२१—खण्ड २९ में, जिसकी संख्या बदलकर ३३ कर दी गयी है:

उपखण्ड (१) की मद (एक) में शब्द "लागू मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों पर" के स्थान पर शब्द "मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार" रख दिये जायं:

(२) उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन मौरूसी दरों का निश्चय या उसी उपधारा के खण्ड (दो) के अधीन उनका

परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि दरों का निश्चय या परिष्कार, जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (Soil) के लिए यथासम्भव समान हो, और निश्चित की गयी दरें, किसी भी दशा में, भूमि के उत्पाद-मूल्य (Produce value) के पंचमांश से अधिक न होगी।"

(३) पार्श्व शीर्षक से शब्द "लागू" निकाल दिया जाय।

२२--खण्ड ३० के, जिसकी संख्या बदलकर ३४ कर दी गयी है, स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"३४--(१) यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति द्वारा, अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अध्यर्पण करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने पर, ऐसे धारक व्यक्ति की भूमि अतिरिक्त भूमि हो जायगी और नियत प्राधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में विज्ञापित की जायगी।

यंत्रकृत फार्म के धारक व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का उसके द्वारा प्रार्थना पर अर्जन।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित विज्ञप्ति जारी होने पर इस अधिनियम के अतिरिक्त भूमि से सम्बद्ध सभी उपबन्ध जिनके अन्तर्गत प्रतिकर के भुगतान से सम्बद्ध उपबन्ध भी है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।"

२३--खण्ड ३१ में, जिसकी संख्या बदलकर ३५ कर दी गयी है :

(क) शब्द "आदेश" के पूर्व आया हुआ "विधि संगत" निकाल दिया जाय ; और

(ख) शब्द तथा अंक "धारा २६" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३०" रख दिये जायं तथा शब्द "उपधारा (१) द्वारा" के स्थान पर शब्द "उपधारा (१) के अधीन" और शब्द "भेजेगा" के स्थान पर शब्द "प्रस्तुत करेगा" रख दिये जायं।

(ग) अन्तिम पंक्ति में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" रख दिये जायं।

२४--खण्ड ३२ में, जिसकी संख्या बदल कर ३६ कर दी गयी है :

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "कम्पनियों" के पश्चात् शब्द "और सहकारी समितियों" बढ़ा दिये जायं।

(ख) उपखण्ड (१) में शब्द तथा अंक "धारा ३२" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ३५" रख दिये जायं ; तथा

(ग) स्पष्टीकरण की मद (क) में शब्द "और" तथा "फार्म" के बीच में शब्द "निबंधित सहकारी समिति, अथवा" रख दिये जायं।

२४-क--खण्ड ३३ में, जिसकी संख्या बदल कर ३७ कर दी गयी है, शब्द "यथासम्भव" के स्थान पर शब्द "यथाप्रयोज्य" रख दिया जाय।

२५--खण्ड ३५ के स्थान पर, जिसकी संख्या बदलकर ३९ कर दी गयी है, निम्नलिखित रख दिया जाय :

"३९--किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो सद्भावना

लें की और स अधिनियम के या स अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरणमें की गयी हो, या की गयी प्रकट हो।"

२६—वर्तमान खण्ड ३८ के पश्चात्, जिसकी संख्या बदल कर ४२ कर दी गयी है, निम्नलिखित नये खण्ड ४३ के रूप में बढ़ा दिया जाय :

अधिकारों का प्रतिनिधान।

"४३—इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर (Asstt. Collector of the I Class in-charge of the sub-division) द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है।"

२७—वर्तमान खण्ड ३६ की संख्या बदलकर खण्ड ४४ कर दी जाय और :

(क) उसके उपखण्ड (२) की मद (ग) में शब्द और अंक "धारा १२" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा १५" रख दिये जायं ;

(ख) उपखण्ड (३) निकाल दिया जाय ; तथा

(ग) उपखण्ड (४) की संख्या बदलकर उपखण्ड (३) कर दी जाय।

२८—वर्तमान खण्ड ४० की संख्या बदलकर ४५ कर दी जाय, तथा उसके खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

निरसन उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

४५—(१) ३० जून, सन् १९६० से उत्तर प्रदेश बृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ सिवाय उसकी धारा २८ के, निरस्त हो जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७, उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९०४।

(२) उत्तर प्रदेश बृहत् जोत अधिनियम, १९५७ का निरसन होने पर भी तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (१) के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा—

(क) स प्रकार निरस्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन अथवा तदधीन की गयी या करने की गयी कोई बात ; या

(ख) स प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार अथवा दायित्व; या

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड; या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड के सम्बन्ध में, कोई अनुसंधान, विधिक, कार्यवाही, अथवा उपचार ; या

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७।

(ङ) उत्तर प्रदेश बृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ की धारा १५ के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस जोत के सम्बन्ध में जो कर निर्धारण से बच गयी हो, कार्यवाही करने का अधिकार ;

और ऐसे किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही, उपचार अथवा कर निर्धारण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, प्रवर्तित की जा सकती है या की जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड आरोपित किया जा सकता है अथवा ऐसा कोई कर निर्धारण किया जा सकता है। मानों उत्तर प्रदेश बृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो। उ० प्र० अधिनियम संख्या ३१, १९५७

२९—अनुसूची का शीर्षक "प्रतिकर की गणना की रीति" निकाल दिया जाय।

३०—अनुसूची के भाग १ में :

(१) शब्द "ऐसी कृषि भूमि के लिए जो जोत का भाग हो" और "डेश" निकाल दिये जायं ;

(२) शब्द "लागू मौरूसी दर" तथा शब्द "लागू मौरूसी दरों" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्रयोज्य मौरूसी दर" तथा "प्रयोज्य मौरूसी दरों" रख दिये जायं ;

(३) वर्तमान मद (ख), की संख्या बदलकर उसे मद (ग) कर दिया जाय और निम्नलिखित मद (ख) के रूप में रख दिया जाय :

"(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जो '१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम' की धारा ११ में उल्लिखित उसके असामी के पास हो।

(१) यदि असामी के पास भूमि सदा के लिए हो तो उस प्रतिकर की धनराशि का १/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गयी हो।

(२) यदि असामी के पास भूमि उसके जीवन पर्यन्त हो, तो उस प्रतिकर की धनराशि का ५/८ भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गयी हो।

(३) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो तो पट्टे की उस अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद (क)(३) के अधीन असामी को देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा।"

(४) वर्तमान मद (ग) की संख्या बदलकर उसे मद (घ) कर दिया

(२) पक्के कुएं या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों।	गोलाई (सिलिंडर) तथा जगत या नाली की, जैसी भी दशा हों, सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

यह निश्चय हुआ कि संशोधित विधेयक, तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को ११ मार्च, १९६० तक दे दी जायं। विमति टिप्पणी देने का समय २१ मार्च, १९६० तक रक्खा गया। आगामी बैठक २१ मार्च, १९६० को प्रातःकाल साढ़े नौ बजे होना निश्चित हुई।

(२) पक्के कुएं या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों।	गोलाई (सिलिंडर) तथा अगत या नाली की, जैसी भी दशा हो, सामग्री की लागत, उसमें से २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर।

यह निश्चय हुआ कि संशोधित विधेयक, तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को ११ मार्च, १९६० तक दे दी जायं। विमति टिप्पणी देने का समय २१ मार्च, १९६० तक रक्खा गया। आगामी बैठक २१ मार्च, १९६० को प्रातःकाल साढ़े नौ बजे होना निश्चित हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति की संक्षिप्त कार्यवाही ।

दिनांक—२१ मार्च, १९६० । समय—प्रातः ९.३० बजे ।

स्थान—विधान वाचनालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उपस्थिति

१—श्री राम मूर्ति, (सभापति)
२—श्री हुकुम सिंह विसन,
३—श्री लल्लू राम द्विवेदी,
४—श्री राम कुमार शास्त्री,
५—श्रीमती विद्यावती राठौर,
६—श्री महाराज सिंह भारती,
७—श्री नौरंग सिंह,
८—श्री जय बहादुर सिंह,
९—श्रीमती विद्यावती वाजपेयी,
१०—श्री केशव पांडेय,
११—श्री सोहन लाल धुसिया,
१२—श्री रामेश्वर प्रसाद,
१३—श्री अवधेश चन्द्र सिंह,
१४—श्री जगपत सिंह,
१५—श्री मलिखान सिंह,
१६—श्री राजदेव उपाध्याय,
१७—श्री हरदयाल सिंह,
१८—श्री मोहनलाल,
१९—श्री नृप किशोर ।

सचिवालय

१—श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा ।

२—श्री राम प्रकाश, सहायक सचिव, विधान सभा ।

समिति ने प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया और उसे बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया । समिति के सभापति ने सभी सदस्यों तथा माल विभाग तथा विधान सभा विभाग के कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिये धन्यवाद दिया । माननीय माल मंत्री ने भी सभी सदस्यों व दोनों विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया ।

विमति टिप्पणी देने के लिये २२ मार्च, १९६० को ३ बजे तक का समय निश्चित किया गया ।

इसके बाद समिति की बैठक स्थगित हुई ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव ।

नत्थी (क)

संकल्प

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा–आरोपण विधेयक, १९५९, को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय ।

नत्थी (ख)

संकल्प

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत हैं कि १९५९ ई० के उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा-आरोपण विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

नत्थी (ग)

साक्ष्य का सारांश

तराई कृषक संघ, काशीपुर के प्रतिनिधि, श्री शिवनारायण अग्रवाल तथा श्री पी० एन० मेहता ने समिति के समक्ष यह याचना की कि तराई के कृषकों ने जंगल तोड़ कर जमीन को नौ आबाद किया है और जमीन में धन लगाकर उसका कोई लाभ अभी तक नहीं उठा पाये। अतः अतिरिक्त जमीन उनसे ले लेने के मामले में सरकार उनके साथ रियायत करे। श्री पी० एन० मेहता ने कहा कि लिमिटेड कम्पनियों में बहुत से हिस्सेदार होते हैं, अतः लिमिटेड कम्पनी के लिये ४० एकड़ की सीमा रखना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि समिति तराई क्षेत्र में जाकर जमीन को स्वयं देख ले कि किस प्रकार उसकी उन्नति की गयी है।

गवर्नमेंट लेजीज के सब-लेजीज, बाजपुर के प्रतिनिधि, सरदार बेअन्त सिंह ने यह प्रार्थना की कि हम लोगों ने गवर्नमेंट लेजीज से जमीन सब-लीज पर लेकर उसमें परिश्रम किया और रुपया लगाया है, अतः हमसे जमीन न छीनी जाय।

गवर्नमेंट लेजीज, बाजपुर के प्रतिनिधि, श्री श्याम सुन्दर लाल ने निवेदन किया कि हमारे छः घराने हैं जिन्होंने जमीन में धन लगाया और ट्रैक्टर आदि खरीद कर खेती की लेकिन असफल रहे। रुपया डूब गया तो हमने जमीन सबलीज पर दी है। हमसे यह जमीन ले ली जायेगी तो हमको उचित मुआविजा मिलना चाहिये।

इंडियन शुगर मिल्स यूनियन, लखनऊ के प्रतिनिधि, श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया ने समिति से प्रार्थना की कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों में शुगर फैक्ट्री फर्म्स को अधिकतम जोत सीमा से अपवादित कर दिया गया है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अपवादित कर दिया जाय ताकि यहां पर गन्ने की उपज घटने न पावे।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११२ एल० ए०—१९६०—१,०००।